Monday, 22 February, 1965

PAR 340
DATE 21.6.65

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session

Preservation ... Fumigated 27-5-92 On 26.12.83 6 Parliament Library

खंड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol XXXVIII contains Nos. 1—10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

2487 (Ai) LSD—1.

विषय-सूची

अंक 4, सोमवार, 22 फरवरी, 1964 / फाल्गुन 3, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

***तारांकित**

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
60.	पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड .	233—36
61.	भारत-लंका समझौते की कार्यान्विति .	236—40
62.	चीनी सेनाओं का जमाव .	240—46
63.	नागालैंड में शांति वार्ता	246—57

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या		
64.	पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाना . . .	257—59
65.	शक्तिशाली ट्रान्समिटर . . .	259
66.	इन्डोनेशिया का संयुक्त राष्ट्र संघ छोड़ना	260
67.	राष्ट्रमंडल सचिवालय . . .	261-62
68.	राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन .	262
69.	भारतीय वायु सेना निशानेवाली दुर्घटना .	262-63
70.	सातवां राष्ट्रमण्डल सम्पर्क सम्मेलन .	263-64
71.	विश्व मुस्लिम सम्मेलन . .	264-65
72.	अफ्रीकी-एशियाई देशों की परमाणु अस्त्रों से सुरक्षा . .	265-66
73.	"न्यू एक्सिस" . . .	266
74.	सिक्किम में चीनियों द्वारा अवैध प्रवेश .	266—68
75.	परमाणु अस्त्रों से सुरक्षा . .	268-69
76.	युद्धविराम रेखा के उल्लंघन की घटनायें .	269-70
77.	अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	270-71
78	प्रावेक्षण नियम .	271-72
79.	शेख अब्दुल्ला की विदेश यात्रा	272
80.	टेल्को में हड़ताल	273

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 4—Monday, February 22, 1965/Phalguna 3, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
60	Wage Boards for Journalists	233—36
61	Implementation of Indo-Ceylon Pact . .	236—40
62	Concentration of Chinese Troops .	240—46
63	Peace Talks in Nagaland	246—57

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*Starred Questions Nos.		
64	Firing by Pakistanis . .	257—59
65	High powered Transmitter . .	259
66	Withdrawal of Indonesia from U.N.O. .	260
67	Commonwealth Secretariat . . .	261-62
68	Commonwealth Prime Ministers' Conference . .	262
69	I. A. F. Firing Practice Accident . . .	262-63
70	Seventh Commonwealth Relations Conference . .	263-64
71	World Muslim Conference . . .	264-65
72	Nuclear Shield for Afro-Asian Countries .	265-66
73	'New Axis' . . .	266
74	Chinese intrusion into Sikkim	266—68
75	Nuclear Shield . .	268-69
76	Violations of Ceasefire Line	269-70
77	International Film Festival .	270-71
78	Censorship Rules . .	271-72
79	Sheikh Abdullah's visit Abroad . .	272
80	Strike in Telco	273

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
81.	चीन द्वारा भूटान पर आक्रमण	273–74
82.	चलचित्र निर्माताओं को प्रोत्साहन	274
83.	लंका में रोके गये भारतीय आप्रवासी	274
84.	भारत-चीन सीमा विवाद	275–76
85.	छिपे हुये नागाओं की प्रार्थना	276–77
86.	वाणिज्यिक प्रसारण	277

अतारांकित

प्रश्न संख्या

120.	टिकट एकत्रित करने की सुविधायें	277
121.	चलचित्र सम्बन्धी सलाहकार समिति	278
122.	अम्बाला छावनी बोर्ड के चुनाव	278
123.	कर्मचारी प्रतिकर नियम	278
124.	चीनी उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	279
126.	अनुसन्धान तथा विकास संगठन	279
127.	सीमेंट उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	280
128.	तिब्बती शरणार्थी	280
129.	काश्मीर में रेडियो-सक्रिय धूल	280
130.	ग्राम श्रम जांच	281
131.	संयुक्त-राष्ट्र संघ में राष्ट्रमंडलीय राजनैतिक दल	281
132.	सोवियत प्रधान मंत्री को आमंत्रण	281–82
133.	चीन द्वारा दूसरे अणुबम का विस्फोट	282
134.	चीन से विरोध-पत्र	282–83
135.	राष्ट्रीय रक्षा परिषद्	283–84
136.	"प्रावदा" में प्रकाशित समाचार	284
137.	पुर्तगाली उपनिवेश	284–85
138.	ब्रिटिश उपनिवेशों को स्वतंत्र करना	285

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

*Starred Questions Nos.	Subject	PAGES
81	Chinese Aggression against Bhutan	273-74
82	Encouragement to Film Producers	274
83	Indian Immigrants detained in Ceylon	274
84	Sino-Indian Border Dispute	275-76
85	Request from Underground Nagas	276-77
86	Commercial Broadcasting	277

Unstarred Questions Nos.		
120	Stamp Collecting Facilities	277
121	Film Advisory Committee	278
122	Ambala Cantonment Board Elections	278
123	Workmen's Compensation Rules	278
124	Wage Board for Sugar Industry	279
126	Research & Development Organisation	279
127	Wage Board for Cement Industry	280
128	Tibetan Refugees	280
129	Radioactive Dust in Kashmir	280
130	Rural Labour Enquiry	281
131	Commonwealth Political Group in UNO	281
132	Invitation to Soviet Prime Minister	281-82
133	Explosion of Second Nuclear Device by China	282
134	Protest Notes from China	282-83
135	National Defence Council	283-84
136	Press reports in 'Pravda'	284
137	Portuguese Colonies	284-85
138	Independence for British Colonies	285

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
139.	मद्रास में जापान का वाणिज्य दूतावास . .	285
140.	रोजगार सेवा में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संबंधी केन्द्रीय संस्था	286
141.	झण्डा दिवस . . .	286
142.	सैनिक प्रशिक्षण कालिज . . .	287
143.	सरकारी विद्युत् उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस .	287
144.	इलेक्ट्रानिक संचार उपकरण . . .	287–88
145.	सैनिक स्कूल	288
146.	होशियारपुर जिले में डाकघरों की इमारतें	288–89
147.	प्रेस परिषद् .	289
148.	भूटान की विकास की योजनायें .	289–90
149.	नई पहाड़ी बन्दूक . . .	290
150.	ब्रिटेन के प्रतिरक्षा मंत्री की यात्रा . .	290
151.	बिना लाइसेंस के रेडियो . . .	291
152.	ब्रिटिश गायना और फिजी में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार .	291
153.	अणु शक्ति संस्थान, ट्राम्बे .	291
154.	प्रादेशिक सेना . .	292
155.	गणराज्य दिवस परेड के लिये प्रवेश-पत्र	292–93
156.	रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा सर्वेक्षण	294
157.	कोयला क्षेत्रों में उचित मूल्य वाली दूकानें .	294
158.	कोयला खान मजूरी बोर्ड	295
159.	रामगुण्डम में प्रादेशिक अस्पताल .	295
160.	सिंगरेनी कोयला खान	295–96
161.	फिल्म स्टूडियो . . .	296
162.	नेपाल के विदेश मंत्री की यात्रा	296–97
163.	त्रैमासिक बोनस. .	297
164.	कोयला खान कल्याण निधि के क्वार्टर . .	297–98
165.	जेमहारी खास कोयला खान . .	298
166.	सैनिक स्कूल, बीजापुर . . .	298–99
167.	भारत सरकार मुद्रणालय में लाइनो आपरेटर	299

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
139	Japanese Consulate in Madras	285
140	Central Institute for Research and Training in Employment Service	286
141	Flag Day . . .	286
142	Military Training Colleges	287
143	Bonus to Employees of Public Eletricity Undertakings	287
144	Electronic Communications Equipment	287-88
145	Sainik Schools	288
146	P.O. Buildings in Hoshiarpur District .	288-89
147	Press Council . .	289
148	Bhutan's Development Schemes .	289-90
149	New Mountain Gun	290
150	Visit of British Defence Minister	290
151	Unlicenced Radios	291
152	Treatment of Indians in British Guiana and Fiji . .	291
153	Atomic Energy Establishment at Trombay . .	291
154	Territorial Army	222
155	Passes for Republic Day Parade	292-93
156	Survey by Directorate General of Employment and Training	294
157	Fair Price shops in Collieries.	294
158	Coal Mines Wage Board	295
159	Regional Hospital at Ramagundam. . . .	295
160	Singareni Collieries . .	295-96
161	Film Studios	296
162	Visit of Nepal Foreign Minister . . .	296-97
163	Quarterly Bonus	297
164	Coal Mines Welfare Fund Quarters . . .	297-98
165	Jemahari Khas Colliery	298
166	Sainik School, Bijapur	298-99
167	Lino Operators in Government of India Press. . .	299

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
168.	औद्योगिक पंचाट . .	300
169.	प्लूटोनियम निर्माण संयंत्र . .	300
170.	आकाशवाणी के कटक स्टेशन के स्टाफ आर्टिस्ट्स तथा कर्मचारी	300
171.	उड़ीसा में काम दिलाऊ दफ्तर . .	301
172.	प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजे गये अधिकारी	301
173.	उड़ीसा में दर्ज किये गये तकनीकी व्यक्ति	302
174.	उड़ीसा में रोजगार कार्यालय	302
175.	जहाजों की खरीद . . .	302
176.	संयुक्त राष्ट्र की रंग-भेद संबंधी विशेष समिति	302–03
177.	कालीकट डाकघर .	303
178.	खान इंजीनियर	303
179.	खान समवायों में रोजगार	304

व्यवस्था का प्रश्न 304

सभा-पटल पर रखे गये पत्र 304–05

नागालैंड के बारे में वक्तव्य 306

श्री लाल बहादुर शास्त्री 306

उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपों के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में 306

श्री क० च० रेड्डी के स्थान का रिक्त होना . . . 306

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . 306—26

श्री ही० ना० मुकर्जी . . . . 306—08

श्री अ० प्र० शर्मा 308–09

श्री हरि विष्णु कामत . . . 309—13

श्री केप्पन . . . . 313—15

श्री सुबोध हंसदा . . 315—17

श्री दीनेन भट्टाचार्य . . . . 317—19

श्री सुब्बरामन . . 319–20

श्री टे० सुब्रह्मण्यम 321–22

श्री स० मो० बनर्जी . . . 322—24

श्री बाकर अली मिर्जा 325–26

राज्य सरकारों के कुछ मुख्य मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों के बारे में वक्तव्य . . . . 326—34

श्री लाल बहादुर शास्त्री . 326—34

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
168	Industrial Awards	300
169	Plutonium Extraction Plant	300
170	Staff artists and employees of A. I. R. Station at Cuttack	300
171	Employment Exchanges in Orissa	301
172	Officers sent Abroad for Training	301
173	Technical persons registered in Orissa	302
174	Employment Offices in Orissa	302
175	Purchase of Ships	302
176	Special Committee on Apartheid	302-03
177	Calicut Post Office	303
178	Mining Engineers	303
179	Employment in Mining Concerns	304

Point of order	304
Papers laid on the Table	304-05
Statement on Nagaland	306
Shri Lal Bahadur Shastri	306
Re: Statement on corruption charges against Chief Minister of Orissa	306
Vacation of seat of Shri K. C. Reddy	306
Motion on President's Address	306—26
Shri H. N. Mukerjee	306—08
Shri A. P. Sharma	308-09
Shri Hari Vishnu Kamath	309—13
Shri Kappen	313—15
Shri Subodh Hansda	315—17
Shri Dinen Bhattacharya	317—19
Shri Subbaraman	319-20
Shri T. Subramanyam	321-22
Shri S. M. Banerjee	322—24
Shri Bakar Ali Mirza	325-26
Statement re: allegations against some Chief Ministers and other Ministers of State Governments	326—34
Shri Lal Bahadur Shastri	326—34

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 22 फरवरी, 1965/3 फाल्गुन् 1886 (शक)

Monday, February 22, 1965/Phalguna 22, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों की सूची के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में प्रश्न पूछे जाएंगे ।

श्री शिंकरे : श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । आज की मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची "प्रधान मंत्री" शीर्षक से आरम्भ होती है जैसे कि कुछ प्रश्नों का उत्तर प्रधान मंत्री द्वारा दिया जाएगा । लेकिन सदस्यों को जो प्रश्नों की सूची दी गई है उसमें प्रधान मंत्री के नाम कोई प्रश्न ही नहीं है । यदि इसका उत्तर यह है कि प्रधान मंत्री, सरकार के नेता के रूप में सभी विभागों और मंत्रालयों के बारे में ध्यान रखते हैं तो यह संगत नहीं है क्योंकि कल की प्रश्नों की सूची में 'प्रधान मंत्री' शब्द शीर्षक में नहीं लिखा है । क्या इसका यह मतलब है कि प्रधान मंत्री आज की प्रश्नों की सूची में लिखित मंत्रालयों पर ही ध्यान देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर बाद में, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार होगा, ध्यान दूंगा ।

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड

+
*60. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भगवत झा आजाद :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकारों तथा गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्डों ने अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या समस्त समाचारपत्रों ने वह अन्तरिम सहायता दे दी है जिसकी मजूरी बोर्डों ने सिफारिश की थी ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मजदूरी बोर्डों को बड़ी-बड़ी आर्थिक उलझनों के पेचीदा प्रश्नों पर विचार करना होता है । प्रश्नावली तथा अन्य साधनों द्वारा सूचना एकत्र करने की सामान्य प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है और सम्बन्धित पक्षों के मौखिक बयान भी सुनने पड़ते हैं । मजदूरी बोर्डों के सदस्य व्यस्त गैरसरकारी व्यक्ति हैं और उनकी सुविधा को देख कर बैठकें बुलानी पड़ती हैं । इस से बैठकों को बुलाने और उनके समय पर पाबन्दी सी लग जाती है ।

(ग) श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजदूरी बोर्ड ने अंतरिम सहायता की अदायगी के बारे में जो सिफारिश की है उसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त सूचना का एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3812/65]** । गैरपत्रकारों के मजदूरी बोर्ड की अंतरिम सहायता सम्बन्धी सिफारिशें बोर्ड को स्पष्टीकरण के लिए वापस भेज दी गई हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : गैर-श्रमजीवी पत्रकारों को अन्तरिम सहायता देने के प्रश्न पर कब तक निर्णय हो जाने की संभावना है और क्या अन्तरिम सहायता के लिए सिफारिशों के बारे में कोई समय निर्धारित किया गया है ?

श्री संजीवय्या : सामान्यत: कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है । मुझे आशा है कि मजूरी बोर्ड से जो स्पष्टीकरण मांगा है, वह शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा । स्पष्टीकरण प्राप्त होते ही हम इस पर विचार देंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या कुछ समाचार-पत्रों के मालिक समय-समय पर मजूरी बोर्ड की कार्यवाही में बाधा डाल रह हैं और इस कारण भी मजूरी बोर्ड साक्ष्य रिकार्ड करने का काम पूरा नहीं कर पा रहा है ; यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठाएगी कि इस मजूरी बोर्ड का कार्य ठीक प्रकार चले ?

श्री संजीवय्या : मजूरी बोर्ड को पूरे अधिकार प्राप्त हैं । कई दफा दिक्कतें होती हैं । हम इस बारे में कार्रवाई करेंगे जिससे ये दिक्कतें न हों ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether all the newspapers have helped this Wage Board ? If not, the action taken against those who have not so far accepted this ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malviya): At this stage the question of taking any action does not arise. So far implementation reports are coming. If it is seen that implementation is not being done properly, then action will be taken.

Shri Bhagwat Jha Azad : So far as the interim relief is concerned as mentioned in the statement, very few States have so far implemented this. May I also know the position in other States and why the relief is given to such a small number of persons and the action taken by Govt. so far ?

Shri R. K. Malviya : Some reports have so far not been received. We are waiting that. As soon as we receive the reports, the information will be given in the House. Our efforts are that State Governments implement it as soon as possible.

Shri Bhagwat Jha Azad : Mr. Speaker, Sir, The Hon. Minister says that from the statement it appears that much relief was given. But from the statement it appears that many persons have not been given relief. May I know whether this statement is correct or the verdict of the Hon. Minister is correct ?

श्री संजीवय्या : जहां तक इसको क्रियान्वित न किये जाने का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 17 के अनुसार भूमि-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली की गयी है । यदि कुछ संस्थान इसको क्रियान्वित भी नहीं करतीं, धारा 18 के अनुसार राज्य सरकार उन पर कार्यवाही कर सकती है ।

डा० रानेन सेन : मजूरी बोर्ड ने चार-पांच महीने पहले गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के लिए अन्तरिम सहायता की सिफारिश की थी । पता लगा है कि हाल ही में सरकार ने इसको राज्य सरकारों को उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए भेजा था । यदि ऐसा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया जानने में विलम्ब क्यों किया ?

श्री संजीवय्या : मजूरी बोर्ड ने 12-12-64 को अन्तरिम सहायता की सिफारिश की थी । इसके फौरन बाद हमने कुछ प्रश्नों को स्पष्टीकरण के लिए भेज दिया । अब पता लगा है कि बोर्ड की बैठक 15-3-65 से पूर्व नहीं हो सकती ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम को जो विवरण दिया गया है, इस से पता चलता है कि ऐसे अनेक राज्य हैं जहां कई संस्थानों में मजूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश अन्तरिम सहायता को लागू नहीं किया गया है । सरकार इस बारे में क्या कार्रवाई कर रही है जिस से इन संस्थानों में इन आदेशों को क्रियान्वित किया जा सके ? सरकार अन्य राज्यों में भी इस निर्णय को शीघ्र लागू कराने में क्या कार्रवाई करेगी ?

श्री संजीवय्या : ऐसी बात नहीं है कि अन्य राज्यों ने अन्तरिम पंचाट को लागू नहीं किया है । स्थिति यह है कि अन्य राज्यों ने हमें जानकारी नहीं दी है । जहां तक इसको क्रियान्वित न करने का प्रश्न है, मैं स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि यदि राज्य, जिन में इनको लागू किया गया है, यह समझें कि किसी संस्थान ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है, तो वे धारा 17 और 18 के अन्तर्गत कार्रवाई कर सकते हैं ।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि पत्रकारों को सरकार का समर्थन प्राप्त होता है क्योंकि वे राजनीतिज्ञों की झूठी प्रशंसा करते रहते हैं । यदि नहीं, तो ऐसा क्यों है कि अन्य श्रमजीवी वर्गों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता ?

श्री संजीवय्या : मैं यह बात नहीं मान सकता कि पत्रकारों के प्रति सरकार कोई पक्षपात बरतती है । अब तक हम 17—18 मजूरी बोर्ड नियुक्त कर चुके हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि इन मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है । सामान्यतः जब कभी मजूरी बोर्ड नियुक्त किया

जाता है तो इसके प्रतिवेदन के बारे में समय निश्चित किया जाता है । इस मजूरी बोर्ड के बारे में अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया गया है ?

श्री संजीवय्या : यह कहना सही नहीं है कि सामान्यतः हम समय निश्चित कर देते हैं। हम कभी भी कोई समय निश्चित नहीं करते ।

Shri Bibhuti Mishra : The Hon. Minister has just stated that the Board will take time to meet. Many of the States do not implement the recommendations of the Wage Board; if so, the action taken by the Government?

Shri R. K. Malviya : The Central Government brings it to the notice of Wage Board and it is for the Wage Board to take action as early as possible.

श्रीमती विमला देवी : विवरण से पता चलता है कि आन्ध्र में सभी संस्थानों में अन्तरिम पंचाट को लागू नहीं किया गया है । इसके क्या कारण हैं ?

श्री संजीवय्या : इस बारे में हमें जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री दी० चं० शर्मा ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : प्रश्न संख्या 83 का भी इसी के साथ उत्तर दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय को कोई दिक्कत न हो तो इसका उत्तर साथ दिया जा सकता है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : वे दो भिन्न विषयों के बारे में हैं ।

अध्यक्ष महोदय : फिर उनके उत्तर एक साथ देने की आवश्यकता नहीं है ।

भारत-लंका समझौते की कार्यान्विति

+

*61. {
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री राजदेव सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री मान सिंह पृ० पटेल :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री रा० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-लंका समझौते को कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त अधिकारी समिति बनाने के बारे में समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख). जी हां। राष्ट्रमंडल सचिव और श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव के बीच दिसम्बर, 1964 में जो बात चीत हुई थी उस में और बातों के अलावा, भारत-श्रीलंका समिति बनाने के सवाल पर भी सहमति हो गई थी । दोनों सरकारें जब बाक़ायदा अपनी-अपनी अनमति दे देंगी उस के बाद इस समिति की स्थापना की दिशा में क़दम उठाए जाऐंगे ।

श्री दी० चं० शर्मा : भारत-श्रीलंका समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे ? इस समिति का कृत्य क्या होगा ?

श्री दिनेश सिंह : अभी हम ने इस के गठन के प्रश्न पर विचार नहीं किया है क्योंकि समिति दोनों सरकारों द्वारा करार की घोषणा किये जाने के बाद स्थापित की जाएगी । जहां तक कृत्यों का सम्बन्ध है, करार में यह कहा गया है कि यह समिति करार की क्रियान्विति की देखभाल करेगी ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह भारत-श्रीलंका करार, जिसके बारे में इस देश में इतना शोर मचाया गया है, एक प्रकार का रद्दी पत्र ही नहीं है, जिसका कुछ असर नहीं होगा?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने स्वयं ही जो निष्कर्ष निकाला है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं । रद्दी पत्र का सवाल ही क्या है ? दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई है, दोनों सरकारें इस बैठक में की गई सिफारिशों से सहमत हैं और अन्य कार्रवाई की जायगी ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं समझता हूं कि भारत-श्रीलंका करार कुछ महीने पहले हुआ था और अब उपमंत्री महोदय का कहना है कि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है । इसका क्या मतलब है ? इसका मतलब है कि यह अभी तक एक मृत पत्र के समान रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल वही जानकारी प्राप्त कर सकता हूं जो मंत्री महोदय के पास हो और वह सभा को दें ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारत-श्रीलंका करार को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और इसकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं । उस करार के अन्तर्गत एक संयुक्त समिति स्थापित की जानी है.। अगली बैठक इस संयुक्त समिति की स्थापना और इसके कार्य-क्षेत्र के बारे में विचार करने के लिए हुई। श्रीलंका और भारत की सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के फलस्वरूप सरकारी स्तर पर संयुक्त समिति के कृत्य और इसके कार्य-क्षेत्र के बारे में एक करार किया गया है। दोनों सरकारों द्वारा बाद के करार का अनुमोदन करने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या श्रीलंका सरकार के इस निर्णय से, कि श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त करने वाले राज्य-विहीन व्यक्तियों के लिए एक पृथक् निर्वाचक-पंजी बनाई जाएगी, उत्पन्न होने वाली आशंकाओं के बारे में कोई आश्वासन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो वह आश्वासन क्या है ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि सभी को ज्ञात है, भारत के प्रधान मंत्री ने इस बारे में श्रीलंका की प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है । श्रीलंका की प्रधान मंत्री से हमें एक अन्तरिम उत्तर प्राप्त हो गया है । हमारे प्रधान मंत्री इसका उत्तर भेजेंगे । अभी भी बातचीत चल रही है और इस समय हम इस बारे में और अधिक कुछ नहीं कर सकते ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री इस सभा को इस बारे में कोई आश्वासन दे सकते हैं कि श्रीलंका में भारत मूलक लोगों के साथ किए जाने वाले बर्ताव के बारे में सिद्धान्तों पर मलरूप से सहमति है, और यदि हां, तो यह समिति किस प्रकार श्रीलंका में भारतमूलक लोगों के साथ भविष्य में किये जाने वाले व्यवहार के बारे में करार की मुख्य शर्तों को क्रियान्वित करेगी ।

श्री स्वर्ण सिंह : इस सरकारी संयुक्त समिति का इस मूल बात से, जिन के बारे में दोनों प्रधान मंत्री सहमत हुए हैं, कोई सम्बन्ध नहीं है । इन बातों को एक करार में शामिल कर लिया गया है । आशा है कि दोनों सरकारें प्रधान मंत्री करार के अन्तर्गत इन वचनों का पालन करेंगी ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या भारत सरकार द्वारा श्रीलंका में रहने वाले उन भारतीयों के पुनर्वास के लिए, जो इस करार के अन्तर्गत वापस आयेंगे, पहले से कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री दिनेश सिंह : पिछले सत्र में मैंने इन व्यवस्थाओं के बारे में कुछ ब्यौरे दिये थे।

Shri Yashpal Singh : May I know whether persons of Ceylonese Origin in India will also be repatriated ?

Shri Swarn Singh : No, Sir.

डा० मा० श्री० अणे : मंत्री महोदय ने बतलाया है कि कुछ अन्तरिम उत्तर प्राप्त हुए हैं और पत्र-व्यवहार चल रहा है और अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पत्र-व्यवहार की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ?

श्री दिनेश सिंह : मैं नहीं समझता कि क्या श्रीलंका के प्रधान मंत्री से प्राप्त पत्र को सभा-पटल पर रखना वांछनीय होगा ।

श्री रंगा : इस बात का निर्णय कौन करेगा कि वह वांछनीय होगा कि नहीं ?

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : यह कोई उत्तर नहीं है ।

श्री दिनेश सिंह : ऐसे मामलों में जब तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता, हम इनकी प्रतियां सभा-पटल पर रखना उचित नहीं समझते ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कुछ ठोस उत्तर दें और यह बात मेरे ऊपर न छोड़ें ।

श्री दिनेश सिंह : जैसा मैं पहले बता चुका हूं पत्र-व्यवहार चल रहा है इस समय उनकी प्रतियां सभा-पटल पर रखना उचित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय समझते हैं कि इनको सभा-पटल पर रखना उचित नहीं है ।

श्री दी० चं० शर्मा : ऐसा लगता है कि इसमें मंत्री महोदय अथवा उपमंत्री महोदय निर्णय नहीं कर पा रहे ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार ने इस बात का पता लगा लिया है कि कुल कितने व्यक्ति भारत आयेंगे ? इस देश में उनके पुनर्वास के लिए क्या प्राथमिक व्यवस्था की गई है ? अन्यथा इस स्थिति को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ।

श्री दिनेश सिंह : कुल संख्या के बारे में करार में बताया गया है । हमें आशा है कि 15 वर्षों की अवधि में 5,25,000 व्यक्ति भारत आएंगे ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether some talks were held about the compensation to be paid to those Indians in Ceylon who will be repatraited.

Shri Dinesh Singh : There is no question of compensation as they would be bringing their belongings as per rules.

Shri Onkar Lal Berwa : What would happen to their property which would be left there.

श्री मान सिंह पू० पटेल : उन लोगों का क्या होगा जो दोनों प्रधान मंत्रियों के करार में शामिल नहीं हैं और क्या उनके बारे में भी कुछ किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल उस करार के बारे में है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : In view of the protest made by the Ceylonese Indians in regard to this pact may I know whether Government have considered these protests before setting up a joint officers Committee so that the efforts made in this respect may not fail.

Shri Dinesh Singh : It was considered earlier also but ther were not so many protests with the consultation of all it is being attempted to enforce these agreements.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या करार में ऐसी कोई शर्त है कि कुछ समय के बाद करार की कार्यान्विति पर पुनः विचार किया जाएगा ?

2487 (Ai) LS--2

श्री दिनेश सिंह : यह बात विवरण में बताई गई है।

चीनी सेनाओं का जमाव

+

*62. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मी० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हेम बरुआ :
श्री मधु लिमये :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री मान सिंह पृ० पटेल :
श्रीमती रेणु का राय :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री गुलशन :
श्री दे० जी० नायक :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री राम हरख यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री महेश्वर नायक :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बताया जा सकता है कि भारतीय सीमाओं पर कितनी चीनी सेना जमा है ;

(ख) क्या यह सेना किसी देश की सीमाओं की रक्षा के लिये सामान्य रूप से अपेक्षित सेना से अधिक है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) भारत की उत्तरी सीमा पर चीनियों द्वारा अन्दाजन 13 से 16 डिवीज़न इस्तेमाल किये जाने की जानकारी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) सभी आवश्यक पग उठाये गये हैं और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए रक्षा के लिए किये गये प्रबन्ध पर्याप्त हैं ।

Shri Yashpal Singh : May I know the line which Government treat as the border line, MacMahon Line, Colombo Proposals or the place from where Genl. Kaul returned back or this new proposal of no-man land so that the crores of Indians take pledge for the defence of the border line ?

Mr. Speaker : The Hon. Member has delivered a speech.

Shri Yashpal Singh : The Government should at least tell us the border line which is to be defended.

Mr. Speaker : The border line could be told.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : मैं सामान्य तौर पर यह कह सकता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएं ही निर्धारित सीमाएं हैं और वे नवम्बर, 1962 से पूर्व की सीमाएं हैं ।

Shri Yashpal Singh : Do they recognise the border line of 1947 or 1962 ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं नहीं समझता कि दोनों में क्या अन्तर है (**अन्तर्बाधा**)

श्री प्र० के० देव : उन्होंने बड़ा गलत बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीमाएं वे हैं जो 1962 से पहले थीं। यह बात गलत है। हमारा यह रवैया रहा है कि हम 1947 की सीमा को सीमा-रेखा मानते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह लगता है कि चीनियों ने सीमा के पास अपनी चौकियां बनायी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि इस वर्ष चीनियों के अप्रैल या मई में चुम्बी घाटी से आक्रमण करने की संभावना है और यदि हां, तो नाथू ला दर्रे और अन्य स्थानों से इस आक्रमण का उत्तर देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : चुम्बी घाटी को अधिक खतरे वाला स्थान समझा जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बारे में आवश्यक कदम उठाए गये हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : जब हम चीनी जमाव के बारे में सोचते हैं तो हम इसकी स्थल और वायु सेना के बारे में सोचते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी स्थल और वायु सेना चीनी आक्रमण का, जो कभी भी अचानक हो सकता है, मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जहां तक स्थल सेना का सम्बन्ध है, हम इस स्थिति में हैं कि "हां" कह सकते हैं लेकिन जहां तक वायु सेना का सम्बन्ध है, हमें इसके बिस्तार करने और इसका आधुनिकीकरण करने के लिए कदम उठाने हैं और ये कदम उठाये जा रहे हैं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether now also such coward commanders have been posted there as were posted last time to counter the Chinese attack?

Shri Y. B. Chavan: There are no such commanders in the Indian Army.

अध्यक्ष महोदय : हमें सभी को देशभक्त होना चाहिये और हम हैं भी। ऐसा कोई अनुपूरक प्रश्न न पूछा जाना चाहिये, जिसका उत्तर देना कठिन हो।

श्री स० मो० बनर्जी : हम जनरल कौल का आदर क्यों करें, जिसने हमें धोखा दिया (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : चीनी सेनाओं का असामान्य जमाव विशेषतः किन क्षेत्रों में हुआ है और क्या किसी विशेष क्षेत्र को ऐसा समझा जाता है जहां कि चीनी सेनाएं आक्रमण कर सकती हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं नहीं समझता कि मैं इस बारे में मूल्यांकन करूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उनको ऐसा करने के लिए सलाह नहीं दूंगा। यदि वह कोई ऐसा स्थान बता दें जहां कि चीनियों का अधिक फौजी जमाव नहीं है, तो भी वह हानिकारक होगा; यदि वह ठीक स्थान बतला दें, वह भी हानिकारक होगा। अतः इस प्रश्न का उत्तर ही न दिया जाए।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नेफा और लद्दाख में हुई विफलताओं से (क) सैनिकों को युद्ध के लिए उत्साहित करने की आवश्यकता, (ख) अधिक ऊंचाई पर युद्ध करने के अभ्यस्त होना, और (ग) सैनिक गुप्तचर विभाग की कमियों को दूर करने के बारे में पता लगा है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि इस सब के बारे में हमने पक्की व्यवस्था कर ली है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैंने पहले भी सभा में एक वक्तव्य दिया था और अब मैं फिर उस आश्वासन को दोहराता हूं कि जहां तक युद्ध के लिए बढ़ावा देने का सम्बन्ध है, उन्हें जोरदार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस प्रशिक्षण के बारे में कई नये तरीके अपनाए गये हैं। जहां तक अधिक ऊंचाई पर युद्ध के लिए अभ्यस्त होने का सम्बन्ध है, पिछले दो वर्षों से बारी-बारी से सेना को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध के लिए अभ्यस्त कराने के लिए कदम उठाये गये हैं। जहां तक गुप्तचर विभाग का सम्बन्ध है, इसमें समय लगेगा। कुछ कदम उठाये जा रहे हैं जिनसे इस बारे में स्थिति में सुधार होगा।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने कहा है कि जहां तक गुप्तचर विभाग का सम्बन्ध है, इस को ठीक करने में समय लगेगा और इस बारे में मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन यदि हमारा गुप्तचर विभाग सुदृढ़ नहीं है तो सरकार यह कैसे कह सकती है कि चीनियों ने हमारी सीमा पर सेनाओं का जमाव कर रखा है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य मंत्री महोदय से सहमत हैं कि वे प्रतीक्षा करें और इस बारे में और प्रश्न न पूछें।

Shri Madhu Limaye : May I know whether Government have any information that China would attack on our borders in the near future?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : केवल गुप्तचर विभाग का मामला ही नहीं है। इसमें राजनैतिक तथा अन्य बातों का ध्यान रखना होता है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि अब वहां चीनी फौजों का अधिक जमाव हैं और इस से खतरे की आशंका है वह कोई गड़बड़ी करेंगे या नहीं मैं नहीं बता सकता।

Shri Madhu Limaye : My question is whether Government have got some information through its Intelligence Department or Police ?

Shri Y. B. Chavan : Even if I have some information, I will not tell it.

Shri D. N. Tiwary : Is it a fact that Chinese troops enter Indian territory and obtain information by becoming friendly with the people ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : घुसपैठ की कुछ घटनायें हुई थीं और उन के सम्बन्ध में हम ने चीन से विरोध प्रकट भी किया था और वह विरोध-पत्र छाप भी दिये गये थे। परन्तु ऐसी बात नहीं कि चीनी सिपाहियों ने हमारे लोगों से सम्पर्क स्थापित किया हो।

श्री कृष्णपाल सिंह : दूसरी ओर से आने वाले बेतार के संदेशों का सुनने के लिए या कोई यूनिट बनाया गया है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं।

Shri Gulshan : May I know whether th concentration of Chinese forces near Indian border, have occupied any other Indian territory ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी नहीं। लद्दाख में जो क्षेत्र उन के पास हैं उस के अतिरिक्त और कोई क्षेत्र उन्होंने नहीं लिया। परन्तु हां कुछ घुसपैठ की घटनायें अवश्य हुई हैं जिन का उल्लेख मैंने किया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या हमारी सेना वहीं है जहां पर चीन ने युद्धविराम किया था अथवा हम कुछ आगे बढ़ गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता कि हमारी सेनायें कहां पर हैं।

Shri Bibhuti Mishra : In between India and China there is the 750 miles long State of Nepal. Keeping in view the military strength of Nepal and the concentration of Chinese troops on Napal border, is Government contemplating to have any military base so that border from Nagaland to Lucknow can be made secure ?

Mr. Speaker : This is a general question. He has raised the question regarding the defence of entire India.

Shri Bibhuti Mishra : There are no defence arrangements on the Nepal border.

श्रीमती सावित्री निगम : चीनी फ़ौजों के नये जमाव को देखते हुए क्या कोई और विरोध-पत्र भेजा गया है तथा कोलम्बो प्रस्ताव से सम्बन्धित देशों को सूचित कर दिया गया है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : नया विरोध-पत्र भेजने की कोई बात नहीं थी। केवल घुसपैंठ ही हुई है। मेरे विचार में कोलम्बो प्रस्ताव से सम्बन्धित देशों से इस सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया।

Shri Yashpal Singh : Why no guard has been posted yet at Dhola Post which was vacated by the Chinese long ago ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : उन्होंने भी नहीं भेजा और हम ने भी अपने लोगों को नहीं भेजा है।

Shri Raghunath Singh : Is it a fact that more than forty thousand Naval Officers are being trained and Indonesian ships are coming upto Andamans ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : नहीं। हां, कुछ जहाज देखे गये थे परन्तु वे मलेशिया के थे।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिन में बताया गया है कि चीन ने सीमा पर अपनी सेनायें बढ़ा ली हैं। हवाई अड्डे बना लिये हैं, अपने लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा ली है तथा तिब्बत में क्षेप्यास्त्र (मिसाइल) छोड़ने के अड्डे भी बना लिये हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने समाचार पत्रों में यह समाचार पढ़ा है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या गुप्तचरों ने इस की पुष्टि कर दी है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : चाहे यह ऐसा हो भी तो भी मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : एक व्यवस्था के प्रश्न पर . . .

अध्यक्ष महोदय : चाहे उन के पास जानकारी हो भी फिर भी यह लोक-हित में नहीं होगा कि यह जानकारी दी जाये।

श्री हरि विष्णु कामत : यह ठीक है कि वह हमें इस के आंकड़े न बतायें कि हम क्या कर रहे हैं परन्तु राष्ट्र को चीन की गतिविधियों की जानकारी दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर विचार कर लिया है। एक प्रकार से तो श्री कामत की बात ठीक है। परन्तु इस का दूसरा पक्ष भी है। जिस पर विचार किया जाना चाहिये। यदि वह ठीक जानकारी दे देते हैं जो कि उन के पास है तो शत्रु इस का लाभ उठा कर अवश्य कोई कार्यवाही कर सकता है। यदि कोई ऐसी बात बता देते हैं जो गलत है तो शत्रु को विश्वास हो जायगा कि हमारी जानकारी ठीक नहीं। उन को अनुमान लगाने देना चाहिये कि क्या हमारे पास जानकारी है या नहीं ?

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न यह उठ जाता है कि पार्लियामेंट तथा राष्ट्र को यह जानकारी मिले अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह मंत्री महोदय से बातचीत कर सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : यह कोई निजी मामला नहीं। यह तो राष्ट्रीय मामला है। हम यहां संसद में राष्ट्र के सब से बड़े मंच पर बैठे हैं। उन्हें यहां पर जानकारी छुपानी नहीं चाहिये। ऐसा किया गया और हमारी हार हुई। अगर अब भी इसी प्रकार जानकारी छुपाई गई तो फिर वैसा ही हो सकता है। यह बड़ी शर्म की बात है। वह ऐसे काम क्यों करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर किसी और समय बात करें।

श्री हेम बरुआ : मुझे आपकी सहायता चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक ही समय दो सदस्यों को बोलने की आज्ञा नहीं दे सकता।

श्री हरि विष्णु कामत : जनता को भी शक्तिशाली बनाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप को धैर्य से सुन लिया है। अब आप बैठ जायें। अब मैं श्री हेम बरुआ की बात सुनूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि आप चाहते हैं कि मंत्री महोदय की रक्षा होनी चाहिये तो ठीक है परन्तु राष्ट्र की भी तो चीन से रक्षा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया बैठ जायें।

श्री हेम बरुआ : मैं आप से पथ-प्रदर्शन चाहता हूं। यदि मंत्री महोदय चीनियों की फ़ौज के बारे में बता सकते हैं और कह सकते हैं कि सीमा के निकट उनकी बहुत सी डिवीजनें हैं तो उन को संसद् को यह बताने में क्यों आपत्ति है कि क्या उन के हवाई अड्डे तथा क्षेप्यास्त्र के अड्डे भी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : साधारणतः प्रथा यह है—हमारे नियम में भी यह दिया हुआ है—कि यदि मंत्री महोदय समझते हैं कि अमुक जानकारी देना लोक-हित में नहीं तो वह उस को रोक सकते हैं और मुझे भी साधारणतः उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : साधारणतः !

अध्यक्ष महोदय : विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने लोक-हित नहीं कहा है। यह तो आप कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका और क्या हित हो सकता है। उनका कोई निजी हित नहीं।

श्री रंगा : हम इस को समझ नहीं सकते। आप भी एक सीमा तक उनकी रक्षा कर सकते हैं। उन को स्वयं कहना चाहिये कि वह यह जानकारी लोक-हित में नहीं बता सकते।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं इस को स्पष्ट करता हूं। हमारा अभिप्राय कोई जानकारी संसद् से छुपाने का नहीं है। मैं सदैव जितनी अधिक जानकारी हो सके उतनी देता हूं। मैंने बताया है कि तिब्बत में हवाई अड्डे अधिक संख्या में बन रहे हैं। मैं इस बारे में तैयारी की सामान्य जानकारी दे सकता हूं। यदि मैं ब्योरेवार जानकारी, जो कि

हमें मालूम है, दूं तो यह अवश्य ही लोक-हित में नहीं होगा। इस कारण मैंने कहा कि हम जानकारी नहीं दे सकते। मेरा यह विचार बिल्कुल नहीं कि महत्वपूर्ण जानकारी माननीय सदस्यों को न दूं (अन्तर्बाधायें)।

अध्यक्ष महोदय अगला प्रश्न।

नागालैण्ड में शान्ति वार्ता

\+

श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हेडा :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री प० ह० भील :
श्री बड़े :
श्री सं० ब० पाटिल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हेम बरुआ :
श्री दलजीत सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
*63. श्री दे० द० पुरी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री हेम राज :
श्री उइके :

श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री राजदेव सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री मानसिंह पृ० पटेल :
श्री दाजी :
श्री गुलशन :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री राधेलाल व्यास :
श्री जो० ना० हजारिका :
श्री रा० बरुआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी रूप से नागालैंड की समस्या को सुलझाने के लिए शांति मिशन ने अपने नए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). शांति मिशन ने 20 दिसम्बर, 1964 को कुछ प्रस्ताव तैयार किए थे। इन प्रस्तावों में उन्होंने सुझाव दिया था कि छिपे नागाओं को तो खुद अपनी इच्छा से ही भारत संघ में सम्मिलित हो जाना चाहिए तथा इस उद्देश्य से आपस में शर्तें तय कर लेनी चाहिएं और भारत सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि नागालैंड और भारत सरकार के बीच संबंधों को कैसे और समंजित किया जा सकता है जिससे नागाओं के सभी वर्गों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट किया जा सके। शांति मिशन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उसकी राय में इस समस्या का एकमात्र व्यवहारिक समाधान यही है कि छिपे असंतुष्ट लोग भारत संघ में शामिल होने का फैसला कर लें।

शांति मिशन के प्रस्तावों की एक प्रति सदन की मेज़ पर रखी है। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०** 3813/65]

(ग) शांति मिशन के 22 दिसम्बर, 1964 के पत्र के उत्तर में भारत सरकार के प्रतिनिधि-मंडल के नेता ने कहा कि भारत सरकार उन विचारों और आधारभूत तत्वों से सहमत नहीं हैं जिनके आधार पर शांति मिशन के पत्र के साथ संलग्न सामग्री तैयार की गई प्रतीत होती है । भारत सरकार शांति मिशन के निष्कर्ष का स्वागत करती है जो यह है कि नागालैंड की समस्या का शांतिपूर्वक समाधान नागालैंड के भारत संघ में बने रह कर केवल भारत संघ के भीतर ही खोजा जा सकता है । भारत सरकार यह जानकर प्रसन्न है कि शांति मिशन स्वयं भी सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हमारे दोनों प्रतिनिधिमंडलों के सामने जो समस्या है उसका न सिर्फ़ सर्वाधिक न्यायोचित बल्कि एकमात्र व्यावहारिक समाधान इसी दिशा में सम्भव है ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप को याद होगा कि पिछली बार जब नागालैंड के बारे में वैदेशिक-कार्य मंत्री से प्रश्न पूछा गया था तो मेरे माननीय मित्र श्री कृपलानी ने एक प्रश्न उठाया था । बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर आपत्ति प्रकट की थी कि यह विषय वैदेशिक-कार्य मंत्री को क्यों सौंपा गया है जब कि अन्य इसी प्रकार की जिम्मेदारी की बातें गृह-कार्य मंत्री पर हैं । हमें प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस पूरे विषय पर मंत्रिमंडल में विचार होगा और हमेशा के लिये निर्णय कर लिया जायगा । मेरा निवेदन है कि नागालैंड के प्रश्न को वैदेशिक कार्य मंत्रालय......

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मुझे भी याद है और मैंने इस सम्बन्ध में कुछ कहा भी था । परन्तु सभी ने यह राय व्यक्त की थी कि इसकी जिम्मेदारी गृह कार्य मंत्री पर होनी चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसी बातों का लाभ उठा कर देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो यह प्रचार कर रहे हैं कि नागालैंड देश का अंग नहीं रहना चाहिये और पृथक राज्य बनना चाहिये । मैं कहूंगा कि आप सरकार को बाध्य करें कि इसकी जिम्मेदारी गृह-कार्य मंत्रालय पर हो जाये ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक कार्यों की जिम्मेदारी का संबंध है मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता कि इसको गृह-कार्य मंत्रालय को सौंप दे । मुझे याद है कि पिछली बार सदस्यों ने ऐसा ही मत दिया था । मैंने भी ऐसा ही कुछ कहा था । परन्तु जब तक सरकार स्वयं ऐसा नहीं करती यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । मैं फिर से दोहराता हूं कि ऐसा किया जाना उचित ही है कि इस काम की जिम्मेदारी गृह-कार्य मंत्रालय पर ही रहे ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रधान मंत्री के आश्वासनों की कुछ पवित्रता होनी चाहिए । कहने तथा करने में इतना अन्तर नहीं होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने के बहुत अवसर मिलेंगे । यह समय इसके लिये नहीं है । महिला सदस्य क्या कहना चाहती हैं ?

श्रीमती सवित्री निगम : आपने अभी अभी कहा कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते । परन्तु गृह-कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था उसे कार्यरूप दिया जाना चाहिये । प्रधान मंत्री ने भी हमें आश्वासन दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : तब आप आश्वासन समिति से इस पर कार्यवाही करने के लिए कह सकती हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जब हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो सरकार को उन पर कार्यवाही करनी चाहिए । हम यहां व्यर्थ ही कोई बात नहीं कहते ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि यह निर्णय यहां प्रश्न काल में नहीं किया जा सकता ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अभी निर्णय करने की बात नहीं है परन्तु वह अपना दृष्टिकोण तो बतायें ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों ने पहले ही अपने विचार भली प्रकार बता दिये हैं (**अन्तर्बाधायें**)। शांति शांति । श्री भागवत झा आजाद क्या कहना चाहते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं कहता हूं कि सभी सदस्यों ने एक बार नहीं बल्कि दो बार यहां पर व्यक्तिगत रूप से नहीं अपितु सामूहिक रूप से सरकार से प्रार्थना की है तथा आप ने भी अपना मत व्यक्त किया है । फिर प्रधान मंत्री ने तथा गृह-कार्य मंत्री ने आश्वासन भी दिये हैं परन्तु समझ में नहीं आता कि यह हस्तांतरण कब होगा ताकि सदस्य उचित मंत्री से प्रश्न पूछ सकें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों की भावनाओं को जानता हूं वे एक मत हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्रियों को यह समझना चाहिए ।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए---

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । एक ही समय इतने सदस्यों को खड़े नहीं होना चाहिए ।

श्री कपूर सिंह : हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय कुछ कहें ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : हम नहीं चाहते कि अभी कोई निर्णय किया जाय परन्तु उनको स्थिति समझानी चाहिये ।

श्री दी० चं० शर्मा : मेरे विचार में सरकार ने इस पर अभी विचार नहीं किया और कोई कार्यवाही भी नहीं की गई है ।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए---

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । क्या सब को छूट है कि मेरी अनुमति के बिना ही खड़े हो जायें । मैं माननीय सदस्यों से कह रहा हूं कि ऐसा न करें ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : प्रधान मंत्री को सभा के विचारों की पूरी जानकारी है । मैं यहां व्यक्त किये गये विचारों का सम्मान करता हूं । मैंने प्रधान मंत्री से प्रार्थना की है कि वह इस विषय पर विचार करें परन्तु जब तक स्थिति में परिवर्तन नहीं लाया जाता तब तक तो हमें प्रश्नों के उत्तर देने ही हैं ।

दूसरी बात यह है कि कुछ बातचीत चल रही थी अतः यह उचित समझा गया कि यह इस प्रकार रहे। परन्तु अन्तिम निर्णय करना उन्हीं का काम है।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए---

अध्यक्ष महोदय : किसी को अनुमति नहीं है । सभी बैठ जायें ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : श्रीमान । एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं श्रीमान । जब आप प्रश्न करने के लिये खड़े हुए थे तो मैंने अवसर नहीं दिया था । अब आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । मैं आपका अर्थ भली प्रकार समझता हूं । अच्छा अब वह अपना व्यवस्था का प्रश्न करें ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है । अभी मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने नागालैंड के हस्तांतरण के बारे में प्रधान मंत्री को अपना मत बता दिया है । फिर उन्होंने कहा कि जब तक निर्णय नहीं होता यह इस प्रकार ही रहेगा । यह दोनों बातें परस्पर एक दूसरे की विरोधी क्यों कहीं गई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री वेंकटासुब्बया से कहूंगा कि इस में व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ? सभा की कार्यवाही में इस प्रकार बाधा नहीं डालनी चाहिये । हम ने मंत्री महोदय की बात सुनी है । मेरे विचार में महत्वपूर्ण बात यह है कि बातचीत चल रही थी अतः सरकार देखना चाहती थी कि बातचीत का क्या परिणाम निकलता है और इसलिये स्थिति में कोई परिवर्तन न किया जाय । सभी दलों के सदस्यों ने अपने विचार बता दिये हैं । मैंने भी अपना मत बता दिया है । मंत्री महोदय ने भी अपनी राय दे दी है । मेरी यह कठिनाई है । सरकार का भी विचार था । यदि कोई निर्णय नहीं किया गया . . (**अन्तर्बाधायें**) शांति शांति, जब मैं बोल रहा हूं तो किसी को भी खड़ा नहीं होना चाहिए । सरकार को सदस्यों के विचार बता दिए गए हैं । अब ऐसा जान पड़ता है कि वैदेशिक कार्य मंत्री ने भी अपनी राय दे दी है । हम उसका केवल अनुमान लगा सकते हैं । फिर सरकार यह निर्णय क्यों नहीं करती है ? उन्हें या तो दृढ़ता से कहना चाहिये कि ऐसे ही रहेगा अथवा यह निर्णय करना चाहिये कि यह विषय गृह कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाता है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह बात प्रधान मंत्री तक पहुंचा दूंगा । वह साफ़ तौर पर बतायेंगे कि क्या किया जाना चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हूं । आज प्रधान मंत्री द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जाने का दिन है । यह उचित है कि वह सभा में आज उपस्थित हों ।

श्री हेम बरुआ : प्रधान मंत्री ने यह अजीब सी आदत बना ली है कि सभा से अनुपस्थित रहें । अतः मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप प्रधान मंत्री से यहां रहने की प्रार्थना करें । श्री नेहरू हमेशा उपस्थित रहते थे ।

श्री रंगा : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं । कई बड़े बड़े पत्रकारों का भी विचार है कि प्रधान मंत्री यह मिसाल कायम करना चाहते हैं कि वह व्यक्ति विशेषों का अधिक ध्यान रखें तथा संस्थाओं का नहीं । पार्लियामेंट भी एक संस्था है । स्वर्गीय प्रधान मंत्री जहां तक हो सकता था सभा में उपस्थित रहने का यत्न करते थे या सभा के निकट रहते थे परन्तु वर्तमान प्रधान मंत्री सभा से अधिक अनुपस्थित रहना चाहते हैं ।

श्री हेम बरुआ : यह उनकी नियमित रूप से आदत बन गई है ।

Shri Raghunath Singh : I want to know whether the negotiations in regard to Nagaland will come to an end or not. How long they are likely to take.

Mr. Speaker : This question is not being discussed now.

श्री कपूर सिंह : माननीय वैदेशिक-कार्य मंत्री ने अभी यह बताया कि सभा ने एकमत हो कर जो विचार व्यक्त किये उन का क्या परिणाम निकला है । आप ने भी उसका एक प्रकार से अनुमोदन कर दिया है । बात जो कही गई है वह यह है कि नागाओं के साथ बातचीत चल रही है अतः स्थिति नहीं बदलनी चाहिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे तो सभा द्वारा एक मत हो कर व्यक्त किये गये विचारों का उल्लंघन किया गया है । हमने यह कहा था कि हम नहीं चाहते कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय बातचीत करें क्योंकि नागा कोई स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य नहीं है । हमें इस बात को पक्की तरह समझना है । वर्तमान स्थिति में गलतफहमी बढ़ती है ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम उन्हें अधिक विद्रोही बना रहे हैं ।

श्री कपूर सिंह : अतः मैं कहूंगा कि आप के ारा वैदेशिक कार्य मंत्री के विचारों का अनुमोदन नहीं होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे व्यवहार की आलोचना नहीं हो रही है । मैंने तो उनके कहे को दूसरे शब्दों में कहा है ।

श्री हेम बरुआ : आप ने कोई अपना निर्णय नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता ।

श्री दाजी: हमें इस प्रश्न पर अब कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य एक ऐसा कार्य मेरे द्वारा कराना चाहते हैं जो उन्हें स्वयं करना चाहिए । यदि सदस्यों में एकता हो तो वह सरकार को भंग करा सकते हैं । मैं क्या कर सकता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रधान मंत्री आ गये हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : शान्ति मिशन की एक शर्त यह भी है कि भारत सरकार विचार करे कि नागाओं और भारत के भविष्य में किस प्रकार के सम्बन्ध होंगे । वह कई बातों से सहमत नहीं हैं और मिशन ने कई निरर्थक वक्तव्य दिये हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ऐसे मिशन को इस बारे में क्यों बात करने की अनुमति दे रही है जो भारत की प्रभुसत्ता को नष्ट करना चाहता है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने शान्ति मिशन के प्रस्तावों की एक प्रति सभा पटल पर रख दी है । मैंने सचिव द्वारा शान्ति मिशन को लिखे गये पत्र का सारांश अपने उत्तर में बता दिया है । यदि दोनों को एक साथ पढ़ा जाय तो सरकार को पूरी जानकारी हो जायेगी ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं ने वह सभी वक्तव्य पढ़ लिये हैं जिनका मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है । इसीलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार देश की प्रभुसत्ता की सौदेबाजी करके समझौता क्यों करना चाहती है ? इस का कारण उसमें नहीं है । हम वह ही जानना चाहते हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह बिल्कुल गलत है कि हम अपनी प्रभुसत्ता खोना चाहते हैं । स्थिति को मैंने, प्रधान मंत्री ने सभा में तथा पत्र व्यवहार में बिल्कुल साफ कर दी है ।

यह ठीक नहीं है कि आप इन प्रस्तावों के गलत अर्थ निकालें। माननीय सदस्य का यह कभी ऐसा विचार नहीं हो सकता जिससे हमारा पक्ष कमजोर हो जाये।

श्री भागवत झा आजाद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय कोई बात मुझ पर थोप नहीं सकते जो मैंने नहीं कही हो। शान्ति मिशन के प्रस्तावों में यह स्पष्ट है कि सरकार को नागाओं तथा केन्द्र सरकार के भविष्य के सम्बन्धों पर विचार करना होगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसे मिशन के बने रहने की अनुमति क्यों दी गई है जो प्रभुसत्ता की सौदेबाजी अथवा बदलने का सुझाव देता है ? इस प्रश्न का उत्तर देने की बजाय मंत्री महोदय कुछ और ही मुझ पर थोपना चाहते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में इस में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं वास्तविक स्थिति समझाने का प्रयत्न करूंगा। वह कहते हैं कि प्रभुसत्ता की सौदेबाजी की जा रही है। मैं कहता हूं कि यह ठीक नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विवरण में बताया गया है—"शान्ति मिशन . . . ।"

श्री रंगा : मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर पूरा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। हम यदि ऐसे करते रहे तो हमारी हंसी उड़ाई जाती रहेगी। अनावश्यक प्रश्न उठाये जा रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : नहीं, श्रीमान्।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का क्या प्रश्न उठाया गया है। माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और माननीय सदस्य खड़े हो गये हैं और कहते हैं "मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।" उत्तर आने से पहले व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया जाता है। यह कैसे किया जा सकता है ?

श्री दी० चं० शर्मा : वह अपनी बात समाप्त कर लें मैं फिर व्यवस्था का प्रश्न उठाऊंगा।

श्री स्वर्ण सिंह : अतः सौदेबाजी से प्रभुसत्ता खोने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे विचार इस विषय में बिल्कुल साफ है। मैं सदस्यों से भी प्रार्थना . . .

अध्यक्ष महोदय : वह किस बात पर जोर दे रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : व्यवस्था का प्रश्न।

श्री भागवत झा आजाद : यह विवरण में दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह मेरी बात भी नहीं सुनेंगे ? वह तो यह कहते जायेंगे कि विवरण में यह बात दी हुई है कि मिशन ने सुझाव दिया है कि हमें अपने सम्बन्धों को सुधारना चाहिए। वह कहते हैं कि सरकार इस बात की क्यों अनुमति देती है।

श्री दी० चं० शर्मा : अथवा इस बात को प्रोत्साहन देती है।

श्री भागवत झा आजाद : उनको नागालैंड में शांतिवार्ता करने दे।

श्री स्वर्ण सिंह : यह अच्छा होगा यदि सदस्य इस 6 पृष्ठ के दस्तावेज में कोई पैरा या पंक्ति बतायें जिस में यह कहा गया हो कि प्रभुसत्ता की सौदेबाजी की जा रही है।

कुछ माननीय सदस्य : यह विवरण में दिया हुआ है।

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक सम्बन्धों का प्रश्न है हम ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि समस्या का हल, नागालैंड के भारत संघ में रहने का ही हो सकता है। हमने सभा के अनुमोदन से कुछ कदम उठाये हैं। और नागालैंड राज्य बनाया है। हमारा विश्वास है कि हम ने उनकी स्वायत्तता, संस्कृति, परम्पराओं आदि की रक्षा के लिये काफी कुछ किया है। फिर भी भारत के हितों का ध्यान रखते हुए उनकी मांगों पर भी विचार किया जा सकता है तथा ऐसे निर्णय किये जा सकते हैं जिससे उनको सन्तोष हो सके।

श्री हेम बरुआ : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव किस लिये दिया गया है कि भारत सरकार वहां पर कोई परिवर्तन करे। इस सुझाव का यहां पर क्या सम्बन्ध है ?

श्री दी० चं० शर्मा : दो और लो।

श्री स्वर्ण सिंह : वही तो मैंने कहा था। यदि माननीय सदस्य बतायें कि शान्ति मिशन ने कौन से पैरे में यह कहा है तो मैं जवाब देने को तैयार हूं।

एक माननीय सदस्य : पैरे 12 में।

श्री हेम बरुआ : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री दी० चं० शर्मा : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बार-बार कह रहा हूं कि बैठ जायें। परन्तु वह अपने प्रश्न को बार-बार उठा रहे हैं। यदि इसी प्रकार अनावश्यक व्यवस्था के प्रश्न उठाये जाते रहें तो काम को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। श्री आजाद उस पंक्ति को बतायें।

श्री हेम बरुआ : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : एक और व्यवस्था का प्रश्न कहिये।

श्री दी० चं० शर्मा : आपने मेरी बात नहीं सुनी।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। यह बड़ी अनुचित बात है कि वह मेरे ऊपर दोष लगाते हैं अथवा पक्षपात का आरोप लगाते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : मैंने कोई दोष नहीं लगाया।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। मैं उनकी बात समझ गया हूं। वह उस विवरण के बारे में अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं और मैं भी वही कर रहा हूं और श्री

आजाद से कह रहा हूं कि वह अनुपूरक प्रश्न पूछते समय उसका उल्लेख करें। यदि फिर कोई बात छूट जाती है, तब निश्चय ही उनका व्यवस्था का प्रश्न उठता है। वह मेरे ऊपर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं और कहते हैं कि श्री हेम बरुआ की बात तो सुन रहा हूं लेकिन उनकी बात नहीं सुन रहा।

श्री दी० चं० शर्मा : ऐसा मैंने कभी नहीं कहा ।

अध्यक्ष महोदय : उनका इरादा यही था। मैं ऐसी बात सहन नहीं कर सकता।

श्री हेम बरुआ : अभी मंत्री महोदय ने चुनौती दी है। मेरे पास शांति मिशन के प्रस्तावों की एक छपी हुई प्रतिलिपि है . . .

अध्यक्ष महोदय : वह अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री हेम बरुआ । मैं इसको पढ़ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं उनसे अपना स्थान ग्रहण करने को कह रहा हूं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं एक अनुरोध करता हूं। हाल ही में हम में से कुछ लोग नागालैंड गए थे। इस सभा में और देश में इस बारे में एकमत का कोई प्रश्न ही नहीं है कि नागालैंड भारतीय संघ से पृथक नहीं रह सकता। नागालैंड के साथ भारतीय संघ के एक भाग के रूप में ही समझौता करना पड़ेगा। इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हमें पता लगा कि यह बड़ा कठिन और महत्वपूर्ण मामला है जिसका सामना करते लगभग 10 वर्ष हो गए जिसको न हीं भारतीय सेना, न भारत सरकार और न ही भारतीय जनता पसन्द करती है और इसीलिये यह ऐसा मामला है जिसमें यदि हम संसद् सदस्य समझौता कराने में मदद नहीं कर सकते तो हमें इसके लिये किये जा रहे प्रयत्नों में बाधा नहीं डालनी चाहिये। अतः मेरा अनुरोध है कि यह सभा और सरकार यह देखे कि ऐसी स्थिति पदा की जाये कि सरकार इस प्रकार सदन को अपने विश्वास में लेने का प्रयत्न करे जो वाद-विवाद के ढंग से भिन्न हो और इस प्रकार प्रचार द्वारा बातचीत में बाधा न पड़ सके। आप सरकार पर और सदस्यों पर अपना दबाव डालें और देखें कि अनावश्यक भावना न उमड़े ।

श्री हेम बरुआ : मेरे पास शांति मिशन के प्रस्तावों की एक प्रति है। इसमें दो महत्वपूर्ण बात उठायी गयी हैं। शांति मिशन के प्रस्तावों में भूमिगत नागा विद्रोहियों की सरकार और भारत सरकार को समान दर्जा दिया गया है और इसमें नागा संघ सरकार को भारत संघ में विलय के प्रश्न को नये सिरे से तय करने के अधिकार दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री हेम बरुआ : इन बातों को ध्यान में रखते हुये मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब नागा विद्रोहियों की सरकार और भारत सरकार को समान दर्जा दिया गया है तो सरकार नागा संघ सरकार के साथ बातचीत कसे कर सकती है। जब हम नागालैंड गए थे तो नागा संघ सरकार ने यह तर्क दिया था कि नागाओं ने भारत संघ के साथ विलय के बारे में निर्णय नहीं किया है। जब नागाओं को फिर यह अधिकार दिया गया है, तो इससे पता चलता है कि हम इस बात को मानते हैं कि नागाओं का भारत संघ के साथ विलय के बारे में अभी समझौता होना है ।

श्री अ० प्र० जैन : मैं श्री ही० ना० मुकर्जी के प्रस्ताव से पूर्णतः सहमत हूं।

सभी वर्गों और दलों के प्रतिनिधि 14 सदस्यों के एक संसदीय शिष्टमण्डल ने नागालैंड का दौरा किया। हमने वहां की स्थिति देखी और हमने देखा कि स्थिति बड़ी नाजुक है। यहां पर जो भी कुछ कहा जायेगा उसकी प्रतिक्रिया होगी जो कि भारत के हित में नहीं होगी।

मैं समझता हूं कि जहां तक इस नाजुक मामले का संबंध है, हमें एक परम्परा डालनी चाहिये कि हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे भावना दृढ़ होने की बजाए और स्थिति सुधरने की बजाए और बिगड़े। अतः मैं बड़े विनयपूर्वक निवेदन करता हूं कि हमें श्री मुकर्जी के प्रस्तावों को मान लेना चाहियें कि इस मामले पर संसद में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से बात करें और फिर सभा में उसका एक हल रखा जाए जो कि सभी को स्वीकार्य हो।

इस नाजुक स्थिति में माननीय मित्र का प्रस्ताव बड़ा अच्छा प्रस्ताव है। वास्तव में हम शिष्टमंडल के सदस्य स्वयं ही बैठ कर समूचे मामले पर विचार करना चाहते थे। हमारे साथ श्री हेम बरूआ भी थे और कई बार इस पर विचार भी किया है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को यहां न उठा कर पहले इस पर सरकार के साथ विचार करें और फिर बाद में यह मामला यहां उठाया जाए।

श्री हेम बरुआ : मैं श्री ही० ना० मुकर्जी और श्री अ० प्र० जैन से सहमत हूं लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि भारत सरकार नागाओं के साथ बातचीत में एक उचित नीति का पालन करे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अब हमें कुछ प्रश्न भी पूछने दीजिये। प्रश्न-काल में ये अपीलें नहीं होनी चाहिये ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : प्रश्न-काल समाप्त हो गया है।

श्री रंगा : श्री ही० ना० मुकर्जी की अपील और श्री अ० प्र० जैन के ठोस सुझावों का हम स्वतन्त्र दल के सभी सदस्य समर्थन करते हैं और विशेष रूप से मैं और श्री मी० रु० मसानी जो संसदीय शिष्टमण्डल के साथ गए थे। हमें आशा है कि सभी सदस्य इस नाजुक स्थिति को बिगाड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे बल्कि इस बारे में सरकार की सहायता करेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहते थे लेकिन मैं देखती हूं कि कुछ माननीय सदस्य प्रश्न काल के दौरान बार बार एक सी अपीलें दोहरा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है और अब कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। मुझे खेद है कि 60 मिनिट में से 40 मिनिट औचित्य प्रश्नों पर ही खर्च हो गये हैं और केवल 20 मिनिटों में ही प्रश्न पूछे गये हैं। पता नहीं यह मेरे अयोग्यता के कारण है या औचित्य प्रश्न उठाने के सदस्यों के दबाव के कारण है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : नागा, पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं और हम यह जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या है लेकिन हम प्रश्न पूछ ही नहीं सके हैं।

अध्यक्ष महोदय : यहां सभी दल और हर सदस्य यह विचार करे कि क्या जिस प्रकार हम कार्य-वाही चला रहे हैं, यह उचित है। जब श्री ही० ना० मुकर्जी ने अपील की तो मैं उससे सहमत था और कुछ कहने वाला था लेकिन सदस्य खड़े हो गये और मेरे खड़े होने के बावजूद भी व्यवस्था के प्रश्न उठाए गये और हर ओर से व्यवस्था का प्रश्न आवाजें आयीं।

2487 Ai) LS—3

मैं यह बतला दूं कि व्यवस्था का प्रश्न केवल अध्यक्ष की सहायता के लिये होता है ताकि कोई अनियमितता न होने पाए और संविधान अथवा नियमों के विरुद्ध कोई बात न हो। जब कोई नियम अथवा संविधान के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया जाता है, तब व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है और यह बताया जाता है कि यह बात नहीं होनी चाहिये और सदन का ध्यान उस पर दिलाया जाता है। लेकिन यहां पर व्यवस्था का प्रश्न केवल अव्यवस्था पैदा करने के लिये उठाए जाते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : हमारा इरादा कभी ऐसा नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : यह बात रिकार्ड में जायेगी और इससे प्रतीत होगा कि हम कितने गर जिम्मेदार हैं और व्यवस्था बनाये रखने की बजाय हम अव्यवस्था पैदा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड तो है ही और जो लोग इसको पढ़ेंगे तो मेरे कहे बगैर ही अपनी धारणा बनायेंगे। ठीक है, यह धारणा बनायी जा सकती है और यदि मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं भी यही धारणा बनाऊंगा। मैं गलती पर हो सकता हूं लेकिन वह बात भिन्न है। लेकिन हमें अधिक जिम्मेदारी के साथ काम चलाना चाहिये। यह अपील बड़े उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से की गयी और अन्य सदस्यों ने भी, जो वहां गये और स्थिति को देखा, इसका समर्थन किया। मुझे आशा है कि हम इस पर ध्यान देंगे और अधिक संयम से काम लेंगे। यह मामला वास्तव में बड़ा नाजुक है।

श्री भागवत झा आजाद : हम आपकी बात से सहमत हैं। आप हमें अपने कक्ष में बुला कर इस पर विचार कर सकते हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसी बात कही हैं जिनसे हमें दुख हुआ है। आपने कहा कि व्यवस्था के सभी प्रश्न अव्यवस्था पैदा करने के लिये होते हैं। हम महसूस करते हैं कि ऐसे व्यवस्था के प्रश्न उठाना इस सभा और सदस्यों के लिये शोभा बढ़ाने वाला काम नहीं है। कुछ व्यवस्था के प्रश्न ऐसे हो सकते हैं लेकिन ऐसे तानों से हमें दुख हुआ है।

श्री तिरुमल राव : वह दूसरों की ओर से वकालत न करें, दूसरे लोग स्वयं अपने बारे में कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री आजाद के तर्कों से मुझे आश्चर्य हुआ है। उन्हें मंत्री से शिकायत है और उनका कहना था कि मंत्री महोदय जबरदस्ती कह रहे हैं कि अमुक बात उन्होंने कही। मैंने सभी व्यवस्था के प्रश्नों के बारे में तो ऐसा नहीं कहा। अब हम अगला कार्य लेते हैं। यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं उन्हें अपने कक्ष में बुलाऊं तो वे इकट्ठा होकर बातचीत कर सकते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri: Mr. Speaker, Sir, having regard for the feelings of this House and the Hon. Members, Hon. Prime Minister said that the Nagaland was kept under the External Affairs Ministry due to the fact that Shri Jawaharlal Nehru had much affection with the Nagas. Now why this land is not transferred to the Home Ministry.

Mr. Speaker : This point was dicussed here . . . . .

Shri Prakash Vir Shastri: Hon. Prime Minister was not present here at that time.

Mr. Speaker : If he was not here, he will be made known about it, if it is repeated again, it will not have any effect. This is the responsibility of other Ministers to make the feelings of the House known to the Prime Minister, he might be thinking over it. If the Hon. Prime Minister wants to say something, it is altogether different.

Shri M. L. Diwedi : I wanted to say that forty minutes were spent on points of order. If this thing continues then questions will remain unreplied.

Mr. Speaker : This you think of yourself.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाना

*64. श्री रामनाथन चेट्टियार :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प० ह० भील :
श्री दलजीत सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री उइके :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री गुलशन :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री सूर्य प्रसाद :
श्री राधेलाल व्यास :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1964, जनवरी व फरवरी, 1965 में पूर्वी सीमा पर तथा जम्मू और काश्मीर क्षेत्र में भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाने का ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारत को जान व माल की कितनी हानि हुई ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) पाकिस्तान द्वारा दिसम्बर, 1964, जनवरी और फरवरी, 1965 (16-2-1965 तक) की अवधि में युद्ध-विराम रेखा पर जम्मू तथा काश्मीर में और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर गोली चलाये जाने की घटनाओं का व्योरा निम्न प्रकार है :—

(1) जम्मू तथा काश्मीर :

पाकिस्तान/पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर सेना/रजाकारों आदि ने 528 बार हमारी चौकियों, गश्ती टुकड़ियों, गांवों, असैनिक व्यक्तियों आदि पर गोली चलाई ।

(2) आसाम पूर्वी पाकिस्तान सीमा :

पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों ने 19 दिसम्बर, से 31 दिसम्बर, 1964 तक और फिर फरवरी, 1965 में रुक रुक कर लाठीटीला/डुमाबाडी क्षेत्र पर गोली चलाई ।

(3) त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान सीमा :

(1) इस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों ने 3, 7, 12, 15 से 31 दिसम्बर, 1964 तक और फिर 14 जनवरी, 1965 को त्रिपुरा के खोवाई सब-डिवीज़न में करंगीछेरा क्षेत्र में रुक रुक कर गोली चलाई ।

(2) पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों ने 26 दिसम्बर, से 31 दिसम्बर 1964 की अवधि में त्रिपुरा के धर्मनगर सब-डिवीजन में तारकपुर गांव की ओर रुक-रुक कर गोली चलाई (यह स्थान लाठीटीला क्षेत्र के समीप है । जब पाकिस्तानियों ने लाठीटीला / दुमाबाडी क्षेत्र में गोली चलाई तो यह स्थान भी उस में शामिल होता था) ।

(ख)	मारे गये व्यक्ति	घायल व्यक्ति
जम्मू तथा काश्मीर	1	20
आसाम	—	1
त्रिपुर	—	—

जम्मू तथा काश्मीर और असाम में कुछ पमु भी मरे घायल हुए । जम्मू हैथा काश्मीर में कुछ हथियार भी खोये गये । सम्पत्ति को हुई क्षति के गारे म पता नरी है ।

(ग) समूची सीला पर सुक्षा सेना के सैनिक तैदात हैं, वे निरन्तर निगरानी रखते हैं और गश्त लगाते हैं । जब कभी आवश्यक होता हैं, हमारी सुरक्षा सेना द्वारा जवाब में गोली भी चलाई जाती है । जम्मू तथा काश्मीट्ठ के बारे में युद्ध-विराम उल्लंघन के

बारे में संयुक्त राष्ट्र सेना पेक्षकों को शिकायत की जाती है । जब आवश्यक होता है तो पाकिस्तान सरकार को जम्मू तथा काश्मीर में युद्धविराम रेखा के उल्लंघन के लिए और अन्य सीमाओं के उल्लंघन करने पर विरोध-पत्र भेजे जाते हैं ।

शक्तिशाली ट्रान्समिटर

*65. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धाती :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री हेम बरुआ :
डा० श्रीनिवासन :
श्री हेम राज :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के लिए 1000 किलोवाट मीडियम वेव के ट्रांसमिटर को खरीदने के प्रस्ताव सम्बन्धी वार्ता में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : इस मामले को तय करने से पहले इरादा है कि आकाशवाणी के विशेषज्ञ मास्को भेजे जाएं ताकि वे टैकनीकी पहलुओं की छान-बीन कर लें ।

Withdrawal of Indonesia From U. N. O.

*66. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Yashpal Singh :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri P. C Borooah :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri Madhu Limaye :
Shri Sidheswar Prasad :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri Solanki :
Shri Narasimha Reddy:
Shri Hem Barua :
Shri Sham Lal Saraf :
Shri Mohan Swarup :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri Vishwa Nath pandey :
Shri Bibhuti Mishra :
Maharajkumar Vijaya Ananda :
Shri Kishan Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri R. S. Pandey :
Shri Ramesnwar Tantia :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kapur Singh :
Shri P. K. Deo :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of India had appealed to Indonesia to reconsider its decision to withdraw from U. N. O.;

(b) whether any information regarding the reasons for this decision by Indonesia has been received from India's permanent delegate to U. N. O.;

(c) whether Government are still making some efforts in this connection; and

(d) whether it is also a fact that some leaders of Pakistan as well have also threatened to leave U. N. O.

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) पाकिस्तान के अखबारों में कुछ गैर-सरकारी संगठनों के इस आशय के बयान प्रकाशित किए हैं।

राष्ट्रमंडल सचिवालय

*67. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री भ० ला० द्विवेदी :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० गि० दुबे :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम सेवक यादव :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :
श्री बाल्मीकी :
श्री रा० बरुआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल सचिवालय के ब्योरे को अंतिम रूप देने के लिये राष्ट्रमंडलीय देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की हाल में लन्दन में हुई एक बैठक में भारत सरकार के कुछ अधिकारियों ने भाग लिया ; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या निर्णय किये गये और क्या सरकार उनका अनुमोदन करती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस बैठक में कोई निर्णय नहीं किया गया था क्योंकि निर्णय करना राष्ट्रमंडल सरकारों का काम है । बहरहाल, राष्ट्रमंडल के 21 देशों के वरिष्ठ अधिकारी एक रिपोर्ट पर सहमत हो गए हैं जो राष्ट्रमंडल देशों की सरकारों को भेज दी गई है । भारत सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है । अधिकारियों की उक्त बैठक ने यह सिफ़ारिश की है कि महासचिव को कार्यकारी अधिकार नहीं होंगे और सचिवालय को कोई

राजनीतिक कार्य नहीं करना होगा । सचिवालय का मुख्य काम राष्ट्रमंडल देशों को उन के मतलब की सामग्री देना होगा । सचिवालय ऐसी कोई सूचना किसी को नहीं दे सकेगा जिसका संबंध किसी देश के आंतरिम मामलों से अथवा राष्ट्रमंडल के दो या दो से अधिक देशों के आपसी झगड़े से हो ।

राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन

*68. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरूआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों का अगला सम्मेलन कब और कहां होने की सम्भावना है; और

(ख) क्या यह सम्मेलन भारत में करने के सुझाव पर और प्रयत्न किया जायेगा और यदि नहीं, तो क्यों?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन जून, 1965 के दूसरे पखवाड़े में लंदन में होने की सम्भावना है ।

(ख) इस सम्मेलन का आयोजन बारी-बारी से करने के सुझाव पर विचार किया गया है, परन्तु अभी तक इसका बहुत समर्थन नहीं किया गया है । यह सम्मेलन भारत में करने का कोई सुझाव नहीं दिया गया है ।

I. A. F. Firing Practice Accident

*69. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Yashpal Singh :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Surendra Pal Singh :
Shri P. C. Borooah :

Shri D. C. Sharma :
Shri Bade :
Shri D. D. Puri :
Shri R. S. Pandey ,
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 2nd January, 1965 a rocket had fallen near Jagraon on the Ludhiana-Ferozepur Road from an Indian Air Force Plane in the course of firing practices resulting in the death of three persons;

(b) whether any inquiry has been made into this accident and if so, the findings thereof;

(c) whether any compensation has been paid by the Government to the families of the deceased persons; and

(d) if so, the amount there of and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (**Shri Y.B. Chavan**) :(a) On 2nd January, 1965, at about 12.15 hours, the following civilians were killed at a distance of about 5 miles from Jagraon on Jagraon-Ferozepur Road,(same as Ludhiana Ferozepur Road) during the air-to-ground firing practice by the Indian Air Force at Sidhwan Khas Range, near Jullundur:—

(i) Shri Randhir Singh.

(ii) Shri Teja Singh.

(iii) Shri Surjit Singh.

(b) Yes, Sir, The findings of the Court of Inquiry are awaited.

(c) No, Sir.

(d) The question of payment of compensation will be considered on receipt of the report of the Court of Inquiry.

सातवां राष्ट्रमंडल सम्पर्क सम्मेलन

*70. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री हेमराज :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री विश्वनाथ राय :

श्री रा० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 जनवरी, 1965 को नई दिल्ली में सातवां राष्ट्रमण्डल सम्पर्क सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया ;

(ग) सम्मेलन में किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई; और

(घ) क्या भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने कोई प्रस्ताव पेश किया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) (क) सातवां राष्ट्रमंडल संपर्क सम्मेलन नई दिल्ली में 6 से 15 जनवरी, 1965 तक हुआ था । इसका आयोजन इंडियन काउन्सिल आफ वर्ल्ड अफ्फैयर्स ने किया था जो एक ग़ैर-सरकारी संस्था है

(ख) इस सम्मेलन में भारत समेत 12 देशों ने भाग लिया ।

(ग) इस सम्मेलन की कार्यसूची के कुछ मुख्य विषय हैं :—

(1) प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति राष्ट्रमंडल का दृष्टिकोण , (2) राष्ट्रमण्डल देशों में रक्षा और सुरक्षा , (3) राष्ट्रमण्डल और विश्व व्यापार एवं विकास की समस्याएं, (4) राष्ट्रमंडल देशों में वैज्ञानिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाना, (5) राष्ट्र मंडल का भविष्य ।

(घ) ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने विशेष रूप से कोई प्रस्ताव नहीं रखे। अन्य प्रतिनिधि मंडलों की तरह उन्होंने भी उन विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए जिन पर कि सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था।

विश्व मुस्लिम सम्मेलन

*71. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री चं० का० भट्टाचार्य :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1964 में मोगादिसियों (सोमालिया) में हुए विश्व मुस्लिम सम्मेलन में भाग लेने के लिये गये भारतीय प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन व्यक्ति थे ।

(ख) क्या यह सच है कि प्रतिनिधि मंडल को इस सम्मेलन का बहिष्कार करना पड़ा;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(घ) इस प्रतिनिधि मंडल पर किसने व्यय किया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) भारतीय प्रतिनिधि मंडल में जम्मू और काश्मीर राज्य के मंत्री, श्री सैयद अली मोहम्मद तारिक़ और संसद् सदस्य श्री अहमद मेहदी थे।

(ख) और (ग). भारतीय प्रतिनिधि मंडल सोमालिया सरकार के निमंत्रण पर विश्व मुस्लिम सम्मेलन में भाग लेने सोमालिया गया था। इस सम्मेलन में कार्यविधि संबंधी यह प्रश्न उठाया गया था कि सोमालिया सरकार को किसी प्रतिनिधिमंडल को निमंत्रण देने का कोई अधिकार नहीं है, इस सम्मेलन का सचिवालय ही किसी को निमंत्रण दे सकता है। इस स्थिति में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन में हिस्सा न लेने का फैसला किया ताकि मित्र देश सोमालिया की सरकार उलझन में न पड़े।

(घ) यात्रा व्यय का कुछ हिस्सा भारत सरकार ने दिया था।

अफ्रीकी एशियाई देशों की परमाणु अस्त्रों से सुरक्षा

*72. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी और एशिया के अणु-शक्ति रहित देशों को पश्चिम के अणुशक्ति वाले देशों तथा रूस द्वारा परमाणु अस्त्रों से सुरक्षा की संयुक्त गारण्टी दिये जाने के बारे में प्रधान

मंत्री की हाल की लन्दन यात्रा के दौरान ब्रिटेन के प्रधान मंत्री को दिये गये सुझाव या प्रस्ताव के बारे में एशिया और अफ्रीका के अणुशक्ति-रहित देशों की सरकारों को बता दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) प्रधान मंत्री ने तो केवल एक आम समस्या सामने रखी थी और कहा था कि अणु-अस्त्र वाले प्रमुख देश अणु-अस्त्र-विहीन देशों को उनकी सुरक्षा के बारे में अगर विश्वास नहीं दिलाएंगे तो अणु-अस्त्रों के उत्पादन का खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए अणु अस्त्रों वाले देशों को—जो अणु-अस्त्रों का उत्पादन न करने की नीति का समर्थन करते हैं:—इस मामले पर विचार करना चाहिए और अणु-अस्त्र-विहीन देशों को, उनकी सुरक्षा के बारे में, विश्वास दिलाने के तरीके निकालने चाहिएं। इस बारे में सम्मिलित आण्विक गारंटी अथवा संरक्षण (शील्ड) देने के कोई विशेष प्रस्ताव नहीं रखे गए थे। इस सवाल के बारे में एशिया और अफ्रीका के अणु-अस्त्र-विहीन देशों से कोई बातचीत नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"न्यू एक्सिस"

*73. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि "न्यू एक्सिस" की स्थापना हो गई है जिसके फलस्वरूप इन्डोनेशिया, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के और निकट आ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख). सरकार ने तथाकथित "न्यू ऐक्सिस" की खबरें अख़बारों में देखी हैं। ये ख़बरें सम्भवतः हाल के महीनों में इंडोनेशिया, पाकिस्तान और चीन के बीच घनिष्ठता के संबंध होने पर आधारित हैं। इस प्रकार की कोई बात जब कभी भारत के हितों पर अपना कुप्रभाव डालती है, तो उस पर बराबर हमारी नज़र रहना स्वाभाविक ही है। जहां तक इंडोनेशिया का प्रश्न है, उस से हमारे संबन्ध मित्रतापूर्ण रहे हैं।

सिक्किम में चीनियों द्वारा अवैध प्रवेश

श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री रामनाथन् चेट्टियार :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री म० ला० द्विवेदी :

*74. श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री हेम बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री दलजीत सिंह :
श्री सेझियान :
श्री दे० जी० नायक :
श्री बड़े :
श्री चं० का० भट्टाचार्य :
श्रीमती रेणुका राय :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री किशन पटनायक :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रा० बरुआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री महेश्वर नायक :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1964 में चीनी सैनिकों ने अनेक बार सिक्किम

के राज्य क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश किया ;

(ख) क्या सिक्किम की सीमा पर चीनी सेना का कोई जमाव है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) चीनी सिपाही सिक्किम भु-क्षेत्र में दिसम्बर, 1964 में दो बार घुस आए थे।

(ख) जी हां ।

(ग) हमने सभी आवश्यक उपाय किए हैं और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए उस क्षेत्र में रक्षा के हमारे साधन पर्याप्त हैं।

परमाणु अस्त्रों से सुरक्षा

*75. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० गि० दुबे :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन द्वारा आणविक आक्रमण के खतरे से सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमरीका, रूस तथा ब्रिटेन से आश्वासन प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) चीन द्वारा आणविक आक्रमण से बचने के लिए आणविक संरक्षण (न्यूक्लीयर शील्ड) की व्यवस्था के संबंध में अणु-अस्त्रों वाले प्रमुख देशों के सामने कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है । लेकिन, अणु-अस्त्र-विहीन देशों के सामने जो ख़तरा है उसे मिटाने की जिम्मेदारी आज अस्त्रों वाले प्रमुख देशों द्वारा लेने का सवाल सामान्य रूप में उठाया गया है कि अणु-अस्त्रों वाले प्रमुख देश इस पर विचार करें।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

युद्धविराम रेखा के उल्लंघन की घटनायें

***76.**
श्री यशपाल सिंह :
श्री सं० मो० बनर्जी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प० ह० भील :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री हेमराज :
श्री रामचंद्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री अब्दुल ग़नी गोनी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री एइके :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विद्या चरण शुक्ल :

श्री मान सिंह पृ० पटेल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री राधेलाल व्यास :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् को पिछली बार सूचना दिये जाने के बाद जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध विराम रेखा तथा पूर्व में भारत-पाकिस्तान सीमा के उल्लंघन की कोई घटनाएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) पाकिस्तान द्वारा 24 दिसम्बर, 1964 से 15 फरवरी, 1965 तक की अवधि में जम्मू काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के 390 अतिक्रमण किए गए हैं। पाकिस्तान द्वारा हुए उल्लंघन के संबंध में पूर्ण जानकारी संबद्ध राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) जम्मू काश्मीर के उपरोक्त उल्लंघन अधिकतर पाकिस्तान द्वारा गोली चलाने, घुस-पैठ तथा अपनी रक्षा-स्थिति को सुदृढ़ करने के हैं।

(ग) पाकिस्तानी घुस-पैठ को सफलता से हटाने के उपाय किए गए हैं। जब आवश्यक समझा जाता है, हमारी सुरक्षा सेनाएं उत्तर में गोली चलाती हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रेक्षकों को शिकायतें भी भेजी जाती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० श्रीनिवासन :
*77. श्री परमशिवन :
श्रीमती अकम्मा देवी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हाल में एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो समारोह में किन-किन देशों ने भाग लिया ;

(ग) समारोह के दौरान किन किन भारतीय फिल्मों का और किन-किन भाषाओं में प्रदर्शन किया गया ;

(घ) उनका चुनाव किनके द्वारा तथा किस आधार पर किया गया; और

(ङ) उस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) समारोह में जिन देशों ने भांग लिया उनकी सूची सभा की मेज़ पर रखी जा रही है ।

(ग) समारोह में जो फिल्में दिखाई गई उनकी सूची सभा की मेज पर रखी जाती है ।
[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०-3814/65 ।]

(घ) प्रतियोगिता में भारतीय फ़िल्मों में दो फ़ीचर फ़िल्में "निर्जन सैकते" (बंगला) और "हकीकत" (हिन्दी) और दो छोटी फ़िल्में "लाहोल और स्पीती" (अंग्रेजी) और "एंड माइल्ज़ टू गो" (अंग्रेजी) दाखिल की गईं । "निर्जन सैकते" की सिफ़ारिश फ़िल्म फेडेरेशन आफ इंडिया ने, "हकीकत" और "लाहोल और स्फीति" की सिफारिश स्क्रीनिंग कमेटी ने, तथा "एंड माइल्ज़ टू गो" की सिफारिश समारोह के दो जूरियों ने की थी । जो फ़िल्में प्रतियोगिता की शर्तें पूरी करती थीं उन सब में ये फिल्में सबसे अच्छी नजर आईं, अतः सरकार ने इनकी सिफारिश मान ली । प्रतियोगिता से अलग दिखाने के लिये अंग्रेज़ी उप-शीर्षक के साथ बहुत कम भारतीय फिल्में उपलब्ध थीं । इसलिये इस क्रम में सरकार ने वे ही भारतीय फिल्में दिखाईं जो समारोह से पहले या उसके दौरान में अंग्रेजी उप-शीर्षक के साथ उपलब्ध थीं ।

(ङ) असल खर्च के आंकड़े अभी मालूम नहीं, खर्च का तखमीना तकरीबन 8·43 लाख है ।

प्रावेक्षण नियम

*78. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपने प्रावेक्षण नियमों को भारत में हाल में

2487(Ai) LS—4.

हुए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अवसर पर काफी ढीला कर दिया था ताकि विदेशी फिल्में इस में सम्मिलित हो सकें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रावेक्षण नियमों में दी गयी ढील अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के बाद भी जारी रहेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) यह अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह , फ़िल्म निर्माताओं की अंतर्राष्ट्रीय फेडेरेशन, पेरिस द्वारा मान्यता प्राप्त था और उसी संस्था के नियमों के अनुसार समारोह में दिखाई गई फिल्मों को औपचारिक सेंसर से छूट दी गई थी । फिर भी इनमें से अधिकतर फिल्में विशेष समिति को दिखाई गई थीं और इस बारे में उसकी राय मांगी गई थी कि ये फिल्में समारोह में दिखाने के योग्य हैं या नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

Sheikh Abdullah's Visit Abroad

*79. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Yashpal Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri P.C. Borooah :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Inder J. Malhotra :
Shrimati Ramdulari Sinha :
Shri D.D. Mantri :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Dr. L.M. Singhvi :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Sheikh Abdullah and his associates have been issued passports to go abroad ;

(b) if so, the object of their tour ;

(c) the countries which they are expected to visit; and

(d) the foreign exchange involved therein ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) : (a) Yes, Sir. Passports have been issued to Sheikh Abdullah and four persons accompanying him.

(b) The object is Haj pilgrimage. In addition, Sheikh Abdullah would like to visit his sons studying in England, and Mirza Mohd. Afzal Beg seek medical check-up and treatment.

(c) Their passports have been endorsed for Saudi Arabia, Iran, Iraq, Jordan, UAR, Aden, Lebanon, Afghanistan and Algeria and for all countries of Europe including U.K., Turkey and USSR but excluding Portugal.

(d) Government sanctioned the usual amount of Rs. 1,000 per head for Haj pilgrimage and Rs. 6,000 per head for visiting other countries.

टेल्को में हड़ताल

*80. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री व० बा० गांधी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने जमशेदपुर की टाटा इंजीनियरिंग तथा रेलवे इंजन कारखाने में दिसम्बर, 1964 में हुई हड़ताल और तालाबन्दी को अवैध घोषित किया था ;

(ख) क्या इस बीच श्रमिक काम पर वापिस आ गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो कब ;

(घ) वहां कितने दिन काम रुका रहा और काम रुकने के परिणामस्वरूप दैनिक उत्पादन में कुल कितनी हानि हुई ; और

(ङ) क्या सरकार ने इस घटना के कारणों की कोई जांच की है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) यह पता चला है कि इस संबंध में बिहार सरकार द्वारा कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई ।

(ख) जी हां ।

(ग) 28 दिसम्बर, 1964 को ।

(घ) कामबन्दी 16 से 27 दिसम्बर, 1964 तक रही । इस अवधि में 668 ट्रकों के उत्पादन के नुकसान की रिपोर्ट मिली है ।

(ङ) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

चीन द्वारा भूटान पर आक्रमण

*81. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 दिसम्बर, 1964 के बाद चीन ने भूटान तथा हिमालय के अन्य सीमावर्ती राज्य क्षेत्र पर कोई सशस्त्र आक्रमण किया है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) चीन के इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) उनका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) 24 दिसम्बर 1964 के बाद सिक्किम में चीनियों द्वारा घुसपैठ करने की कुछ वारदातें हुई हैं। चीन ने भूटान में सशस्त्र हमला नहीं किया है । भारत प्रदेश पर भी हाल में कोई हमला नहीं हुआ है ।

(ख) 25 दिसम्बर 1964 को दो सशस्त्र चीनी कर्मचारी सिक्किम में घुस आए और 26 दिसंबर 1964 को तीन सशस्त्र चीनियों का एक दल नाथू-ला दर्रे के पास सिक्किम की सीमा में घुस आया। 19 जनवरी 1965 को 30 सशस्त्र चीनी सैनिक कोंगरा-ला पार कर के सिक्किनम में घुस आए।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने चीनी सैनिकों की उत्तेजनात्मक सैनिक कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ चीन सरकार को कठोर विरोध पत्र भेजे हैं। ये पत्र समाचार-पत्र वालों को दे दिये गए हैं। सरकार सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी हर सम्भव उपाय बरत रही है।

चलचित्र निर्माताओं को प्रोत्साहन

82 { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुप्रसिद्ध चल-चित्र निर्माताओं को अच्छे समाजिक चलचित्रों के निर्माण के लिये क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ निर्माता धन संबंधी कठिनाइयों के कारण अच्छे चलचित्र नहीं बना पाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस चीज को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) शैक्षणिक और सांस्कृतिक महत्व की ओर कला तथा शिल्प की दृष्टि से ऊंचे दर्जे की फ़िल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने फिल्मों पर राजकीय पुरस्कार देना शुरू किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना इसलिये की है कि अच्छी फिल्में बनाने के लिये वह फिल्म उद्योग को धन और अन्य सुविधायें देकर या दिला कर उसको सहायता और बढ़ावा दें।

लंका में रोके गये भारतीय आप्रवासी

*83. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उद्भव के अवैध रूप से आए हुए कुछ आप्रवासियों को तथा ऐसे आप्रवासियों को जो लंका में अपने वीसा की अवधि समाप्त होने के बाद ठहरे हुए हैं शिविरों में रोक लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने आप्रवासी हैं; और

(ग) लंका सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 440।

(ग) श्रीलंका सरकार इनमें से उन लोगों को भारत भेजने का प्रबन्ध कर रही है जो भारतीय राष्ट्रिक हैं।

भारत-चीन सीमा विवाद

*84. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरिश्चन्द्र मार :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री का० ना० तिवारी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री हेम बरुआ :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री सरजू पांडेय :
श्री गुजराल :
श्री बसुमतारी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पीकिंग में दिसम्बर, 1964 में दिए गए चीन के प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत सरकार का यह मांग करने का रवैया अत्यन्त अनुचित है कि चीन समझौता वार्ता से पहले उन सात असैनिक चौकियों से पीछे हट जाये जो पश्चिमी भाग के चीनी प्रदेश में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने 31 दिसंबर, 1964 को एक बयान दिया था जिस में चीनी प्रधान मंत्री के बयान के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया बताई गई थी । इस प्रवक्ता के बयान की एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

विवरण

पीकिंग में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में श्री चाऊ-एन-लाई ने जो भाषण दिया था, भारत सरकार ने उसकी खबरें देखी हैं । चीन के प्रधान मंत्री ने जिस स्वर में और जिन शब्दों में

भारत की चर्चा की वह चीन की आक्रामक प्रवृत्ति और उसके घमंड को दिखलाता है । कोलंबो प्रस्तावों को न मान कर चीन ने सीमा के सवाल पर बातचीत के दरवाज़े बहुत पहले ही बन्द कर दिये थे । श्री चाऊ-एन-लाई ने अब जो कुछ किया है वह बंद दरवाजे को कुंडी-चटकनी लगा कर बिल्कुल बंद कर देने के समान है ।

चीन के प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि लद्दाख के विसैन्यीकृत क्षेत्र में किसी भी पक्ष की चौकियां न होने को आधार बना कर दोनों देशों में बातचीत करने का सुझाव "भारत की अनुचित पूर्व शर्त" है और चीन इस क्षेत्र से अपनी चौकियां नहीं हटाएगा । यह तथ्यों को उलटकर रखना है तथा दुराग्रह की प्रवृत्ति को और आक्रमण कर के उन्होंने जो कुछ हथिया लिया है उसे दबाए रखने के उनके निर्णय को प्रकट करता है । सभी यह जानते हैं कि चौकियां हटाने का मुझाव भारत ने नहीं दिया था, बल्कि एक तीसरी और निष्पक्ष पार्टी ने दिया था । इनके प्रति भारत की प्रतिक्रिया स्वीकारात्मक थी क्योंकि वह चीन से बातचीत शुरू करना चाहता था । श्री चाऊ-एन-लाइ ने इस रचनात्मक सुझाव को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और कोलंबो प्रस्तावों की ओर से मुंह फेर लिया है । उनका भाषण गुटों से अलग 6 राष्ट्रों के कोलंबो प्रस्तावों पर आखिरी बार मालूम पड़ता है ।

सारे संसार को यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि सीमा समस्या पर बातचीत के रास्ते में जो बात आड़े आ रही है वह भारत की तथाकथित पूर्व शर्तें नहीं बल्कि चीन की हठ-धर्मी और उसका घमंड है । चीन के प्रधान मंत्री और आगे बढ़ गए हैं, और चीन ने लद्दाख में अवैध रूप से जिस 14,500 वर्गमील प्रदेश पर कब्ज़ा कर रखा है उस के अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र में 90,000 वर्ग किलो-मीटर भारतीय प्रदेश पर उन्होंने चीन के विचित्र दावों को फिर दोहराया है । यह इस बात को प्रकट करता है कि चीन की ज़मीन हड़पने की भूख अभी शांत नहीं हुई है और शांति पूर्ण समाधान की उसे कतई इच्छा नहीं है । भारत इन आक्रामक मांगों से डरेगा नहीं जिन्हें कि उसने साफ-साफ शब्दों में अस्वीकार किया है । फिर भी, चीन अगर अपना दुराग्रही रवैया छोड़ दे और कोलंबो प्रस्तावों के आधार पर बातचीत करना स्वीकार कर ले तो भारत सरकार चीन के साथ बातचीत करने को तैयार है ।

छिपे हुए नागाओं की प्रार्थना

*85. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे हुए नागाओं के प्रतिनिधियों ने विद्रोही नागा नेता श्री फिजो से परामर्श करने के लिए लन्दन जाने की सरकार से अनुमति मांगी है या शांति वार्ता में

भाग लेने के लिए मि० फिजो को भारत आने के लिए "सेफ कन्डेक्ट" देने के लिए प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) छिपे नागाओं ने अपने प्रतिनिधि लंदन भेजने की अनुमति सरकार से नहीं मांगी है और न श्री फ़िज़ो के "सेफ़ कन्डक्ट" की प्रार्थना की है ताकि वे भारत आ सकें ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वाणिज्यिक प्रसारण

*86. {
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री कोया :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 30 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 266 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी से वाणिज्यिक प्रसारण चालू करने के प्रश्न पर क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : इस प्रस्ताव पर अभी छानबीन और विचार चल रहा है ।

Stamp Collecting Facilities

120. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the letter published in the 'Hindustan' dated 13th January, 1965 in which a demand has been made for facilities for stamp collecting;

(b) if so, the Government's reaction thereto ;

(c) the facilities which exist for stamp collectors at present; and

(d) the further facilities contemplated to be provided ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri B. Bhagavati) : (a) Yes, Sir.

(b) The suggestions made therein will be examined.

(c) First Day Covers and new issues of stamps can be obtained by stamp-collectors on payment of face value across the counter and/or by post against orders which besides face value of stamps etc., should include postage, registration fee, etc.

(d) It is proposed to introduce a deposit account system to enable Collectors to obtain their requirements of new stamps without having either to call at the counter or send remittances each time.

चलचित्र सम्बन्धी सलाहकार समिति

121. { श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पांडेय : }

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय और प्रादेशिक चलचित्र सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पुनर्गठित समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) पुरानी समिति के सदस्यों की मियाद समाप्त हो चुकी थी ।

(ग) नये सिरे से बनाई गई समितियों के सदस्यों के नाम साथ लगाये गये विवरण में दिये गये हैं ।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०—3815/65 ।]

अम्बाला छावनी बोर्ड के चुनाव

122. **श्री चुन्नी लाल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 अक्तूबर, 1964 को हुए अम्बाला छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें चुनाव में की गई कुछ अनियमितताओं के आरोप लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) उपाध्यक्ष के चुनाव को अवैध घोषित करने के लिये सरकार द्वारा कार्यवाही करने का कोई विचार नहीं है । असन्तुष्ट दल अदालत में कष्ट निवारण के लिये जा सकते हैं ।

कर्मचारी प्रतिकर नियम

123. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश कर्मचारी प्रतिकर (व्यावसायिक) रोग-न्यूमोकोनिओसिस नियम, 1964 अन्तिम रूप से तैयार हो गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) उक्त नियम कब तक तैयार हो जायेंगे और कब से लागू होंगे ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने सूचना दी है कि नियमों के संबंध में प्राप्त रायों पर विचार किये जाने के तुरन्त ही पश्चात् नियमों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

चीनी उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

124. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री सभा पटल पर यह विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार चीनी के कारखानों के कर्मचारियों से सम्बंधित इस बात के बारे में कि वे उचित हैं या नहीं अब तक राज्यवार कितने विवाद अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के विवादों को निबटाने के लिये किस प्रकार की संविहित अथवा गैर-संविहित व्यवस्थाएं की गई हैं ; और

(ग) गैर-संविहित समितियों के सदस्यों की एक राय न होने की स्थिति में इस प्रकार के विवादों को निबटाने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) से (ग). जानकारी राज्य सरकारों से प्राप्त की जा रही है जिनके द्वारा कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित की जा रही हैं ।

अनुसंधान तथा विकास संगठन

126. **श्री मानवेन्द्र शाह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकाल की घोषणा होने के पश्चात् अनुसंधान तथा विकास संगठन में वैज्ञानिकों के कितने नये पद मंजूर किये गये ;

(ख) आपातकाल के बाद इस संगठन के आयव्ययक की राशि में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) इस संगठन द्वारा किये गये अंशदान अथवा आविष्कार क्या हैं ;

(घ) इस संगठन की स्थापना के बाद इसके कर्मचारियों की संख्या में कितनी वृद्धि की गयी है ; और

(ङ) क्या इस संगठन में कोई विदेशी भी सेवा कर रहे हैं ; और यदि हां, तो किन पदों पर ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) 26 ।

(ख) 365.30 लाख रु० ।

(ग) इस सम्बंध में मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

माउन्टेन गन, अर्ध स्वचालित राइफलें, अपने आप भरी जाने वाली पिस्तौल, एक नये प्रकार की टैंक तोड़ने वाली 'माइन', हल्के वज़न के अग्र क्षेत्र में प्रयोग किये जाने वाले वी० एच० एफ० संचार सैट, "एन्टी एयरक्राफ्ट गन' के लिये एक प्रिसीज़न जैनेरेटर सहित विभिन्न प्रकार के जैनेरेटर सैट, पूर्व निर्मित ले जाने योग्य झोंपड़ी, कौलप्सेबल एसोल्ट बोट और अल्यूमीनियम का तैरने वाला पुल, अधिक ऊंचाई पर खाने के लिये निर्जलित खाद्य पदार्थ, जंगरोक रंग, 5-व्यक्ति कोम्पो पैक राशन और सर्वाईवल राशन आदि ।

(घ) अनुसंधान तथा विकास संगठन के जनवरी, 1958 में स्थापित किये जाने के बाद से इसमें लगभग 6,434 कर्मचारियों की वृद्धि हुई है ।

(ङ) जी नहीं ।

सीमेंट उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

127. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग संबंधी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) क्या बोर्ड को अन्तरिम सहायता की सिफारिश करने के लिये कहा गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) और (ख). जी हां सितम्बर, 1964 से ।

(ग) बोर्ड अन्तरिम सहायता के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

तिब्बती शरणार्थी

128. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने रेडियो ल्हासा से फिर से ऐसा प्रचार बढ़ा दिया है कि तिब्बती शरणार्थी स्वदेश लौट जायें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जान पड़ता है कि तिब्बती शरणार्थियों के लिये चीन की अपील का अभिप्राय यह है कि वहां के लोगों को यह मालूम हो सके कि तिब्बत में हालत सामान्य और अच्छी है और भारत में वे ऐसे अच्छे नहीं हैं जहां चीन के अत्याचार के कारण तिब्बतियों ने शरण ली है । तिब्बती शरणार्थी जो भारत में हैं और जिन्हें फिर से बसाने के लिये भारत सरकार सहायता दे रहा है, इस प्रचार से धोखा नहीं खा रहे हैं ।

काश्मीर में रेडियो-सक्रिय धूल

129. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन द्वारा किये गये आणविक विस्फोट से उत्पन्न होने वाले रेडियो-सक्रिय धूल के कण दिसम्बर, 1964 में काश्मीर में हुए भारी हिमपात में पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम श्रम जांच

130. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री 30 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 672 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्राम श्रम जांच समिति का प्रतिवेदन मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) जांच अभी हो रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में राष्ट्रमंडलीय राजनैतिक दल

131. **श्री ज० ब० सिंह :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक राष्ट्रमंडलीय राजनैतिक दल के निर्माण सम्बन्धी अपने प्रयास के बारे में भारत से समर्थन की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) ब्रिटेन की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक राष्ट्रमंडलीय राजनैतिक दल के निर्माण संबंधी अपने प्रयास के बारे में भारत सरकार से समथन की मांग नहीं की है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सोवियत प्रधान मंत्री को आमंत्रण

132. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ के प्रधान मंत्री ने भारत आने का आमंत्रण वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन के कब आने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। सोवियत संघ के प्रधान मंत्री ने भारत के निमन्त्रण को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

(ख) दौरे की तारीखें अभी निश्चित नहीं की गई हैं और राजनयिक स्तर पर बातचीत कर के तय की जायेंगी।

चीन द्वारा दूसरे अणु बम का विस्फोट

133. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन द्वारा जनवरी, 1965 में जो दूसरे अणु बम के विस्फोट की तैयारी की चर्चा थी तो क्या वास्तव में उसने दूसरे अणु बम का विस्फोट कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में वायुमंडलीय वातावरण पर इस रेडियो सक्रिय धूल का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस आणविक विस्फोट के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

चीन से विरोध-पत्र

134. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में चीन ने भारत के साथ पुन: एक सचमुच का "विरोध-पत्रों का युद्ध" आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनवरी, 1965 के बाद प्राप्त होने वाले ऐसे पत्रों की प्रतियां सभा-पटल पर रखने का है; और

(ग) इनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) यह सच है कि हाल ही में चीन ने कई विरोध-पत्र भारत सरकार को भेजे हैं। इन विरोध-पत्रों में भारत के विरुद्ध कई निराधार आरोप लगाये गये थे जिन में कई पुराने आरोपों को दोहराया गया था। यह पत्र चीन सरकार के भारत विरोधी प्रचार का ही अंग है।

(ख) और (ग). सरकार श्वेत-पत्र —11 को सभा-पटल पर रखने का विचार कर रही है जिन में चीन सरकार के हाल के पत्र तथा उन पर भारत के उत्तर शामिल हैं।

राष्ट्रीय रक्षा परिषद्

135. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद् को पुनर्गठित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पुनर्गठित परिषद् के सदस्य कौन कौन होंगे ?

प्रधान मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). पहले राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद् का गठन 6 नवम्बर, 1962 को किया गया था। निर्णय यह हुआ था कि इस परिषद् की पदावधि 2 वर्ष हो। क्योंकि यह अवधि समाप्त हो चुकी है इसलिये इसका पुनर्गठन हाल ही में किया गया।

(ग) पुनर्गठित परिषद् की रचना इस प्रकार है :—

प्रधान मंत्री—सभापति
श्री गुलजारी लाल नन्दा
श्री ति० त० कृष्णमाचारी
श्रीमती इन्दिरा गांधी
सरदार स्वर्ण सिंह
श्री यशवन्तराव चह्वाण
श्री गु० मु० सादिक, जम्मू-काश्मीर के प्रधान मंत्री।
श्री निजलिंगप्पा, मैसूर के मुख्य मंत्री।
श्री राम कृष्ण, पंजाब के मुख्य मंत्री।
श्रीमती सुचेता कृपलानी, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
श्री प्र० चं० सेन, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री।
श्री बि० प्र० चालिहा, असम के मुख्य मंत्री।
चीफ आफ् आर्मी स्टाफ
चीफ आफ् नेवल स्टाफ
चीफ आफ् एयर स्टाफ
लै० जनरल—संत सिंह

जै० जनरल—एस० पी० पी० थोरट, ए-सी, डी-एस-ग्रो

श्री कामराज नाडार

श्री अशोक मेहता

श्री अतुल्य घोष

श्री फ्रैंक एन्थनी

महाराजा पटियाला

श्री एस० एस० खेड़ा

डा० एच० जे० भाभा

डा० डी० ऐस० कोठारी

मंत्रिमण्डल सचिव

प्रतिरक्षा सचिव

प्रतिरक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार

उपरिलिखित मुख्य मंत्रियों के अतिरिक्त जिनके नाम ऊपर नहीं दिये गये इस परिषद् की बैठकों में भाग ले सकेंगे यदि वह उस समय दिल्ली में हों और इस परिषद् की बैठक हो रही हो ।

'प्रावदा' में प्रकाशित समाचार

136. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जनवरी, 1965 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "भारत में एकाधिकारों की प्रावदा द्वारा आलोचना" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित प्रेस समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। भारत सरकार को 'प्रावदा' में छपे उस लेख की जानकारी है जिस में भारत में एकाधिपत्यों की आलोचना की गई है ।

(ख) दिल्ली तथा मास्को में स्थित दूतावासों के द्वारा रूस सरकार से इस मामले पर बातचीत की गई थी। रूस सरकार ने बताया है कि 'प्रावदा' के लेख में व्यक्त किये गये विचार उनकी सरकार के विचार नहीं हैं ।

Portuguese Colonies

137. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state whether Government contemplate to convene any special conference of Afro-Asian countries with a view to extend active help to the people of Portuguese colonies in Africa in their liberation struggle ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारत सरकार सदा ही उपनिवेशवाद का विरोधी रही है और हम ने सदा ही पुर्तगाली उपनिवेशी शासन के विरुद्ध चल रहे जनता के उत्साहपूर्ण संग्राम के पक्ष में आवाज उठाई है। यह मामला काहिरा में हुए तटस्थ सम्मेलन में भी विचाराधीन था जहां भारत ने जनता की लड़ाई का समर्थन किया था और यह समर्थन अल्जियर्स में होने वाले अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में भी किया जाता रहेगा।

ब्रिटिश उपनिवेशों को स्वतंत्र करना

138. **श्री मधु लिमये :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मारिसश गायना, फ़िजी, आदि ब्रिटिश उपनिवेशों में रहने वाले भारत मूलक लोगों की बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन की सरकार से यह अनुरोध करना आवश्यक नहीं समझती है कि इन उपनिवेशों को तुरन्त स्वतन्त्रता दे कर वहां प्रजातन्त्रीय सरकार बनाई जाये ;

(ख) क्या इस समस्या के बारे में राष्ट्रमंडल के अन्य देशों को अवगत कराया गया है ; और

(ग) क्या ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने हाल म ब्रिटेन की सरकार को कोई ज्ञापन भेजा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संस्था तथा अन्य स्थानों पर मारिसश, गिन्नी, फिजी, आदि ब्रिटिश उपनिवेशों के वासियों को बिना विलम्ब स्वतन्त्रता दिये जाने के पक्ष में अपने विचार बार बार व्यक्त किये हैं। ब्रिटेन तथा राष्ट्रमंडल के दूसरे देश भारत के इन विचारों से पूरी तरह परिचित हैं। इसलिये भारत सरकार इस सम्बन्ध में कोई विशेष ज्ञापन ब्रिटिश सरकार को भेजना आवश्यक नहीं समझती।

(ख) जी नहीं।

Japanese Consulate in Madras

139. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Japanese Government propose to open a new consulate in Madras; and

(b) the assistance to be given by Government in this regard ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। भारत सरकार को जापान सरकार से मद्रास में एक वाणिज्य दूतावास स्थापित करने का कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

रोजगार सेवा में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी केन्द्रीय संस्था

140 { श्री अमोघ हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दे० द० पुरी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री दिल्ली में रोजगार सेवा में अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना से सम्बन्धित 23 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 154 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस संस्था की स्थापना के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त हो सकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ; और

(ग) क्या इस संस्था पर होने वाले व्यय के पूरा करने के लिए यह सहायता पर्याप्त होगी ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया): (क) और (ख). जी हां। फोर्ड फाउन्डेशन ने निम्नलिखित के लिए कुल 295,000 डालरों का अनुदान दिया है ;

(1) 2 वर्षों की अवधि के लिये चार विदेशी परामर्श दाता ।

(2) 6 विदेशी प्रशिक्षण छात्रवृत्तियां राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अधिकारियों के लिये ।

(3) फाउन्डेशन के लिये कुल 28,000 डालरों की पुस्तकें तथा उपकरण ।

(ग) जी नहीं। प्रविधिक, प्रशासनिक, अनुसचिवीय तथा दूसरे कर्मचारीवृन्द, स्थानीय करणों को सप्लाई आदि पर किया जाने वाला सारा व्यय भारत सरकार करेगा ।

Flag Day

14. { **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Flag Day was observed in Delhi and other places on the 7th December, 1964;

(b) if so, the amount collected from Delhi ; and

(c) how it will be utilised ?

The Deputy Minister of Defence (Dr. D.S. Raju) : (a) Yes, Sir.

(b) The total amount collected from Delhi will only be available in the first week of July, 1965, as the accounts of the Flag Day Fund 1965 are kept open from the 1st July, 1964 to the 30th June, 1965.

(c) The amount is utilised for the welfare of ex-servicemen and their families and for provision of amenities to serving personnel of the Armed Forces.

Military Training Colleges

142. { **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Military Training Colleges set up after the Chinese aggression in 1962 ; and

(b) the annual expenditure incurred on them ?

The Deputy Minister of Defence (Dr. D. S. Raju) : (a) The number of military training institutions set up after the Chinese aggression is 16.

(b) The information is not readily available. It is being secured and will be placed on the Table of the House.

सरकारी विद्युत् उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस

143. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसार सरकारी विद्युत् संभरण उपक्रमों के कर्मचारी बोनस प्राप्त करने के हकदार हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे उपक्रमों ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) बोनस आयोग ने जिस बोनस फार्मूले की सिफारिश की है वह उन्हीं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होती हैं जो विभाग द्वारा नहीं चलाये जाते तथा जो सरकारी क्षेत्र के ऐसे ही उपक्रमों से उतनी प्रतिस्पर्धा रखते हैं जितनी आयोग की रिपोर्ट में बतलाई गयी है ।

(ख) और (ग). सरकार द्वारा स्वीकृत बोनस आयोग की सिफाशों को लागू करने के लिए विधान पुरःस्थापित करने का विचार है । इनको न मानने के मामले बाद में निपटाये जा सकते हैं ।

इलैक्ट्रॉनिक संचार उपकरण

144. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत के प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये इलैक्ट्रॉनिक संचार उपकरण के संभरण के लिये अमरीका के रेडियो निगम के साथ एक समझौता हुआ है ; और

2487 (Ai) L.S.S.

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). अमरीका के मैसर्स रेडियो कारपोरेशन के साथ एक करार हुआ है जिसके अधीन लाइसेंस मिलने पर प्रतिरक्षा कार्यों के लिये पर्याप्त विशेष प्रकार के बेतार संचार उपकरणों का निर्माण किया जायेगा ।

करार में टेक्नीकल, जानकारी, साजसामान, कच्चा माल, विभिन्न पुर्जे, औजार, जिग्स आदि के सम्भरण की व्यवस्था है जो परीक्षण करने के साज सामान के निर्माण तथा उनका निरीक्षण के लिये आवश्यक होगा ।

सैनिक स्कूल

145. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिये अब तक कितने हरिजन विद्यार्थियों को चुना गया है ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को कोई रियायतें दी जाती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) कुंजपुरा सैनिक स्कूल में केवल 3 अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हैं और कपूरथला में कोई विद्यार्थी नहीं है ।

(ख) और (ग). अनुसूचित जातियों आदिम जातियों के उम्मीदवारों को योग्यता अंक प्राप्त करने पर योग्यता सूची में उनके क्रम का ध्यान रखे बिना सैनिक स्कूल में दाखिल कर लिया जाता है यही विशेष रियायत की जाती है।

होशियारपुर जिले में डाकघरों की इमारतें

146. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के होशियारपुर जिले में नांगल बांध तथा अन्य स्थानों पर डाकघरों की इमारतें बनाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) ये इमारतें कब तैयार हो जायगी ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) नांगल बांध तथा नांगल क्षेत्र में डाकघरों की इमारतों के निर्माण के लिये नांगल उर्वरक प्राधिकारियों से उचित प्लाट प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त गढ़शंकर तथा दसुइया डाकघरों की इमारतों के लिये भी भूमि प्राप्त कर ली गई है । गड्डीवाला, मुकेरिया, उरमुर, महिलपुर, पुरहीरान, बालाचौर, सैला खुर्द, गगरेट, बेरियां कलां, सरहाला कलां तथा आनन्दपुर साहिब के लिये भूमि प्राप्त की जा रही है। भूमि प्राप्ति के लिये कार्यवाही यथा समय पूरी हो जायगी ।

(ख) मुकेरिया के डाकघर की इमारत बन चुकी है और होशियारपुर के मुख्य डाकघर की इमारत को बढ़ाने तथा परिवर्तन करने के काम हाल ही में पूरे हो पाये हैं। यह डाकघर, नवनिर्मित इमारतों में कार्य कर रहे हैं। गढ़शंकर तथा दसुइया डाकघरों की इमारतों का निर्माण कार्य आवश्यक कार्य पूरे होने पर आरम्भ कर दिया जायेगा।

प्रेस परिषद्

147. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय पत्रिकाओं तथा छोटे समाचारपत्रों संबंधी सलाहकार समिति ने प्रस्तावित प्रैस परिषद् में छोटे समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में प्रतिनिधित्व की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस पर क्या निर्णय है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख). अखिल भारतीय पत्रिकाओं तथा छोटे समाचारपत्रों सम्बन्धी सलाहकार समिति द्वारा जनवरी, 1964 में पारित प्रस्ताव की एक प्रति सरकार को मिली है जिसमें भारत सरकार से प्रेस परिषद् में पत्रिकाओं और छोटे समाचारपत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रेस परिषद् विधेयक, 1963, जो 26 नवम्बर, 1963 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था, की धारा 4 की उप-धारा (3) (4) और (5) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। विधेयक में दैनिक पत्रों और पत्रिकाओं या छोटे समाचारपत्रों में कोई भेद नहीं है और प्रैस परिषद् में छोटे समाचारपत्रों का भी प्रतिनिधित्व होने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। इन को समुचित प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर ध्यान प्रथमत: पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधि संगठनों द्वारा नामों की सूची प्रस्तुत करते समय और धारा 4(4) में उल्लिखित समिति द्वारा चुनाव करते समय रखा जा सकता है। विधेयक के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार प्रेस परिषद् के सदस्यों को चुनने से भारत सरकार का कोई वास्ता नहीं ।

विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था और समिति ने 17 फरवरी, 1965 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ।

भूटान की विकास योजनायें

148. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने भूटान को उसके विकास की योजनाओं की क्रियान्विति के लिये आवश्यक वित्तीय तथा प्रौद्योगिकीय सहायता देने का आश्वासन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां ।

(ख) 1961–66 की पंचवर्षीय अवधि में भूतान की आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजना के लिये 17.47 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । इसके लिये भूतान सरकार 25 लाख रुपये तक योगदान देगी और शेष राशि भारत सरकार द्वारा दी जायेगी । 30 नवम्बर 1964 तक इन योजनाओं पर कुल 7.13 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके थे । कई श्रेणियों के टेकनीकल कर्मचारी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा भूतान में सेवा के लिये उपलब्ध किये जायेंगे । इनमें इंजीनियर, ओवरसीयर, डाक्टर, कृषि विशेषज्ञ आदि शामिल हैं । भारत का भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग खनिज पदार्थों को ढूंढने के लिये सर्वेक्षण कर चुका है और इसी प्रकार माइक्रो-हाईडिल योजनाओं के लिये जांच कार्य आरम्भ कर दिया गया है । भारत सरकार भारत में अध्ययन के लिये भूतानी छात्रों को टेक्नीकल तथा दूसरे विषयों की पढ़ाई के लिये छात्रवृतियां देता जा रहा है ।

नई पहाड़ी बन्दूक

149. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवेषणा तथा विकास संगठन ने एक नई पहाड़ी बन्दूक बनाई है ;

(ख) क्या इन बन्दूकों का उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ग) सेना के लिये ऐसी कितनी बन्दूकों की आवश्यकता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) तथा (ख). जी हां ।

(ग) जानकारी देना जनहित में नहीं है ।

ब्रिटेन के प्रतिरक्षा मंत्री की यात्रा

150. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम राज :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री प्र० के० देव :
श्री गुलशन :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में वर्तमान राजनैतिक स्थिति के संदर्भ में भारत ब्रिटिश प्रतिरक्षा सहायता के प्रश्न पर बातचीत करने के लिये ब्रिटेन के प्रतिरक्षा मंत्री हाल ही में दिल्ली आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख). ब्रिटेन के प्रतिरक्षा मंत्री हाल ही में भारत नहीं आये थे । श्री आर० मुले प्रतिरक्षा मंत्री (स्थल सेना) मलेशिया से ब्रिटेन जाते हुए दिल्ली में एक दिन रुके । उन्होंने सदाचार के नाते प्रतिरक्षा मंत्री से भेंट की । वह अपने दिल्ली में रुकने के समय प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री तथा चीफ आफ आर्मी स्टाफ से भी मिले थे ।

बिना लाइसेंस के रेडियो

151. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले चार महीनों में दिल्ली में बिना लाइसेंस के कितने रेडियो सैट पकड़े गये ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): 1771 (अक्तूबर 1964 से जनवरी 1965 तक)

Mal-Treatment of Indians in British Guiana and Fiji

152. Shri Kishen Pattnayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have sent any letters of protest to the Government of British Guiana and Fiji, regarding the maltreatment of Indians residing there ; and

(b) if so, the nature there of ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). भारत सरकार को अपने प्रतिनिधि से तथा अन्य स्रोतों से ब्रिटिश गिनी में रहने वाले भारतीयों पर हिंसात्मक कार्यवाहियों की रिपोर्ट मिली हैं फिजी से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। यह लोग भारत के राष्ट्रीय नहीं अतः हमारे प्रतिनिधि द्वारा विरोध प्रकट करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया ।

अणुशक्ति संस्थान, ट्राम्बे

153. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पट्टनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अणुशक्ति संस्थान, ट्राम्बे पर इसकी स्थापना से ले कर अब तक प्रतिवर्ष कितना खर्च हुआ है ;

(ख) (एक) प्रशासन, (दो) भवनों तथा उनकी साज-सजावट, (तीन) अनुसंधान कार्य के लिये आवश्यक मशीनों तथा अन्य उपकरणों पर प्रत्येक वर्ष कितनी राशि खर्च हुई ;

(ग) संस्थान में किन किन श्रेणियों के कर्मचारी हैं ; और प्रत्येक श्रेणी में कितने-कितने कर्मचारी हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इस विभाग में अनुत्पादी मदों पर अपेक्षाकृत अधिक राशि खर्च हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी स्थिति को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) से (ग). एक विवरण जिसमें मांगी गयी जानकारी दी गई है सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । संख्या एल० टी०** 3816/65 ।]

(घ) नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रादेशिक सेना

154. { **श्री हेम राज :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री महेश्वर नायक : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सेना को बढ़ाने के लिये कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : 15 वर्षों के अनुभव अर्थात् जब से प्रादेशिक सेना स्थापित की गई थी तब से अब तक इस के संगठन आदि पर विचार किया जा रहा है ताकि इसकी उपयोगिता को और बढ़ाया जा सके ।

गणराज्य-दिवस में परेड के लिये प्रवेश-पत्र

155. { **श्री शिव नारायण :**
श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :
डा० सरोजिनी महिषी :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री दि० सिं० चौधरी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री ज० ब० सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री खाडिलकर :
श्री शं० शा० मोरे : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 की गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिये कितने प्रवेश-पत्र जारी किये गये ;

(ख) ये प्रवेश-पत्र किस आधार पर दिये जाते हैं ; और

(ग) निम्नलिखित व्यक्तियों को कितने प्रवेश-पत्र जारी किये गये :—

(एक) संसद् सदस्यों और उनके मेहमान ;

(दो) प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकारी ;

(तीन) भारत सरकार के अधिकारी ; और

(चार) सरकारी निकाय और अन्य संस्थाएं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) 25,657 (45,839 स्थानों के लिये) ।

(ख) इस साल गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिये इन को प्रवेश पत्र जारी किये गये थे : केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव, संसद् सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, योजना आयोग के सदस्य, राजनयिक प्रतिनिधि, दिल्ली

नगर निगम के कौंसिलर इत्यादि । जहां तक असैनिक अधिकारियों का सम्बन्ध है, अवर सचिव से ऊपर के स्तर के अधिकारी बुलाये गये थे। प्रतिरक्षा सेनाओं में मेजर तथा उस के बराबर के रैंक आफ़ीसरों को प्रवेश पत्र जारी किये गये थे। 50 प्रतिशत कैपटेन भी बुलाये गये थे। कर्मचारी कौंसिलों तथा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों को भी प्रवेश पत्र जारी किये गये थे। जहां तक गैर-सरकारी लोगों का संबंध था सरकार का लक्ष्य था कि उपलब्ध स्थान का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक लोगों को प्रवेश पत्र जारी किये जायें । दिल्ली में विदेशों से आने वाले लोगों तथा अन्य नगरों से आने वालों को प्राथमिकता दी गई थी। दिल्ली निवासियों को दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचियों के आधार पर प्रवेश पत्र जारी किये गये थे।

(ग) उन स्थानों की संख्या जिन के लिये प्रवेश पत्र जारी किये गये इस प्रकार है :—

(1) संसद् सदस्य . .	864
इनके अतिथि . .	5716
(2) प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकारी .	191
असैनिक अधिकारी सशस्त्र सेनाहेडक्वार्टस	506
तथा अन्तः सेवा संघटन के प्रतिरक्षा अधिकारी	4,808
(3) भारत सरकार के अधिकारी (प्रतिरक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त .	9,411
(4) दिल्ली नगर निगम के कौंसिलर . .	167
दिल्ली नगर निगम के अधिकारी (इस में डी० टी० यू० तथा डी० ई० एस० यू० के अधिकारी भी हैं)	810
नई दिल्ली नगर पालिका के सदस्य . .	12
नई दिल्ली नगर पालिका के अधिकारी .	54
नई दिल्ली निर्वाचक गण के सदस्य .	16
दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागों के मुखिया आदि .	493
दिल्ली प्रशासन के अधिकारी .	1,026
(5) गैर-सरकारी	21,765

रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा सर्वेक्षण

156. **श्री रामेश्वर : टांटिया** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने कुछ जिलों में रोजगार स्थिति का सर्वेक्षण किया है और यह दिखाया है कि रोजगार के अवसर कुछ स्थानों तक ही सीमित नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने जिलों का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) इस बारे में रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ख) सरकार ने सर्वेक्षण संबंधी प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) जी हां ।

(घ) 135 ।

(ग) तथा (घ). यह केवल रिपोर्ट है और कोई विशेष सुझाव नहीं किया गया ।

कोयला क्षेत्रों में उचित मूल्य वाली दूकानें

157. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री प्रभातकार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० उ० मिश्र :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थायी श्रम समिति के निर्णय के अनुसार कितनी कोयला खानों ने उचित मूल्य की दुकानें खोली हैं ; और

(ख) इन कोयला खानों के क्या नाम हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार उन संस्थानों में उपभोक्ता सहकारी स्टोर या उचित मूल्य के स्टोर स्थापित किये जाने हैं जहां पर 300 या अधिक कर्मचारी काम करते हों । कोयला खानों के क्षेत्र में कोयला खान कल्याण निधि से प्राप्त होने वाली सहायता से उपभोक्ता सहकारी समितियाँ स्थापित करने की चेष्टा की जाती है । अब तक 239 प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियां कोयला खान क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं इस के अतिरिक्त 15 उचित मूल्यों वाली दुकानें बनायी गई हैं। झरिया, रामगढ़, करनपुरा, बोकारो गिरीडीह, रानी गंज तथा कोरिया में पांच थोक समितियां भी स्थापित की गई हैं ।

(ख) एक 239 प्राथमिक समितियां की सूची पुस्तकालय में रखी गयी है । [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०** 3817/65] 15 उचित मूल्यों वाली दुकानों का व्योरा शीघ्रता से उपलब्ध नहीं है । यह उपलब्ध किया जा रहा है ।

कोयला खान मजूरी बोर्ड

158. { श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
डा० उ० मिश्र :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की दूसरी अन्तरिम सहायता दिये जाने की सिफारिशों को कोयला खानों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कोयला खानों की संख्या कितनी है ?

श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) तथा (ख) मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं। कार्यान्विति की प्रगति के ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है।

रामगुण्डम में प्रादेशिक अस्पताल

159. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामगुण्डम में प्रादेशिक अस्पताल के भवन निर्माण के लिए सीमेन्ट और इस्पात पर्याप्त मात्रा में दे दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो भवन बन कर कब तक तैयार हो जायेगा ; और

(ग) क्या अस्पताल के लिए सामान खरीदने का क्रयादेश दिया जा चुका है ?

श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या रेड्डी): (क) सीमेंट और इस्पात हाल ही में दे दिया गया है। कार्य हो रहा है। सीमेन्ट की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

(ख) 31 दिसम्बर, 1965 तक इमारत तैयार होने की सम्भावना है ।

(ग) अभी नहीं, अस्पताल पूरा होने से काफी पहले सामान खरीदने के क्रयादेश दे दिये जायेंगे ।

सिंगरेनी कोयला खान

160. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोठागुडियम में जल संभरण योजना के लिए तीन लाख रुपये देने के सम्बन्ध में सिंगरेनी कोयला खान कंपनी के प्रबन्धकों और कोयला खान कल्याण संघ के बीच विवाद समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भुगतान कर दिया गया है ?

श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) नहीं। बातचीत हो रही है।

(ख) अभी नहीं ।

Film Studios

161. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Surya Prasad :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a film studio is proposed to be set up in the Capital keeping in view the difficulties the film artists of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Rajasthan and Delhi have to face in going to Calcutta, Bombay and Madras studios for production of their films ; and

(b) if so, whether this studio will be set up by Government or by the film industry and when ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

नैपाल के विदेश मंत्री की यात्रा

162. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री समनानी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और नेपाल के बीच आर्थिक सहयोग के प्रश्न पर बातचीत करने के लिए नेपाल के विदेश मंत्री हाल ही में नई दिल्ली आये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता की मांग की गई तथा किस रूप में; और

(ग) बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) 25 जनवरी, 1965 से 7 फरवरी, 1965 तक नेपाल के विदेश मंत्री भारत में रहे। नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत के प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री से बहुत से विषयों पर बातचीत की । दोनों देशों में अधिक आर्थिक सहयोग के विषय पर भी बातचीत हुई।

(ख) बातचीत के दौरान भारत की सहायता के ब्योरे का उल्लेख नहीं हुआ।

(ग) नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत से आर्थिक सहायता की बात के दौरान करनाली विद्युत् परियोजना के लिए सहायता का प्रश्न उठाया। इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि करनाली परियोजना की आगे की प्रगति पर दोनों देशों के विशेषज्ञों की उचित समय पर बातचीत हो। यह भी फैसला किया गया कि दोनों सरकारें संयुक्त रूप से प्राकृतिक साधनों का लाभ उठाने के लिए ऐसे काम करें जिससे दोनों देशों को लाभ हो सके।

त्रिमासिक बोनस

163. **डा० उ० मिश्र :**
डा० रानेन सेन :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962, 1963 और 1964 में त्रिमासिक बोनस का भुगतान न करने, उपस्थिति रजिस्टर को ठीक प्रकार से न रखने, बोनस कार्ड और माप-पर्चियां न देने के कारण जिन कोयला खानों पर मुकद्दमे चलाये जा रहे हैं उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) (1) कोयला खान बोनस योजना के अधीन त्रैमासिक बोनस का भुगतान न करने, उपस्थिति रजिस्टर को ठीक प्रकार से न रखने, बोनस कार्ड न जारी करने के लिए जिन खानों पर मुकद्दमे चलाये गये हैं उनके नाम विवरण "ए" में दिये गये हैं जो पुस्तकालय में रख दिया गया है [**देखिये संख्या एल० टी०** 3818/65] (2) पी० डब्ल्यू. (खान) नियम, 1956 के अधीन जिन खानों ने माप-पर्चियां नहीं दं। और उन पर मुकद्दमे चलाये गये हैं उन के नाम विवरण 'बी' में दिये गये हैं और वह पुस्तकालय में रख दिया गया है। [**देखिये संख्या एल० टी०** 3818/65]।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क व्यवस्था इन मामलों को न्यायालयों में चला रही है और मुकद्दमों के परिणाम विवरण 'ए' तथा 'बी' में दिये गये हैं।

कोयला खान कल्याण निधि के क्वार्टर

164. **डा० उ० मिश्र :**
डा० रानेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में बैंकोला कोयला खान, बेबीसोल कोयला खान, अजय कोयला खान, काली पहाड़ी, न्यू घुसिक, दक्षिण सामला कोयला खानों के प्रबन्धकों द्वारा कोयला खान कल्याण निधि के क्वार्टरों के दिये जाने, रख रखाव बिजली और पानी की व्यवस्था में भेद-भाव, पक्षपात तथा किराया वसूली के बारे में कोयला खान मजदूर सभा (ए० आई० टी० यू० सी०) तथा भारतीय खान मजदूर फेडरेशन से गंभीर आरोप प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) हां, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) इस विषय में जांच हो रही है ।

जेमहारी खास कोयला खान

165. **डा० उ० मिश्र :**
डा० रानेन सेन :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई जेमहारी कोयला खान के प्रबन्धकों और कोयला खान मजदूर सभा (ए० आई० टी० यू० सी०) के बीच 8 दिसम्बर, 1964 को प्रादेशिक श्रम आयुक्त (समझौता) की उपस्थिति में हुए समझौते को क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उन मदों का विवरण क्या है जिन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) शेष मदों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) समझौता आंशिक रूप से कार्यान्वित कर दिया गया है ।

(ख) तथा (ग). जिन मदों को कार्यान्वित नहीं किया गया उनका रानीगंज के समझौता अधिकारी (केन्द्रीय) निर्धारण कर रहे हैं। और समझौते को यथासम्भव कार्यान्वित करने के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं ।

सैनिक स्कूल, बीजापुर

166. **श्री हे० बी० कौजलगी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीजापुर (मैसूर राज्य) स्थित सैनिक स्कूल में प्रति वर्ष कितने विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है ;

(ख) उसमें मैसूर राज्य के तथा अन्य राज्यों के कितने-कितने विद्यार्थी होते हैं ;

(ग) मैसूर राज्य के कितने विद्यार्थियों को राज्य से बाहर स्थित अन्य सैनिक स्कूलों में प्रवेश मिलता है, ; और

(घ) क्या मैसूर राज्य के उन विद्यार्थियों को, जिन्हें इन अन्य स्कूलों में प्रवेश मिलता है, सरकार की ओर से कोई वित्त सहायता अथवा शिक्षण शुल्क में छूट दी जाती है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० स० राजू) : (क) बीजापुर में स्थित सैनिक स्कूल में प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का प्रवेश इस प्रकार है :—

1963	67 विद्यार्थी
1964	48 विद्यार्थी
1965	55 विद्यार्थी
	कुल 170 विद्यार्थी ।

(ख) मैसूर राज्य से बाहर अर्थात् अन्य राज्यों से 1963 में 2 विद्यार्थी, 1964 में 13 विद्यार्थी तथा 1965 में 4 विद्यार्थी दाखिल हुए।

(ग) बीजापुर के सैनिक स्कूल के अतिरिक्त मैसूर राज्य के 13 विद्यार्थी इस राज्य के बाहर के सैनिक स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

सैनिक स्कल, त्रिवेन्द्रम	2
सैनिक स्कूल, अमरावतीनगर	2
सैनिक स्कूल, सतारा	6
सैनिक स्कूल, कोरुकोण्डा	2
सैनिक स्कूल, कपूरथला	1
कुल	13

(घ) मैसूर राज्य छात्रवृत्ति योजना बीजापुर के सैनिक स्कूल के छात्रों के लिए ही है ।

भारत सरकार मुद्रणालय में लाइनों आपरेटर

167. **श्री ज० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री 21 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1653 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों की श्रेणी निर्धारित करने सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक दिनांक 21-12-64 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1653 के प्रश्न में उठाये गये विषय का सम्बन्ध है, समिति ने लाइनो आपरेटरों के वेतनमानों में पुनरीक्षण की कोई सिफारिश नहीं की ।

(ग) उपरोक्त (क) के कारण प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

औद्योगिक पंचाट

168. { **डा० उ० मिश्र :**
डा० रानेन सेन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ऐसे औद्योगिक पंचाटों की संख्या क्या है जिनके विरुद्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों ने उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में अपील की है ; और

(ख) क्या अपीलें दायर करने से पहले उनके मंत्रालय से परामर्श किया गया था ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) 1963 में एक तथा 1964 में चार औद्योगिक पंचाटों की सूचना इस मंत्रालय को दी गई। इन के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों ने उच्चन्यायालयों तथा उच्चतम-न्यायालय में अपील की है ।

(ख) केवल एक ही मामले के बारे में अपील करने से पहले इस मंत्रालय की सलाह ली गई थी ।

प्लूटोनियम निर्माण संयंत्र

169. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लूटोनियम का निर्माण करने वाले कारखाने का औपचारिक रूप से उद्घाटन हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस में इस समय कितना उत्पादन हो रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां, 22 जनवरी, 1965 को संयंत्र के बारे में पूरी जानकारी की एक पुस्तिका संसद् सदस्यों में बांट दी गई है और उसकी एक प्रति पुस्तकालय में रख दी गई है ।

(ख) संयंत्र पूरी प्रकार से चल रहा है और निश्चित क्षमता तक पहुंच चुका है ।

आकाशवाणी के कटक स्टेशन के स्टाफ आर्टिस्ट्स तथा कर्मचारी

170. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1964 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने स्टाफ आर्टिस्ट्स तथा कर्मचारी आकाशवाणी के कटक (उड़ीसा) स्टेशन में थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

	आकाशवाणी कटक के स्टाफ आर्टिस्ट्स तथा अन्य कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के	आदिम जातियों के
स्टाफ आर्टिस्ट्स	56	—	—
अन्य कर्मचारी . .	113	23	3

उड़ीसा में काम दिलाऊ दफ्तर

171. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को उड़ीसा में विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज महिला उम्मीदवारों (स्नातक तथा गैर-स्नातक) की संख्या क्या थी ; और

(ख) वर्ष 1964 में उन में से कितनों को रोजगार दिलाया गया ?

(क) तथा (ख).

श्रेणी	31-12-64 को चालू रजिस्टर में संख्या	1964 में रखे गयों की संख्या
स्नातक (इनमें स्नातकोत्तर भी हैं)	24	12
मैट्रिक तथा हायर सैकेंड्री (इनमें इन्टरमिडियेट भी हैं) .	151	104
मैट्रिक से कम (इनमें निरक्षर भी हैं) । . .	2012	1227
कुल .	2187	1343

प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजे गये अधिकारी

172. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार महीनों में प्रतिरक्षा सेवाओं के कितने अधिकारी प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजे गये ; और

(ख) जिन देशों में वे भेजे गये उन के नाम क्या हैं ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री द० स० राजू) : (क) अक्तूबर, 1964 से जनवरी, 1965 तक 98 ।

(ख) आस्ट्रेलिया, कैनेडा, हांगकांग, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ तथा पश्चिमी जर्मनी ।

उड़ीसा में दर्ज किये गये तकनीकी व्यक्ति

173. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को उड़ीसा में विभिन्न रोजगार दफ्तरों में दर्ज तकनीकी व्यक्तियों की संख्या क्या थी ; और

(ख) वर्ष 1964 में उन में से कितनों को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) 4,859।

(ख) 2,159 ।

उडीसा में रोजगार कार्यालय

174. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को उड़ीसा में रोजगार कार्यालयों की संख्या क्या थी ;

(ख) 1965–66 में उड़ीसा में कितने रोजगार कार्यालय खोलने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) 15 ।

(ख) कोई नहीं ।

जहाजों की खरीद

175. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में विदेशों से (देश-वार) भारतीय नौसेना के लिये कितने नए जहाज खरीदे गए ; और

(ख) प्रत्येक जहाज की क्या कीमत है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्र की रंग-भेद सम्बन्धी विशेष समिति

176. { **श्री फ० गो० सेन :**
श्री राम सेवक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1964 में रंग-भेद सम्बंधी विशेष समिति द्वारा की गई संयुक्त राष्ट्र की अपील पर केवल भारत ने ही चन्दा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) समिति में किन-किन देशों के प्रतिनिधि हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). जी नहीं । स्वीडन ने भी संयुक्त राष्ट्र की रंग-भेद की विशेष समिति के लिये 2 लाख डालर का अंशदान देने की घोषणा की है । भारत 25,000 रु० का अंशदान दे रहा है ।

(ग) अल्जीरिया, कोस्टारिका, घाना, गिनी, हाइटी, हंगरी, मलेशिया, नेपाल, नाईजीरिया, फिलिपाइन्स तथा सोमालिया के प्रतिनिधि समिति में हैं।

कालीकट डाकघर

177. **श्री कोया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट में मुख्य डाकघर के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इसके कब तक खोले जाने की आशा है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख). मुख्य डाक घर की इमारत के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और 1–2–1965 से इस में यह डाकघर कार्य कर रहा है ।

खान इंजीनियर

178 { **श्री ज० ब० सिंह** :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में गत दो वर्षों से रोजगार दफ्तरों में दर्ज ऐसे खान इंजीनियरों की संख्या क्या है जिन्हें अब तक कोई रोजगार नहीं दिलाया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) :

काम दिलाऊ दफ्तर	31–12–1964 को दो साल से चालू रजिस्टर पर चल रहे नामों की संख्या
बम्बई	कोई नहीं
कलकत्ता	एक
दिल्ली	कोई नहीं

खान समवायों में रोजगार

179. **श्री यशपाल सिंह : क्या श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने कोई परिपत्र जारी किया है कि खान समवायों में नौकरी के लिये केवल बिहार के निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

व्यवस्था का प्रश्न

POINT OF ORDER

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker Sir, I rise on a point of order. My submission is that according to the Constitution you cannot speak in English after 26th January 1965. For this I want to draw your attention to section 120 of the Constitution. I am of the opinion that the use of English is barred for the Speaker as also for the members who could speak either in Hindi or in their regional language, Punjabi, Telugu or the like. Even the official language Act could not change this position now, after the expiry of the 15 year deadline.

Mr. Speaker : I do not agree with the contention of the honourable member and think that members could use either Hindi or English or if they could not adequately express themselves in either of the two in their own language. As for myself is concerned I shall try to reply to the honourable members in either of the two languages used by them. It is not possible for me to use any other medium. It is also not possible for me to force any one not to use one of the other language.

As stated by Dr. Lohia that it is unconstitutional to use English after 26th January 1965, as the purposes for which it had to be employed have not been specially listed under the law. I would plead with the members to set an example in the matter of language now when the recent events, exposing the country to dangers, should put all Indians to shame. All this in my opinion make India a laughing stock with the foreigners who found us quarreling about the language in an era of space travel.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रधान मंत्री और अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं भारतीय सांख्यिकीय संस्था, कलकत्ता का वर्ष 1962–63 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, 31 मार्च, 1960, 31 मार्च, 1961, 31 मार्च, 1962 और 31 मार्च, 1963 तक के सन्तुलन पत्रों तथा उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्टों की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3804/65]

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर और भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर, के वर्ष 1963–64 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) भारत प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 29 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4371 में प्रकाशित निर्वाचकों का पंजीयन (दूसरा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए क्रमशः संख्या एल० टी० 3865/65 और एल० टी० 3805/65]

निर्वाचकों का पंजीयन (दूसरा संशोधन) नियम, 1964

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 21 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4371 में प्रकाशित निर्वाचकों का पंजीयन (दूसरा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3807/65]

रक्षित सहायक विमान बल अधिनियम (संशोधन) नियम, 1964

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : मैं रक्षित तथा सहायक विमान बल अधिनियम, 1952 की धारा 34 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिनांक 5 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 404 में प्रकाशित रक्षित तथा सहायक विमान बल अधिनियम (संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3808/65]

काफी बागान का केंद्रीय मजूरी बोर्ड और कोयला खनन उद्योग

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) क्षेत्र मजदूरों तथा मिस्त्रियों के मजूरी ढांचे के बारे में कहवा बागान उद्योग के केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों पर दिनांक 14 जनवरी, 1965 के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी० 3 (26)/64 की एक प्रति।

(दो) मजूरी में दूसरी अन्तरिम वृद्धि के लिए कोयला खनन उद्योग के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर दिनांक 14 जनवरी, 1965 के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी० 16 (14)/64 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० 3809/65 और एल० टी० 3810/65]

नागालैंड के बारे में वक्तव्य
STATEMENT ON NAGALAND

श्री लाल बहादुर शास्त्री : नागालैंड के विषय सम्बन्धी कार्य वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा कुछ समय के लिए किया जा रहा है। गृह-कार्य मंत्रालय यह कार्य नहीं कर रहा। आज की स्थिति में यह प्रश्न बड़ा नाजुक बन गया है। परन्तु इस का यह अर्थ कदापि नहीं निकालना चाहिए कि नागालैंड भारतीय प्रदेश नहीं है। सदन की इच्छा का इस सम्बन्ध में पूरा सम्मान किया जायेगा। सरकार को उपयुक्त समय पर ऐसा करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपों के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में वक्तव्य
RE: STATEMENT ON CORRUPTION CHARGES AGAINST CHIEF MINISTER OF ORISSA

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचना देनी है कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों सम्बन्धी वक्तव्य प्रधान मंत्री आज 4 बजे सायं देंगे।

श्री क० च० रेड्डी के स्थान का रिक्त होना
VACATION OF SEAT OF SHRI K. C. REDDY

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि श्री क० च० रेड्डी के मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो जाने के कारण संविधान के अनुसार उनका स्थान 11 फरवरी, 1965 से रिक्त घोषित किया गया है। उसी दिन उन्होंने राज्यपाल का कार्य सम्भाला।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव
MOTION ON PRESIDENT'S ADDRESS—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम 19 फरवरी को श्री हेडा द्वारा प्रस्तुत तथा श्री महाराजकुमार विजय आनन्द द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 17 फरवरी, 1965 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-केन्द्रीय) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हम हर वर्ष की तरह एक औपचारिक रूप पर विवाद कर रहे हैं। आज की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा जो कुछ मंत्रिमंडल ने कहलवाया है वह बहुत ही परेशान करने वाला है। मेरे मत में राष्ट्रपति का अभिभाषण एक ऐसी दस्तावेज है जिससे आय-व्ययक सत्र (बजट शैशन) में होने वाली कार्यवाहियो का पता चल जाता है। इसके बावजूद भी यह सारहीन, बेजान सा प्रतिवेदन है जिससे हमारे देश में विद्यमान संकट के रूप तथा विस्तार का पता नहीं चलता। यह बहुत ही शोचनीय अवस्था है। ऐसा लगता है कि अगस्त, 1947 से हम अपनी स्वतंत्रता का मूल्य निरन्तर दे रहे हैं। 18 वर्ष के व्यतीत हो जाने पर भी सरकार का दृष्टिकोण नहीं बदला। हमारे देश के नागरिक आज सभी दिशाओं में पीड़ित हो रहे हैं।

आज देश के लोगों में यह विश्वास नहीं रहा कि हमारा देश निकट भविष्य में समृद्धि की ओर चलने लगेगा। जनता लगभग तंग आ चुकी है। आज स्थिति यह है कि लोगों को केवल कांग्रेस दल के प्रति ही अविश्वास नहीं हो रहा वे तो सभी राजनैतिक प्रवृत्तियों के प्रति उपेक्षा का भाव अपना रहे हैं। अभिभाषण में तथा इसके साथ ही गृह कार्य मंत्री द्वारा दिये गये भाषण में ही यह ध्वनि मिलती है कि सरकार तात्कालिक अथवा दीर्घकालीन समस्याओं को सुलझाने का कोई प्रयास कर रही है। इन समस्याओं के सुलझाने के लिए किसी भी प्रकार के उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है। तामिल-नाद तथा अन्य स्थानों पर शांति स्थापना करने की दृष्टि से चलाई गयी गोली की न्यायिक जांच करने के बारे में भी एक शब्द नहीं कहा गया। मेरा निवेदन यह है कि यदि हम हाल ही के दंगों से कोई शिक्षा लेना चाहते हैं तो हमें अनुचित रूप से ढील नहीं दिखानी चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को अपना मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। उसकी सारी क्षमता परस्पर झगड़ों को निपटाने में ही चली जाती है। लोगों की नाराजगी से बचने के लिए सरकार सदा राजनीतिक चालें चलती रही है। यह भी एक चाल है कि इस प्रकार से गृह कार्य मंत्री ने लगभग 1000 वाम पक्षी कम्यूनिस्टों को नजरबन्द करने का आदेश दिया है। और यह आदेश देते हुए, इस दिशा में संसद् के प्रतिनिधित्व की उपेक्षा कर दी है। गृह कार्य मंत्री के वक्तव्य को तनिक ध्यान से पढ़ा जाय तो उससे किसी भी प्रकार से विश्वास का निर्माण नहीं होता। और न ही यह ही विश्वास होता है कि उससे किसी श्रेष्ठ प्रजातंत्रवादी का हित होने की आशा है। हमें यह भी पता है कि पश्चिमी बंगाल में राशन के क्षेत्र से बाहर चावल जिला क्षेत्रों में 1 रुपया प्रति किलोग्राम बिक रहा है। और लोग आश्चर्य से यह पूछ रहे हैं कि फसल के बाद गर्मियों तथा वर्षा काल में स्थिति क्या होने वाली है। मैं यह भी कहने का साहस कर सकता हूं कि उपभोग वस्तुओं के थोक मूल्यों के बारे में वित्त मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये कुछ आंकड़े पूर्णतः भ्रम पैदा करने वाले हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि सम्बन्धी कुछ सुधारों के बारे में, जिन से उत्पादन बढ़ सकता था तथा जिनसे सक्रिय सहकारी खेती और पर्याप्त अन्तर्देशीय समान आहार का आधार बन सकता था, उसमें कुछ निहित स्वार्थों ने रूकावट पैदा कर दी है। अतः उस दिशा में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। मेरा मत यह है कि यदि हमने शीघ्र ही पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये जा रहे आयात को समाप्त नहीं किया तो हमारी अर्थ व्यवस्था नष्ट हो जायेगी। हमारी भविष्य की सभी आशाओं पर पानी फिर जायेगा। इस प्रकार के आयात पर भाड़ा लगभग 100 करोड़ रुपये हो गया है। इस सिलसिले में एक मांग यह भी की गयी है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात अमरीकी जहाजों द्वारा हो और उसका 50 प्रतिशत भाड़ा लागत डालरों में दिया जाय।

यदि यह परिस्थिति पैदा हुई और हमें डालर देने पड़े तो हमें काफी हानि उठानी पड़ेगी। मेरा आग्रह यह है कि इसके लिए अविलम्ब ही एक उच्चस्तरीय समक्ष जांच होनी चाहिये कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत जो सौदे किये जा रहे हैं उनका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हो रहा है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सरकारी परियोजनाओं को वे अधिकारी चला रहे हैं जो राष्ट्रीयकरण के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। नये वर्ष में हमारे वित्त मंत्रालय ने विदेशों के बड़े-बड़े पूंजी-पतियों और एकाधिकारियों को साम्य पूंजी के सहयोग से हमारी अर्थ व्यवस्था में भाग लेने की अनुमति दी है। यह प्रविधिक सहयोग से बिल्कुल भिन्न बात है। मेरा मत यह है कि अन्ततोगत्वा यह नीति हमारी आर्थिक स्वतंत्रता और भुगतान के सन्तुलन के लिए बहुत हानिकारक रहेगी। यह जो कुछ किया गया है इससे हमारी औद्योगिक नीति में भारी परिवर्तन हो गये हैं।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे प्रधान मंत्री द्वारा विदेशों से आणविक शस्त्र सम्बन्धी सहायता की मांग के बारे में जो बिल्कुल इन्कार किया गया है, इस बारे में ब्रिटेन से और दूसरे स्थानों से आ रहे समाचारों से भ्रम उत्पन्न हो रहा है। वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूत को अमरीकी व्यापारियों द्वारा 4 फरवरी को जो भोज दिया गया था उसमें उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री ने शक्तिशाली देशों से अणु शस्त्रों के बारे में जो अपील की है, भारत उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरी मांग यह है कि सरकार को इस बारे में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। इस बारे में स्पष्ट शब्दों से काम लिया जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार का भ्रम न बना रहे।

वियतनाम की समस्या है, मेरा अनुरोध यह है कि भारत को शांति के हित में वियतनाम से अमरीका की सारी सेनाओं को तुरन्त हटाने के लिए स्पष्टतः कहना चाहिए।

उड़ीसा के मामले में भी यह स्पष्ट है कि सिद्धांतों की अवहेलना की गयी है। इससे गृह कार्य मंत्री की सदाचार की बातों का काफी उपहास हुआ है। मेरा निवेदन है कि व्यवहारवाद पर जोर सार्थक तथा निर्थरक दोनों ही समझा जा सकता है। इससे आदर्शवाद का दिवालियापन दिखाई देता है और हमारें आर्थिक लक्ष्यों के बारे में बढ़ती जा रही तोड़ मरोड़ की वृत्ति और विश्व में हो रही घटनाओं के प्रति अनभिज्ञता प्रतीत होती है। यह सब वे चीजें हैं जिससे देश में आज सवर्त्र निराशा का वातावरण दिखाई देता है और उस निराशा की कुछ छाया इस सदन में भी दिखाई देती है।

Shri A. P. Sharma (Buxar) : I rise to support the motion of thanks put forward by Shri Heda and seconded by Maharajkumar of Vijayanagaram. Even though the Government are passing through difficult times and different interests are pulling the country to different directions, the Government have acquitted themselves admirably in conducting the business of the country. I therefore thank the Government for their efforts.

Let me state that there has been an all round increase in production including cloth and coal. The Railways have played a praise worthy role by increasing their transportion capacity which have helped in proper distribution of the produce. The President have made a mention of long term as well as short term policy for raising the food production. My submission is that the need of the hour is to increase food production in shortest possible time to cope with the pressing situation. Only good seeds or implements will not do that the most important thing is to lay emphasis on small irrigation schemes especially tube wells.

Economic disparity can be narrowed down only when the labour is also enabled to share the benefits of the increasing Production. Also, socialism in this country will have any significance and when the economic lot of the backward classes is improved. This is also a fact that while the Government have been advising the private sector to solve labour disputes through arbitration, they have not applied that principle in their own Industries. Government should look into this matter and see that those Industries should also be benefited by that.

One can very well follow the situation if the people fought for their own mother tongue. And one can express some sympathy and even an appreciation for that. But it is very strange to see that people are fighting for a foreign

language. And the most regretable thing is this that the methods of violence and lawlessness adopted by them are a serious danger to the unity and integrity of the country. Democracy is also at stake. No body can deny and there could be no doubt about the fact that Hindi is the most widely understood language in the country.

Let me come to the arrests of the leftist communists. When the country is in the danger of foreign invasion, it cannot allow the undesirable elements a freeplay. Therefore the criticism of the Government regarding the detention of the leftist communists is entirely baseless. The charges of treason against them have been clearly explained by the Minister for Home Affairs. We have decided that we will not join any bloc under any pressure. With these words I support the motion of thanks and hope that the Government will receive the best co-operation from all sections of the people in order to keep up the independence, integrity and security of the beloved motherland.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की कई सफलताओं का वर्णन किया है जिन से आशा बंधती है। परन्तु 27 नवम्बर को ही बड़ोदा में उन्होंने देश की वर्तमान असंतोषजनक स्थिति पर दुख प्रकट किया था और कहा था कि "कृषकों और राजनीतिज्ञों के पथभ्रष्ट हो जाने के कारण अन्न का अभाव तथा अन्तर्राज्य झगड़े हो रहे हैं और यदि इन्हें समय पर न रोका गया तो परिणाम गम्भीर होंगे"। परन्तु संसद् के समक्ष बोलते हुए उन्होंने कहा कि "चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर अधिक ज़ोर दिया जायेगा" क्या उन्हें याद रहा है कि 6 दिसम्बर, को . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत को एक बात स्मरण रखनी चाहिये कि राष्ट्रपति जी ने जो कुछ भी कहा वह मंत्रिमंडल की राय अनुसार कहा है। "क्या उन्हें याद रहा" जैसे वाक्य प्रयोग में नहीं लाने चाहियें। ऐसा कहना उचित न होगा क्योंकि इस तरह एक प्रकार से यह उन के विचार तथा व्यवहार पर टिप्पणी करने के समान है। जब कि अभिभाषण भी सरकार तयार करती है।

श्री हरि विष्णु कामत : वर्धा में 6 दिसम्बर को राष्ट्रपति ने भूमि सुधार न किये जाने में सरकार की असफलता का कारण सुधारों के विरुद्ध निहित स्वार्थ बतलाया है। मेरा कहना यह है कि इन निहित स्वार्थों वाले तत्वों को अधिक बल मिला है। राष्ट्रपति की चेतावनी कि सुधारों के धीमेपन से ही क्रांति तथा सामाजिक उथल-पुथल हुई है पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा था कि "हमारे विधायक हितकर भूमि सुधार विधान नहीं बना पाते क्योंकि वह इस में फंसे हुये हैं।" सत्ताधारी कांग्रेस दल के सदस्यों तथा उन के कार्यों पर उन्होंने कितनी कड़ी चोट की है। वहां उन्होंने यह भी कहा था कि कई राज्यों में गुटों में विचार तथा गुटवाद हैं जो वहां के प्रशासनिक प्रबन्ध पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं और इस ने राष्ट्र के मनोबल को धक्का पहुंचाया है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
[**Mr. Deputy Speaker** *in the chair*]

हमारे राष्ट्रपति जी ने गणतंत्र दिवस पर अपने संदेश में कहा था, कि "राजनीति की चुनौती यही है कि अब एक सुदृढ़ सरकार तथा एक कार्यपटु तथा स्वच्छ प्रशासन बने" तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि यह अच्छा होता यदि वह यहां हमारे बीच विरोधी कक्ष में बैठकर ऐसा कहते तो इसका कितना प्रभाव पड़ता किन्तु वह राष्ट्रपति पद पर विराजमान हैं

[श्री हरि विष्णु कामत]

अतः ऐसा नहीं हो सकता । इसी संदेश में उन्होंने यह भी कहा था कि "वर्तमान खाद्य संकट तथा मूल्य स्थिति का उपाय उत्पादन में वृद्धि, वितरण प्रबन्ध की त्रुटियों का दूर किया जाना और जमाखोरों तथा काला बाजार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही ही है"। परन्तु संसद् द्वारा पारित कानून के अधीन एक भी मुनाफाखोर तथा जमाखोर को दण्ड नहीं दिया गया ?

खाद्य मंत्री जी ने 9 दिसम्बर को यहां वचन दिया था कि वह संसद् में एक श्वेत-पत्र रखेंगे और यथाशीघ्र विरोधी दलों से भी बातचीत करेंगे परन्तु इन में से कुछ भी नहीं किया गया सरकार जनता के कष्टों के प्रति उदासीन तथा निर्दयी बनी हुई है ।

सितम्बर में प्रधान मंत्री तथा खाद्य मंत्री से हुये गत सम्मेलन में मेरे दल ने सुझाव दिया था कि खाद्यान्नों पर से बिक्री-कर वापिस ले लिया जाना चाहिये तथा परम आवश्यक खाद्यान्नों पर, जिनका उपभोग कम तथा मध्य आय वाले वर्गों के लोग करते हैं उन पर अप्रत्यक्ष करों को काफी सीमा तक घटा दिया जाना चाहिये । इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई । फिर भी सरकार साधारण जन, निर्धन तथा मध्य वर्ग की जनता के प्रति सहानुभूति रखने का दावा करती है । और इस संकट का मूल कारण है खाद्य तथा कृषि मंत्री स्वयं जिन्हें हाल के एक मामले में मद्रास के उच्च न्यायालय ने ईमानदार होने की अपेक्षा अधिक व्यवहार पटु बताया है। इसी मामले में उच्च न्यायालय ने कहा है कि उन्होंने यह कार्य सचाई को छिपाने के लिये किया और इसी–लिये यह सारा ढोंग रचा है । न्यायालय ने और भी ऐसी बहुत सी उपाधियां दी हैं और मुझे आशा है कि ऐसी विचारधारा हमारे देश में बहुत शीघ्र जोर पकड़ेगी। और यदि खाद्य मंत्री जी द्वारा दिया गया त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता तो हम अधिक अच्छी स्थिति में होते । परन्तु यह बात प्रधान मंत्री जी को विचार करनी चाहिये। मुझे नागपुर के सर्वोदय सेवा संघ के एक सदस्य द्वारा भेजे गये गेहूं तथा चावल के वह नमूने सभा को दिखाने हैं जो वहां सरकारी दुकानों पर बिकते हैं । यदि उपाध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं उन्हें सभा पटल पर कुछ देर पश्चात् रखूंगा ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में भाषा के प्रश्न का भी वर्णन किया गया है और हमें इस के कारण हुई घटनाओं से दुःख हुआ है । मैं न तो भाषा का कट्टर पंथी हूं, न भाषा विरोधी हूं परन्तु मैं तो सभी भाषाओं का प्रेमी हूं और प्रेमी भी एक प्रकार के नहीं होते । मैं सभी भारतीय भाषाओं से उतना ही प्यार करता हूं जितना अपनी मातृभाषा कोंकणी से प्यार है । इस समय जब देश में आपात की स्थिति है और हमारे समक्ष कई और प्रतिरक्षा, खाद्य तथा आर्थिक समस्यायें जैसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिनको हमें सुलझाना है । हमें भाषा के नाम पर राष्ट्रीय एकता की बलि नहीं चढ़ानी । और इस समय हम भाषा के प्रश्न पर किसी व्यक्ति का रक्त अथवा बलिदान नहीं चाहते चाहे वह साधारण व्यक्ति हो अथवा पुलिस वाले हों । हमें इस समय अथवा किसी भी समय ऐसा नहीं होने देना है । मेरे विचार में राष्ट्रीय एकता के लिये द्विभाषावाद का सिद्धांत बुरा नहीं रहेगा । मुख्य मंत्री सम्मेलन तथा संसद् इस बारे में चाहे कुछ भी निर्णय करे पर यह सिद्धांत लाभदायक रहेगा । मैं आशा करता हूं कि अन्त में हिन्दी भारत की सम्पर्क भाषा बनेगी परन्तु इस समय तो हमें अपनी सारी शक्ति और सभी साधन प्रतिरक्षा, विकास तथा खाद्य समस्या को हल करने में लगाने चाहियें ।

अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की कुछ बातों के बारे में कहूंगा । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में कहा गया है कि "यद्यपि सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में उत्पादन अभी आरम्भ ही हुआ है फिर भी हमें आने वाले वर्षों में हमारे आर्थिक विकास में योगदान लगातार बढ़ता जायेगा ।" मैं आशा करता हूं कि उनकी सम्भावनायें पूरी हों और मैं चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र हमारे देश में फूले-फले परन्तु वह सीधे तौर से हो तभी । यह क्षेत्र और अधिक कार्यपटु ईमानदार और अधिक फलदायक बने। परन्तु श्रम आन्दोलन में ऊंची पदवी वाले कांग्रेसी सदस्यों ने इन उपक्रमों की अकुशलता पर दुख प्रगट किया है जैसे श्री काशीनाथ पांडेय तथा श्री खण्डुभाई देसाई आदि। श्री पांडे का कहना है "मेरी इच्छा तो राष्ट्रीयकरण की प्रावना का आदर करने की है परन्तु मेरी टांगे कांप जाती हैं जब मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा होता हूं क्योंकि मुझे तभी इन में हो रहे श्रमिकों के असीम कष्टों तथा अकुशल कार्य प्रबन्ध का विचार आ जाता है ।" मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों होता है । मुझे आशा है कि सरकार जो समाजवाद लाने के लिये कटिबद्ध है इन बुराइयों को दूर कर के राष्ट्र को लोकतंत्रीय समाजवाद के पथ पर आगे बढ़ाये। श्री खण्डुभाई देसाई जी ने भी कहा है "कि सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्ध कैसे ही क्यों न हों यह संतोषजनक नहीं हैं।" मुझे सरकारी क्षेत्र की यह स्थिति देखकर आश्चर्य होता है ।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में हमारे प्रधान मंत्री जी की लंदन यात्रा का कोई वर्णन नहीं किया है पता नहीं ऐसा क्यों किया गया । आशा है कि प्रधान मंत्री जी इस बारे में वहां हुई बात चीत के बारे में बाद में हमें बतायेंगे । हमें अपनी योजनायें आदि अन्य कार्य कैसे कार्यान्वित करने हैं इसका अभिभाषण में कोई वर्णन नहीं किया गया ।

अभिभाषण में मलयेशिया-इन्डोनेशिया विवाद का भी कोई वर्णन नहीं है जहां भारी खतरा है और यह हिन्द महासागर में हो रहा है । हमें याद है कि 1962 में चीनी आक्रमण के समय श्री तुंकू अब्दुल रहमान जी ने सब प्रकार से हमारा समर्थन किया था। परन्तु क्या हम ने साहसपूर्ण ढंग से आस्था रख कर घोषणा की है कि हम उनके साथ हैं।

जब 1963 में मलयेशिया बना था तो स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल खोल कर उसकी प्रशंसा की थी पर हमें इसके समर्थन में क्या कठिनाई पेश आ रही है । हम ने किसी प्रकार की सहायता मलेशिया को नहीं दी एक डाक्टरी सहायता मंडल तक भी नहीं भेजा । हम पीछे हटते जा रहे हैं और अब हम में साहस नहीं रहा । जहां मलयेशिया के प्रश्न पर हम कोई सक्रिय नीति नहीं अपना पाये हैं वहां जार्डन नदी पानी के प्रश्न पर हम ने अरब राज्यों का पूरे मन से समर्थन किया है परन्तु अधिक अच्छा होता यदि प्रधान मंत्री जी यह कहते कि "हमें आशा है कि यह समस्या शांति पूर्ण ढंग से हल हो जायेगी ।" हमारी राजनैतिक प्रणाली अरब देशों के बजाय इज़राइल से अधिक मेल खाती है और जहां तक हो सके हमें आपस में अच्छे सम्बन्ध बना लेने चाहियें । इसके अतिरिक्त हमारी तटस्थता की नीति के अनुसार भी हमें दोनों देशों से सद्भावना पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये जैसा कई यूरोपीय देशों और कुछ एशियाई देशों ने किये हुये हैं।

चीन के बारे में हमें सतर्क रहना है। हमें विश्वास दिलाया जाता है कि हम काफ़ी तैयार हैं परन्तु ब्यौरा नहीं दिया जाता। अभी हाल ही में लंका के प्रतिपक्षी सदस्य श्री

[श्री हरि विष्णु कामत]

डडले सेनानायके ने कहा है कि चीन ने भारत आक्रमण के लिए लंका में ट्रिन्कोमली में जल सेना के लिए अड्डा बनाया है। हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। दक्षिण-पूर्वी एशिया ीन की गविधिमें ति यों का विशेष रूप से ख्याल करना होगा।

अब मैं उस विषय के बारे में बात करूंगा कि जिस के बारे में सभी को चिन्ता है और जिस का उल्लेख माननीय मित्र श्री हीरेन मुकर्जी ने किया है। वह विषय है भ्रष्टाचार का। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस पर कुछ नहीं कहा गया।

श्री प्रताप सिंह कैरों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की गई थी। खेद है उन का बध कर दिया गया है। बख्शी गुलाम मुहम्मद के बारे में जांच कमीशन की नियुक्ति कर दी गई है। उड़ीसा की जांच की भी खूब चर्चा रही। इन सभी मामलों में जांच विभिन्न प्रकार से करवाई गई। यह बात ठीक नहीं। सरकार ने प्रशासनिक स्तर, पार्टी स्तर तथा कानूनी स्तरों पर कार्यवाही करके जांच के भिन्न प्रकार के तरीके अपनाये हैं। यह उचित नहीं है।

अब मैं उड़ीसा के बारे में कहूंगा। मैं हैरान हूं कि प्रधान मंत्री और मंत्रि मंडल की उपसमिति इस निर्णय पर कैसे पहुंचे जोकि किया गया है। श्री विजू पटनायक अपनी हाल ही में दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है। मंत्रिमंडल की उपसमिति ने इस को केवल प्रशासनिक अनौचित्य कहा है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि केन्द्रीय जांच विभाग ने इस मामले में बहुत कार्यकुशलता से काम किया है और वह प्रशंसा का पात्र है।

इस जांच रिपोर्ट में ऐसी गम्भीर बातें हैं परन्तु सरकार ने चुप रहने की नीति अपना ली है। मेरे पास रिपोर्ट की प्रति है और मैंने इसे पढ़ा है। मैं चकित हूं कि श्री पटनायक कैसे दोषमुक्त कर दिये गये हैं। इस मामले में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा लगाये गये आरोप श्री प्रताप सिंह कैरों पर लगाये गये आरोपों से अधिक गम्भीर हैं। श्री पटनायक और श्री मित्रा के विरुद्ध एक जांच आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। बहुत छोटी बातों के लिए अधिकारियों पर अभियोग चलाये जाते हैं परन्तु यहां इतने बड़े जुर्मों के होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। मंत्रि मंडल की उपसमिति ने कहा है कि श्री पटनायक तथा श्री मित्रा ने ऐसे कार्य किये जैसे उन लोगों को सरकारी काम दिलवाये जो उन के अपने सम्बन्धी थे। यह उचित नहीं।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : श्रीमान् जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट में से उद्धरण दे रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन के पास अधिकृत प्रति है ? इस का स्पष्टीकरण होना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं इसके प्रमाणिक होने के बारे में आपको चुनौती देता हूं आप इससे इन्कार करें। यदि आप चाहें तो मैं इस को सभा पटल पर रख सकता हूं। उपसमिति ने आगे कहा कि उस को इस बात पर बहुत चिन्ता है कि ऐसे सौदे किये गये हैं कि जिन में राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग किया है।

श्री च० का० भट्टाचार्य : लोक सभा प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत जब कोई सदस्य गोपनीय रिपोर्टों में से उद्धरण पढ़े तो उसे पहले वह रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को देनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि वह इसे सभा-पटल पर रखें ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस विषय पर पहले विचार होना चाहिये। यह प्रथा ठीक नहीं कि गोपनीय दस्तावेजों में से उद्धरण पढ़े जायें।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : यह गोपनीय रिपोर्ट बाहर कैसे मिल गई।

श्री हरि विष्णु कामत : यह जानना आप का काम है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को यह दस्तावेज कैसे प्राप्त हुआ है।

श्री हरि विष्णु कामत : आप किस नियम के अधीन मुझ से प्रश्न कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सरकार चाहे तो मैं उन से इस सभा पटल पर रखने को कह सकता हूं। मैं उन्हें उद्धरण देने से रोक नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि उन्हें यह रिपोर्ट कैसे प्राप्त हुई। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि गोपनीय दस्तावेज़ इस प्रकार लोगों के हाथ न आ जायें।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : वह इसे गोपनीय क्यों रखना चाहते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : सरकार इस प्रकार की सभी बातों को गोपनीय समझती है। वह सब को अन्धेरे में रखना चाहती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य मंत्री बनने पर श्री पटनायक ने एक परिपत्र जारी किया। यह 17 नवम्बर, 1961 को जारी किया गया था जिसके अनुसार सभी सरकारी खरीद का काम राज्य में ही किया जाय। इससे उनके निजी हितों को लाभ हुआ।

प्रदीप बन्दरगाह में एक अधिकारी की नियुक्ति भी अनुचित थी। यह केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है। आगे चलकर उस में यह भी है कि 2-10-63 से अर्थात् जब से श्री मित्रा मुख्य मंत्री बने सरकारी विभागों में खरीदने का काम कई गुना बढ़ गया। यह निजी हितों को लाभ दिलाने के लिए किया गया था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : शेष बात समाचार पत्रों में पहले ही आ चुकी है।

श्री हरि विष्णु कामत : कुछ सौदे जो कि कालिंग इंडस्ट्रीज से किये गये हैं उन पर भी आपत्ति की गई है। रिपोर्ट में लिखा है कि यह सौदे जनहित का ध्यान रख कर नहीं किये गये बल्कि कालिंग इंडस्ट्रीज़ को फायदा पहुंचाने के लिए किये गये हैं।

मैं अन्त में सभा से आग्रह करूंगा कि श्री पटनायक तथा श्री मित्रा के इन कुकर्मों पर गम्भीरता से विचार किया जाय और जुर्म करने वालों को ऐसे ही दोषमुक्त न कर दिया जाय।

श्री केप्पन (मवातुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सदस्यों से यह आग्रह किया है कि सदस्यों को राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिए राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करना है। क्या हम इस महान कार्य के करने योग्य हैं अथवा नहीं। हमें स्वयं यह सोचना है कि क्या इन प्रयोजनों को पूरा करने योग्य हम हैं ? दो दिन पूर्व यहां पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि इस कठिन प्रश्न पर हमने राष्ट्र का क्या मार्गदर्शन किया है। हमारा देश एक

[श्री केप्पन]

अति निर्धन देश है । लोगों के पास खाने को रोटी नहीं और पहनने को कपड़ा नहीं तथा रहने को मकान नहीं । वे बड़ी मुश्किल से जीवन निर्वाह करते हैं । ऐसी स्थिति में हम भाषा के प्रश्न पर आपस में झगड़ा करें शोभा की बात नहीं । हमें अपनी शक्ति इस देश के करोड़ों लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करने की ओर लगाना चाहिये ।

इस देश में कुछ लोग धर्म में अंधविश्वास रखते हैं तो कुछ सम्प्रदाय की बात करते हैं । कई लोगों ने भाषा के प्रश्न पर मूर्खता दिखाई है । भाषा किसी की निजी सम्पत्ति नहीं है । यह सभी का अधिकार है कि वह जो भाषा चाहें पढ़ें और सीखें ।

अभी जनसंघ वालों ने हिन्दी लाने के लिए आन्दोलन किया है । समाचार पत्रों में आया है कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा का ही प्रयोग किया । मैं तो किसी भी भाषा को विदेशी नहीं समझता ।

भाषा के प्रश्न पर हमें एक दूसरे का दृष्टिकोण जानना चाहिये और परस्पर कठिनाइयों को ध्यान में रखना चाहिये ।

दक्षिण वाले केवल यही चाहते हैं कि भाषा के प्रश्न पर स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गये आश्वासनों को कानूनी रूप दे दिया जाय । उनको संवैधानिक मान्यता दे दी जाय । यह केवल उदारता दिखाने की बात है । आप इस के पश्चात् हिन्दी का अधिक से अधिक प्रचार कर सकते हैं और आप देखेंगे कि शीघ्र ही सम्पूर्ण देश में हिन्दी को सरकारी भाषा बनाने की मांग होने लगेगी ।

आप देश में एकता केवल भाषा द्वारा ही नहीं ला सकते । यह आवश्यक नहीं कि एक भाषा होने से देश में सभी समस्यायें हल हो जायेंगी । हम सब भाई हैं । हम देश में एकता चाहते हैं । भाषा के प्रश्न से भी अधिक जटिल समस्यायें हमें हल करनी हैं । मैं आशा करता हूं कि ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करेगा और हम इस समस्या के समाधान में सफल होंगे ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बहुत सी बातों का उल्लेख किया है । उन्होंने कहा कि तृतीय योजना के अन्त तक हम 1 करोड़ 17 लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न कर सकेंगे । यह बहुत बड़ी सफलता की बात है । दक्षिण भारत में इडीक्की योजना को आरम्भ नहीं किया गया । इस के लिए कैनेडा सरकार ने कुल खर्च का आधा भार उठाने का आश्वासन भी दिया था । मैं आग्रह करता हूं कि सरकार इस योजना को अवश्य पूरा कराये । इस में सरकार को केवल 30 लाख रु० ही देने होंगे ।

खाद्य पदार्थों के उत्पादन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में छोटे-छोटे किसान अधिक हैं । वे अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकते जब तक कि उनकी भूमि की चकबन्दी न हो जाये । फिर एक निर्धन किसान कृषि के नये तरीके भी नहीं अपना सकता । हमारे यहां खेती करते समय विशेष खेतों में विशेष वस्तुएं पैदा करने की प्रथा नहीं । इस से उत्पादन नहीं बढ़ता । हमें कुछ खेत विशेष अनाजों आदि के लिए नियत कर देने चाहियें ।

हमें भारत में भूमि सर्वेक्षण करना चाहिए और यह बहुत आवश्यक भी है । यह जानना होगा कि कौन सा क्षेत्र कौन सी फसल के अधिक उचित है । भारत में यह कार्य लगभग

हो ही नहीं रहा है। यह काम सरकार को ही करना है। देश का कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। पिछले 17 वर्षों में हम ने किसानों को कुछ नहीं बताया। सरकार के अधिकारियों में नौकरशाही की भावना बहुत है। यह कार्य सहकारी संस्थाओं जैसे गैर-सरकारी निकायों को करना होगा। उन्हें हर एक गांव में प्रत्येक परिवार के लिए उत्पादन योजना बनानी चाहिए। और फिर देखना होगा कि क्या योजना के अनुसार उत्पादन बढ़ा है या नहीं। यदि इस प्रकार यत्न किया जाय तो मुझे पूरी आशा है कि पांच वर्षों में उत्पादन बहुत बढ़ जायगा।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं। किसी एक राज्य में तथा उस के निकटवर्ती राज्य के मूल्यों में भी बहुत अन्तर है। यह सब किस की ज़िम्मेदारी है। केरल में पिछले दिनों बहुत बुरी दशा हुई। वहां खाद्य पदार्थों की कमी हो गई थी। अब वहां हैजे का प्रकोप बढ़ा हुआ है। पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री वहां पहुंचायी जानी चाहिये और बीमारी की रोकथाम के लिये आवश्यक टीकों का भी प्रबन्ध होना चाहिये।

श्री सुबोध हंसदा (झाड़ग्राम): मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हम कहते हैं कि तृतीय योजना काल में हम ने उद्योगों के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है परन्तु यदि हम इनमें लगाये गये धन को देखें तो यह प्रगति अधिक नहीं जान पड़ती। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में भी उत्पादन अधिक नहीं हुआ है। खाद्य उत्पादन पिछले तीन वर्षों में नहीं बढ़ा है, । परन्तु यदि हम कुल भूमि जिस में खेती होती है उसके आंकड़े देखेंगे तो वे इस प्रकार हैं:— 1949 में 27 करोड़ 60 लाख एकड़ भूमि में खेती हो रही थी परन्तु 1964 में 37 करोड़ 60 लाख एकड़ भूमि में खेती हो रही थी। अब कहा जाता है कि खाद्य पदार्थों की कमी जन संख्या में बढ़ोतरी के कारण है। यदि आप उस समय के उत्पादन और जन संख्या और अब के उत्पादन तथा जनसंख्या का मुकाबला करें तो पता चलेगा कि यह ठीक नहीं। इस कमी के कुछ और भी कारण हैं।

पिछले वर्ष खाद्य स्थिति बड़ी गम्भीर थी। यह कहा जाता है कि यह प्राकृतिक कारणों की वजह से ऐसा हुआ। परन्तु मेरे विचार में तो इस के लिये सरकार उत्तरदायी है। यदि आप तीन पंचवर्षीय योजनाओं को देखें तो आपको पता चलेगा कि सरकार ने वह सब कुछ नहीं किया जो उसे करना चाहिये था। मेरा अभिप्राय किसानों को सिंचाई, खाद, बीज, और अच्छे औजारों की सुविधायें नहीं दी जो देनी चाहिये थीं। आप देखेंगे पिछली योजना में कि केवल 18 से 20 प्रतिशत खेती योग्य भूमि के लिये सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है। जैसा कि सरकार के कागज़ों में लिखा है परन्तु वास्तव में 15 प्रतिशत को भी पानी की सुविधा नहीं दी गई। बड़ी-बड़ी योजनाओं के कारण पानी की छोटी योजनाओं की ओर लापरवाही बरती गई है। एक तो उन्हें खाद ठीक नहीं दी गई, दूसरे रसायनिक खाद के उपयोग के ग़लत प्रदर्शन उन के सामने किये गये।

ऐसे ही बीजों के बारे में भी किया गया। इस काम में इतनी देर की गई कि यद्यपि इस समय बाजार में आलू तो पहले ही आ गया है परन्तु बीज उसका अब आ रहा है।

यही हाल खेती के औजारों का है। सरकार यहां छोटे बगीचों के ट्रेकटर अथवा हल बनाने की अपेक्षा, जो कि अच्छे सिद्ध हो सकते हैं, बड़े बड़े ट्रेक्टरों के चक्कर में पड़ी हुई है। जब तक यह ऊपर बताई चीज़ें नहीं की जातीं, खेती की पैदावार बढ़नी सम्भव नहीं है।

[श्री सुबोध हंसदा]

हमारे देश में एक विचार बहुत किया गया है । और वह है जापानी ढंग की खेती । मुझे पता नहीं कि यह ढंग हमारे देश में लागू करने के लायक भी है । जापानी ढंग की खेती के अनुसार चावल की खेती पर 600 रु० प्रति एकड़ का व्यय तथा गेहूं की खेती पर 300 रु प्रति एकड़ का व्यय आता है । हमारे देश में इतनी लागत लगाना सम्भव नहीं है । कहते हैं कि इस ढंग के अनुसार 90 लाख एकड़ भूमि पर खेती हो रही है परन्तु यदि आप वास्तव में जा कर देखें जैसा कि मैंने किया है तो पता चलेगा कि 100 एकड़ भूमि पर भी इस ढंग की खेती नहीं हो रही है । इस प्रकार काफ़ी धन इस पर बरबाद कर दिया गया है । उस ढंग की खेती के लिए सब से अधिक आवश्यकता अधिक पानी के मुहय्या करने की है । तथा रसायनिक खाद की ।

अब मैं मूल्यों में वृद्धि के मामले पर आता हूं । सरकार के प्रयत्न के होने पर भी मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और ग़रीब व्यक्ति इस कारण से पिस रहे हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि यदि सरकार के बस में इन मूल्यों की बढ़ोतरी को रोकना नहीं है तो उसे चाहिये कि गांव के व्यक्तियों तथा थोड़ी आय के व्यक्तियों को वह आम उपयोग की चीजें सस्ते दामों पर उपलब्ध करनी चाहियें ।

अब मैं शरणार्थियों की समस्या पर आता हूं । मुझे दुःख से कहना पड़ता है, कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है । केन्द्रीय सरकार का तो मुझे पता नहीं परन्तु बंगाल की सरकार का तो इस समस्या से नाक में दम आ गया है । जनवरी 1964 से जो शरणार्थी आये उन के कारण वहां की सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा और चीजों ने बड़ी समस्यायें खड़ी कर दी हैं। जो व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थी बन कर आये थे उनका मुझे पता है कि भारत सरकार ने उनकी जायदादों का परिगणन कराया था और उसका 50 प्रतिशत मुआवजा उन शरणार्थियों को दिया था । परन्तु पूर्वी बंगाल से जो शरणार्थी आये हैं उनकी जायदादों का कोई परिगणन नहीं किया गया है । और न ही कोई मुआवजा दिया गया है । इस लिये मैं चाहता हूं कि इन्हें भी कोई सहायता दी जावे और एक मुआवजे का पूल बनाया जावे जैसा कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के बारे में किया गया था ।

जो शरणार्थी पश्चिमी बंगाल से बाहर भेजे जा रहे हैं उन पर तो भारत सरकार करोड़ों रुपया व्यय कर रही है परन्तु जो पश्चिमी बंगाल में रह गये हैं उन पर भारत सरकार कुछ भी खर्च नहीं कर रही और इस प्रकार सारा बोझ पश्चिमी बंगाल सरकार पर पड़ गया है । इसलिये भारत सरकार से पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अनुरोध किया है कि उन्हें इस मामले में सहायता दी जाये ।

दंडकारण्य में जो शरणार्थियों को फिर से बसाने का काम हो रहा है उसे मैंने स्वयं जाकर देखा है और मैं अनुभव करता हूं कि वहां छोटे उद्योग खोल दिये जावें तो काफ़ी शरणार्थी वहां जाने को तैयार हो जावेंगे ।

मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में उल्लेख किया गया है । बात यह है कि सरकार तो उनकी सहायता करना चाहती है परन्तु जो सरकारी अधिकारी इस काम को कार्यान्वित

करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं वे उन लोगों को सहायता देना नहीं चाहते । और न ही उन्हें इन से कोई सहानुभूति है । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार द्वारा इन अधिकारियों को एक विशेष निदेश दिया जाये जिस से कि वे सरकार के आदेश को ठीक मानें और उन्हें ऊपर उठायें ।

राष्ट्र भाषा के बारे में मैं यह कहूंगा कि 1950 में यह निर्णय हो गया था कि हिन्दी केन्द्र की सरकारी भाषा होगी परन्तु पिछले 15 वर्ष में इस ओर क्या कार्य किया गया है ? मेरे अपने राज्य में हिन्दी केवल पांचवीं और छटी कक्षाओं में दो वर्ष तक पढ़ाई जाती है उसके पश्चात् उन्हें संस्कृत पढ़ाना आरम्भ कर दिया जाता है । इसलिये हिन्दी सिखाने पर काफ़ी जोर देना चाहिये ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर): उपाध्यक्ष-महोदय राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारे सामने है । ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस में हमारे देश की पिछले वर्ष की आर्थिक तथा राजनैतिक स्थिति का पूरा उल्लेख मिलेगा तथा हमारे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों का भी पता लगेगा और अगले वर्ष के लिये क्या करना है यह बताया जायेगा । परन्तु इसको अच्छी.प्रकार से जांचने के पश्चात मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि जो आशायें इस से बांधी थी वे बिल्कुल पूरी नहीं हुई ।

सरकार कहती है कि देश संकटकाल से गुजर रहा है परन्तु सरकार के या सत्तारूढ़ दल के कामों से तो ऐसा नहीं दिखाई देता । अभी कांग्रेस का अधिवेशन दुर्गापुर में हुआ और उसके बारे में बंगाल के एक उत्तरदायी समाचारपत्र ने समाचार दिया है कि उस पर एक करोड़ रुपये से भी अधिक व्यय हुआ । उसके लिये एक नया रेलवे स्टेशन बनाया गया तथा विशेष रेल गाड़ियां चलायीं । अब बताइए कि यह कैसा संकटकाल चल रहा है ।

गृहकार्य मंत्री श्री नन्दा ने बहुत से साम्यवादियों को पकड़वाया है, और कहा है कि चीन ने जो देश पर आक्रमण किया था उसे ये लोग आक्रमण का नाम देने को भी तैयार नहीं हैं । परन्तु मैं चाहता हूं कि हमारे नेता श्री अ० क० गोपालन ने जो भाषण 20 फरवरी 1963 को लोक सभा में राष्ट्रपति के उस वर्ष के अभिभाषण पर बोलते हुए दिया, उसे पढ़ा जाए । उन्होंने वहां मान लिया है कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया है । इसलिये उन लोगों को देश विरोधी नहीं कह सकते । मैं तो बल्कि कहूंगा कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है । उन्हें राष्ट्रपति ने समन जारी करके यहां लोक सभा के सत्र के लिए बुलाया परन्तु केरल के एक छोटे से अधिकारी ने उसे गिरफ्तार करके विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न कर दिया है । इन गिरफ्तारियों की भर्त्सना एक कांग्रेस के ही "सप्ताहिक सैन्चरी" ने की है और उसने कहा है कि इससे विदेशों में भारत के मान पर धब्बा लगा है । "लन्दन टाइम्स" ने भी इन गिरफ्तारियों की निन्दा की है । नन्दा जी ने जो 40 पृष्ठ का विवरण जारी किया है उससे उनके कार्य की कोई पुष्टि नहीं हुई है । वहां कहा गया है कि गणेश घोष तथा डा० नारायण राय, जो पश्चिमी बंगाल विधान सभा के सदस्य हैं, वे कुल्लू गए थे । अब कोई बताए कि सरकार का पर्यटक विभाग तो व्यक्तियों से कहता है कि वहां जायें तो फिर उन्होंने क्या अपराध कर दिया कि वे वहां गए । जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं उनके विरुद्ध मुकदमे क्यों नहीं चलाये गये । क्या कारण है कि एक भी व्यक्ति पर अभियोग नहीं चलाया गया ? अभी कल की बात है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के हक में निर्णय दिया है कि उसका निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी बनाया जाना ठीक नहीं था । मैं सरकार से कहूंगा कि वह

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को पढ़ें जो उसने उस समय दिया जब 1962 में सरकार ने कई सौ साम्यवादियों को बन्दी बनाया था। उच्चतम न्यायालय ने उन गिरफ्तारियों को प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध बताया। मैं तो कहता हूं कि इन व्यक्तियों पर अभियोग चलाया जाए और यदि वे अपराधी सिद्ध हों तो आप उन्हें फांसी तक की सजा दे सकते हैं। अन्यथा जनता कहेगी कि सरकार कितनी अनुत्तरदायी हो गई है और विशेषकर गृह-कार्य मंत्री को जो राजनैतिक मामलों में बात तो करते हैं "सदाचार" की और काम करते हैं "कदाचार" के।

ऐसे ही देश की सुरक्षा की बात है कि इन व्यक्तियों ने उसे खतरे में डाल दिया है। यदि एसा किया है तो उन पर अभियोग चलाइये।

दूसरे मामलों पर आते हुए मैं कहूंगा कि कांग्रेस श्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद से अपने सिद्धान्तों से हट रही है। यह विचार मेरा ही नहीं अपितु कुछ कांग्रेसियों का भी है कि कांग्रेस के भुवनेश्वर तथा दुर्गापुर अधिवेशनों में बड़ा अन्तर था और जो बातें भुवनेश्वर में मानी गई थीं उनसे अब दुर्गापुर में पीछे हट गई हैं।

इतनी योजनाओं के होते हुए भी नीचे की आय के व्यक्तियों का स्तर ऊंचा नहीं हुआ है। अभी जबकि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार कर रहे हैं तो हजारों अध्यापक सारे देश में आन्दोलन कर रहे हैं कि उनके वेतन बढ़ाये जायें।

यही हालत गांव के लोगों की है। वहां खेतीहर मजदूर और अन्य निर्धन लोग अधिक निर्धन होते जा रहे हैं। इसका कारण सरकार का एकाधिकारियों (मोनोपालिस्ट्स) के हाथों में खेलना। यह नीति सरकार दोनों अर्थात् घरेलू और विदेशी मामलों में बरत रही है। अभी सरकार ने घोषणा की है कि विदेशी पूंजीपतियों को सरकार यहां रुपया लगाने के लिये सुविधा देगी। इस से हमारे देश की अर्थ व्यवस्था देशी और विदेशी पूंजीपतियों के प्रभुत्व में आ जावेगी। जब सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव यहां पेश हुआ तो उस पर बोलते हुये डा० लोहिया ने बताया था कि हमारे देश में एक व्यक्ति की औसत आमदनी 19 पैसे है। ऐसी ही बात योजना आयोग ने जो चौथी पंच वर्षीय योजना के बारे में नोट जारी किया उसमें था। उसमें लिखा गया था कि हमारे देश के चार करोड़ तीस लाख व्यक्ति केवल 30 पसे दैनिक पर गुजारा कर रहे हैं। और उसके बाद इतने ही व्यक्ति 42 पैसे दैनिक पर तथा उसके बाद के इतने ही व्यक्ति 51 पैसे दैनिक पर और उसके बाद के इतने ही व्यक्ति 59 पैसे दैनिक पर अपना निर्वाह कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार की कर नीति भी ऐसी है कि उससे सामान्य व्यक्तियों पर अधिक बोझ पड़ रहा है। 1950–51 में केन्द्रीय सरकार ने जो कुल कर लगाये उनकी राशि 405 करोड़ रुपया थी और उसमें से $227\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया अप्रत्यक्ष करों का था। अब 1964–65 में कुल केन्द्रीय कर 1558 करोड़ रुपये के थे जिसमें से 981 करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष कर हैं। इस लिये हमारी करों की नीति बहुत खराब है और यही कारण है कि वस्तुओं के मूल्य इतने चढ़ गए हैं। 1947–48 में बंगाल में एक सेर चावल 6 या 7 आने का मिल जाता था परन्तु आज यह 13 आने में मिलता है।

मैंने पहले ही कह दिया है कि किसानों को उचित दाम मिलना चाहिये परन्तु असली किसानों को जो स्वयं खेती करते हैं न कि वे जो दूसरों से खेती कराते हैं अथवा किसानों से सस्ते दामों पर अन्न खरीदते हैं और ऊंचे दामों पर बेच देते हैं।

अब मैं कुछ शब्द भाषा संबंधी नीति के बारे में कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। बात यह है कि इस मामले में सारी गलती सरकार की है। अभी मद्रास आदि में जो उपद्रव हुये और उस पर जो प्रधान मंत्री ने भाषण दिया उसे सुनकर मुझे दुःख हुआ। चाहिये तो यह था कि वह कोई गम्भीर बयान देते जिससे देश को पता चलता कि सरकार इस समस्या को सुलझाने की इच्छुक है। उसके विपरीत उन्होंने कहा कि सरकार शांति तथा व्यवस्था के मामले को प्राथमिकता देती है और भाषा की बात बाद में आवेगी। यदि सरकार का यही दृष्टिकोण रहा तो वह कभी इस समस्या को नहीं सुलझा सकेगी। इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार को चाहिये कि इसे कानूनी रूप दिया जाए और देश की स्वीकृत चौदह भाषाओं को बराबर का स्थान मिलना चाहिये। मुझे तो यह बात भी ठीक नहीं लगती कि इस सदन में सदस्यगण हिन्दी अथवा अंग्रेजी में ही भाषण दे सकते हैं और यदि कोई किसी और भाषा में देना चाहे तो उसे उस भाषा का अनुवाद साथ देना होगा।

ऐसे ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रत्याशियों को अपनी अपनी भाषाओं में प्रश्नों के उत्तर देने का अधिकार होना चाहिये। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो 26 जनवरी, 1965 से पहले जो स्थिति थी वही बनी रहनी चाहिये। साथ साथ सरकार को चाहिये कि ऐसे उपाय करे कि एक ऐसी भाषा हो जो सारे देश में फले फूले और जो सह-भाषा का काम दे और यह काम किसी भाषा को लादने से नहीं अपितु दूसरों को मना कर अपने साथ ले चलने से ही हो सकता है। फिर भी मैं सरकार के प्रस्ताव का जो वह यहां प्रस्तुत कर रही है उसका पूरी तरह विरोध करता हूं।

मैं चाहता हूं कि पकड़े हुए व्यक्तियों को किसी न्यायालय के सामने ले जाया जाये। 1962 में भी इन्होंने श्री भवानी और श्री मनोहर को बन्दी बनाया था परन्तु जब वे न्यायालय के सामने ले जाये गये तो उसने उन्हें छोड़ दिया और कहा कि वे भले आदमी हैं। अब फिर उन्हें बन्दी बना लिया गया है। कुछ बन्दियों को कारागार में बहुत सी वस्तुएं जोकि अंग्रेज सरकार तक दे देती थी, वे भी नहीं दी जा रही हैं। मैं केवल यह प्रार्थना करूंगा कि केन्द्रीय सरकार उनके साथ अच्छी प्रकार व्यवहार करने का आदेश दे।

श्री सुब्बरामन (मदुरै): उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय राष्ट्रपति ने रामेश्वरम द्वीप में हुई दुर्घटनाओं का उल्लेख किया है। सदन को चाहिये कि इस दुर्घटना के कारण जो व्यक्ति मर गये या जिनका नुक्सान हुआ है उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करें।

राष्ट्रपति जी ने भाषा के प्रश्न पर हुए उपद्रवों पर भी खेद प्रकट किया है। तमिलनाड में वहां की जनता यह समझ बैठी है कि तमिल भाषा का स्थान हिन्दी ले रही है। ऐसे ही वहां के पढ़े लिखे व्यक्ति भी समझ रहे हैं कि नौकरियों आदि में उन्हें हिन्दी न जानने के कारण हानि उठानी पड़ेगी। दक्षिण में सारी संस्थायें और व्यक्ति चाहते हैं कि अंग्रेजी ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में चलती रहनी चाहिये।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू के आश्वासन को कानूनी रूप दिया जाना चाहिये नहीं तो लोगों को तसल्ली नहीं होगी। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने वहां हिन्दी के विरुद्ध बड़ा प्रचार किया है और यदि आप उनके कुछ नारों को पढ़ें तो विदित हो जावेगा। उदाहरण के लिये मैं कुछ नारे प्रस्तुत करता हूं जो उन्होंने लगाये हैं: "यदि हिन्दी आ गई तो तमिल समाप्त हो जावेगी", "हमारा शरीर तो धरती के लिये है और जीवन तमिल के लिये है" आदि आदि। वहां के सभी समाचारपत्रों ने हिन्दी

[श्री सुब्बरामन]

का विरोध किया है। अधिकतर वहां व्यक्ति यह मांग कर रहे थे कि अंग्रेजी को जारी रहने दिया जाये चाहे इसके लिये संविधान में संशोधन क्यों न करना पड़े और चाहे सरकारी भाषा अधिनियम में भी संशोधन किया जाये।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता ने काम रोको प्रस्ताव पर बोलते हुए मदुरै में हुई अहिंसात्मक कार्यवाहियों के लिये सरकार को दोषी ठहराया है। परन्तु मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी को यह भी पता है कि यह सब कैसे हो गया।

24 जनवरी को भी संविधान का भाषा सम्बन्धी भाग जला दिया गया। नगर में से प्रदर्शन किये गये। एक महिला विधायक के सामने लगभग 15 या 20 मिनट तक भद्दे प्रदर्शन किये गये। कांग्रेस के कार्यालय को आग लगा दी और उसके ध्वज को जला कर उसके स्थान पर काला झंडा लगा दिया गया।

मैंने यह सब इसलिये कहा कि जो व्यक्ति कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं वे इन बातों की ओर भी ध्यान दें। मुझे विश्वास है कि यह सब समाज विरोधी तत्वों ने किया। मैं इन कार्यों की, चाहे यह किसी ने भी किया, निन्दा करता हूं। लोगों का कत्ल, पुलिस अधिकारियों का जलाया जाना आदि बहुत निन्दनीय कार्य हैं।

यदि स्थिति इसी प्रकार चलती रही तो लोकतंत्र के लिये कोई स्थान नहीं रहेगा और कांग्रेस तो क्या और भी कोई राजनैतिक दल नहीं रहेगा। इसलिये हम सबको सतर्क रहना चाहिये क्योंकि यह हमारे देश के लिये एक चुनौती है।

हमारे देश में भिन्न-भिन्न धर्म सम्प्रदाय तथा जातियां निवास करती हैं। हमें अपने देश की एकता हर कीमत पर बनाये रखनी चाहिये और उसके लिये हमारे अन्दर सहनशीलता होनी चाहिये। इसलिये हर काम बहुमत के ही आधार पर नहीं सुलझाने चाहियें परन्तु सर्वसम्मति से इन्हें हल करना चाहिये।

यदि इसी प्रकार अनुशासन भंग होता रहा तो यहां सैनिक राज होगा या भीड़शाही होगी।

कुछ सदस्यों ने खाद्य मंत्री तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री के त्यागपत्र देने की निन्दा की है : जो उनके त्यागपत्रों की निन्दा करते हैं उन्हें तमिलनाड के व्यक्तियों की भावनाओं का ज्ञान नहीं है।

मुझे कहा जा रहा है कि मैं तमिल भाषा के प्रति गद्दार हूं और मुझे कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें धमकी दी गई है कि मुझे वे जान से मार देंगे। ऐसे ही पत्र अन्य व्यक्तियों को प्राप्त हो रहे हैं और गृह-कार्य मंत्री की कार पर भी अभी आक्रमण किया गया था। मुझे विश्वास है कि वह राजनीतिक दल जो हिंसा में यकीन रखता है ऐसे कार्यों के पीछे है।

भाषा के प्रश्न को कानूनी, प्रशासनिक आदि सभी ओर से अध्ययन करना चाहिये। तमिलनाड में लोग यह चाहते हैं कि अंग्रेजी को ऐसे ही चलते रहने दिया जाये जैसेकि 26 जनवरी, 1965 तक चल रही थी। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें हर क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहियें। उत्तर भारत के लोगों को कम से कम एक दक्षिण भारत की भाषा सीखनी चाहिये और हमें दक्षिण में जो हिन्दी के विरुद्ध वातावरण पैदा हो गया है उसे दूर करना चाहिये। दक्षिण के लोगों को अपने काम काज अपने राज्य की भाषा में करने चाहियें ताकि वे यह न समझें कि उनकी भाषा को महत्व नहीं दिया जा रहा।

श्री टे० सुब्रह्मण्यम् (बेल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण यद्यपि संक्षिप्त परन्तु बहुत ही शानदार है जिसमें पिछले वर्ष की सफलताओं का वर्णन तथा अगले वर्ष के लिये अपने कर्त्तव्यों के पालन के बारे में बताया गया है ।

उन्होंने स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी के निधन का उल्लेख किया । ऐसा उल्लेख करना ठीक ही था क्योंकि नेहरू जी ने आजादी के संग्राम में अच्छा भाग लिया और स्वाधीनता की ओर ले गये । इसके पश्चात् उन्होंने सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति की मजबूत नींव डाली और भारत की एकता बनाये रखने के लिये पूरा जोर लगाया । यह बात आज जबकि भाषा के आधार पर झगड़े हो रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती है ।

राज भाषा के बारे में हमारे संविधान ने स्पष्ट कर दिया है कि यह हिन्दी होगी और वह भी देवनागरी लिपि में । हम सबने इसे पसन्द किया है और पिछले 40 से 50 वर्ष तक मेरा इस भाषा से बड़ा गहरा सम्बन्ध रहा है । यह था देश की एकता बनाये रखने के लिये ।

मेरी समझ में तो हिन्दी को लेकर यह जो झगड़े हो रहे हैं वह समझ में नहीं आते क्योंकि संविधान इस बारे में स्पष्ट है कि 1965 तक अंग्रेजी और उसके पश्चात हिन्दी यहां की राजभाषा होगी । 1965 के पश्चात् यदि संसद् ने ठीक समझा तो अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में जारी रखा जा सकता है । इसीलिये हमने एक कानून पास किया और अंग्रेजी को सह-भाषा के रूप में जारी रखा । जब यह तथ्य है तो मेरी समझ में नहीं आता कि अंग्रेजी का इतना विरोध क्यों किया जा रहा है चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें हों अथवा इस सदन में वाद-विवाद की बात हो ।

एक सुझाव आया है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें सारी क्षेत्रीय भाषाओं में हों । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ख़तरनाक सुझाव है । यह सच है कि कुछ कार्यों के लिये हमने उन्हें राष्ट्रीय भाषायें मान लिया है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 350 में लिखा है । परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि छोटी-छोटी बातों में भी हम क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करें । इसी प्रकार हिन्दी के प्रोत्साहन की बात 351 अनुच्छेद में दी हुई है । इसलिये केन्द्रीय सरकार पर एक दायित्व है कि हिन्दी का प्रचार तथा प्रसार करे । परन्तु जब तक हिन्दी अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं कर लेती तब तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहना चाहिये । मैं इस बात के लिये बड़ा उत्सुक हूं कि अन्त में हिन्दी ही अंग्रेजी का स्थान ले । मुझे आशा है कि हिन्दी अवश्य यहां आयेगी परन्तु अच्छा यह है कि यह काम बिना घृणा फैलाये आ जावे ।

राष्ट्रपति जी ने सामाजिक तथा आर्थिक विकास का भी उल्लेख किया और कहा कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ती जा रही है । 1960-61 में हमारी प्रति व्यक्ति आय 320 रुपये थी । यदि हम वर्तमान राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय तथा खर्च का मुकाबला करें तो खर्च केवल 23 रुपये आता है । क्योंकि इसमें धनी तथा निर्धन सब आते हैं इसलिये इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमारे देश के आधे व्यक्तियों से भी अधिक ऐसे लोग हैं जिन्हें 20 रुपये भी नहीं मिलते और एक तिहाई व्यक्तियों को केवल 15 रुपये मासिक मिलते हैं । यदि सारे व्यक्तियों को रोजगार देना है तो हमें अपने सारे साधन जुटाने होंगे । 1981 तक जनसंख्या के 67 करोड़ तक बढ़ने की संभावना है तथा राष्ट्रीय आय के 62,000 करोड़ तक बढ़ने की ।

आय में कमी का मुख्य कारण खेती में कम पैदावार होना है । 1955 में 658.2 लाख टन थी । 1960-61 में यह 796.9 लाख टन थी और 1965-66 में आशा है कि यह 920 लाख टन

[श्री टे० सुब्रह्मण्यम्]

होगी । चौथी योजना में हमारा उत्पादन 1200 लाख टन होने का अनुमान है । इसके लिये हमें 130 लाख एकड़ भूमि को बड़े तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजना के अन्तर्गत लाना होगा और 170 लाख एकड़ को ऐसी सिंचाई योजना में लाना होगा जो जल्दी ही फल दे सकें । हमें खाद की खपत को बढ़ाना होगा । तीसरी योजना में तो खाद की पैदावार बढ़ाने की दिशा में स्थिति अच्छी नहीं रही । मैं चाहता हूं कि सरकार इस कार्य पर बहुत ही उत्सुकता से काम करे ।

एक समीकरण भंडार योजना पर कार्य आरम्भ किया गया है । आशा है कि खाद्य निगम हमारी अन्न प्राप्त करने तथा वितरण के कार्य में सहायक होगा । हमारे मैसूर राज्य में कुछ गांवों ने अन्न भंडारों का काम वहां के व्यक्तियों ने अपने हाथ में ले लिया है। यह कार्य इसलिये संभव हुआ कि वहां के स्थानीय नेता बड़े बुद्धिमान थे । इसका परिणाम यह हुआ कि जब कुछ स्थानों पर अन्न की कमी के दिनों में लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ी तो उस गांव में लोगों को कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ी । ऐसा ही काम एक और गांव में हुआ । यह कार्य बहुत ही शानदार ढंग से हुआ और क्योंकि उनके खाते आदि सबके सामने खुले रहते हैं इसलिये इसमें किसी गड़बड़ अथवा चोरबाज़ारी के लिये कोई स्थान नहीं है । मैं खाद्य मंत्री को यह सुझाव दूंगा कि ऐसी योजनाओं को प्रोत्साहन दें ।

उद्योग के क्षेत्र में हमारा कार्य अच्छा रहा है । पिछले वर्ष औद्योगिक उत्पादन 9.2 प्रतिशत था और इस वर्ष यह 8 प्रतिशत है । बड़े उद्योगों में उत्पादन आरंभ हो गया है और मुझे आशा है कि इससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा ।

बिजली के बारे में यह बात है कि दूसरी योजना के अन्त तक विद्युत उत्पादन 56 लाख किलोवाट था और तीसरी योजना के अन्त तक यह 117 लाख किलोवाट हो जावेगी । 1951 में 4,000 गांव में बिजली लग गई थी और तीसरी योजना के अन्त तक 40,000 गांवों में बिजली आ जावेगी । वैसे भारत के कुल गांवों को देखते हुए यह कार्य काफी नहीं है ।

इस्पात के बारे में मैं कहूंगा कि हमारी आवश्यकतायें बढ़ती जावेंगी । तीसरी योजना के अन्त तक इस्पात का उत्पादन 74 लाख टन इंगोट होने की आशा है और चौथी योजना में इसका उत्पादन लक्ष्य 165 लाख टन होने की है। और दूसरे स्थानों में भी नये कारखाने लगाने की आशा है । अमरीका तथा इंगलैंड के विशेषज्ञ भी देश में उचित स्थान ढूंढ़ रहे हैं जहां इस्पात का कारखाना लगाया जा सके । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस बारे में वे विशेषज्ञों के प्रतिवेदन के अनुसार ही कार्यवाही करें ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Speaker, after listening to the President's Address all the members have been disappointed. When I read it I found that the food problem has not been presented before us in a proper manner. Even the Chief Minister of U. P. has called it as "grave situation". The Chief Minister there says that centre has not supplied them foodstuffs whereas the Central Government claims to have supplied enough food and says that the distribution system there is defective. The result is that people are suffering.

If food problem of the country is not solved a great revolution will come about and the Government will be held responsible for it.

If Government is not in a position to supply foodstuffs to U. P. within 15 days, it is likely that this may result in starvation of people.

The President in his Address has said :

> "Our Government attach the greatest importance to the maintedance of Industrial peace through the code of discipline and through the various instruments of negotiation, conciliation and adjudication which exist".

श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए

SHRI THIRUMALA RAO *in the chair*

The hon. Labour Minister is at this moment sitting here and so I want to state something about the Whitley Councils and joint consultative machinery, the establishment of which was accepted even by Pandit Pant after the strike of 1958, but a decision about that has not been taken for the last 6 years.

Even Mr. Leslie William who came from England also said that he would advise the Government for establishment of joint consultative machinery. It appears that this problem has become a match of badminton between Mr. Nanda and Mr. Sanjivayya.

The All India Railwaymen Federation and the Defence Employees Federation now no longer insist of Whitley Councils but want some improvement in negotiating machinery. The Home Minister should not come in its way. I have been told that he is doing that and he wants two things *viz.*, that the outsiders who are leaders should be asked to go out of these associations and secondly the employees should not use the right of going on strike. I consider it against the law and the 22 lakhs employees are not agreeable to it. I would therefore request the Labour Minister to throw some light on it. When there is a meeting of Indian Labour Council or some other Committees where the representative of the Capitalists, Mr. Naval tata comes, the Prime Minister in order to please the workers advises the capitalists. But the Prime Minister does not accept the same things in regard to his own central Government employees.

Now I want to say something about corruption. I want to congratulate the Home Minister and the Finance Minister that they are after all making some efforts to unearth black money. Had they begun their searches on a country-awide basis simultaneously they would have unearthed crores of rupees but it has not been done and Tata and Birla have been left out.

Just now Shri Kamath has made a mention of C. B. I. report on Orissa Ministry involving Shri Mitra Chief Minister of Orissa. A senior Congress member has characterised it as it is a character assassination. When a Congress member who is a member of the Syndicate can dub it like that, how can Shri Nanda make such people "Sadachari"? I therefore, want that there should be enquiry against every minister regarding corruption. The same should apply to members of Parliament otherwise we cannot be model to the people in this regard.

There is the question of unemployment. After the completion of the Third Five Year Plan it is said that there would be 1 crore and 20 lakhs people unemployed and this is rebutted by the fact that they would give employment

to 1 crore and 10 lakhs persons during the Fourth Plan period. The same thing was said at the beginning of Second Five Year Plan. It was stated that 8 million people will be given jobs but the fact is that 1 crore and 5 lakh people are now employed after the end of the second Five Year Plan. Here in India there appears to be a competition between unemployment and starvation. I have toured the Eastern districts of U. P. and found that prices have not gone down. But here in this House we are informed that the prices of essential commodities have come down. I want the Minister to go to the market and personally see the things. When the Government employees demand the bringing down of prices or else to raise their dearness allowance the Government offers them Rs. 7·00, Rs. 11·00 or Rs. 12·00. When they agitate the Government tries to crush their agitation. More than 1 lakh members of the Republican Party went to jails. They wanted for each a small house and employment. What has the Prime Minister and the Government done to their charter of Demands which was presented to him.

About the language problem, I want to say that the people in South have more grievances on this issue. I want a judicial enquiry about incidents which took place in South. I hold Government responsible for this otherwise during the last 16 or 17 years they could have done to develop Hindi language. On the one hand the rich have grown richer and the poor, poorer. Those who previously owned one workshop, now own ten workshops and those who earned previously Rs. 100·00 now in terms of actual price get Rs. 60·00. On the language issue we find a cabinet minister and a minister of State tendering resignations. What has the Prime Minister got to say about it ?

One thing which I want to plead with my South Indian friends is that our independent country should have one of its languages as its official language. I would have been happy if the South Indians would have immolated themselves for one of their own languages. But they did so only for the sake of a foreign language. It is intolerable that we should have the language of Englishmen who suppressed our people and who divided it into parts. I agree with Dr. Lohia that the mentality of slavery will not go from our minds till English remains as the language of India. The reason for the continuance of English here is that those who were in power here are the producers of Cambridge and Oxford and send thier children to public schools.

I am against imposition of a language and want that the Hindi speaking people should think over it in a cool manner and create an atmosphere for acceptance of Hindi by others. This is all the more necessary in view of aggression on our country by China and the intransigence of Pakistan, the problem in Ladakh, Nefa and Nagaland. At this time we should not permit the disintegration of our country.

We have other pressing problems like those of prices, foodgrains and if these are not solved, I want to warn there will be agitation for these.

About the arrests of members of Communist Party (Left), I want to say that the white paper issued by Mr. Nanda is not convincing as some of the charges are ridiculous like visit to Kulu Valley by some of the members of Communist Party. If they are Chinese agents, they should be tried and even hanged, if found guilty. But there should be a trial of those people.

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारी नई सरकार का नीति का पहला विवरण है । इसमें अधिकतर तो नेहरू जी की ही नीतियों पर चलने की बात है परन्तु साथ ही शास्त्री जी की भी छाप है ।

शास्त्री जी की छाप तो इसमें खेतीबाड़ी पर जो महत्व दिया गया है उस से विदित है । यह न केवल निर्धनों के हित में है अपितु आर्थिक दृष्टिकोण से भी दृढ़ है ।

मैं यह बात मानता हूं कि उद्योगों को स्थापित केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिये । परन्तु साथ-साथ मैं यह भी चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों को भी हमें अधिक धन-राशि देनी चाहिये ताकि वे सन्तुष्ट रहें और वे यह न कह सकें कि कोई उद्योग उनके क्षेत्र में बिना आर्थिक आधार के स्थापित की जावे ।

अब मैं राष्ट्रपति जी ने जो आग्रह मितोपभोग की भावना तथा त्याग की बात की है और योजनाओं के प्रति लगन की भावना उत्पन्न करने के बारे में कहा है, उस पर कुछ कहूंगा । भारत में तो मितोपभोग की भावना पहले ही से विद्यमान थी परन्तु खेद की बात है कि उसे ठीक प्रकार प्रयोग में नहीं लाया गया । यदि ऐसा होता तो हमारी खाद्य समस्या और अन्य समस्यायें हल हो जातीं । समाजवादी देशों में तो मितोपभोग की भावना वहां की सरकारें जबरदस्ती लादती हैं । इसलिये मितोपभोग की भावना हमारी योजनाओं का एक भाग होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. SPEAKER *in the chair*

शास्त्रीजी ने त्याग तथा मितोपभोग के लिये जो कहा है उसमें गांधीजी की झलक दिखाई पड़ती है । परन्तु दुर्भाग्यवश गांधी जी को केवल विशेष अवसरों पर ही याद किया जाता है ।

अब मैं खाद्य समस्या पर कुछ बोलूंगा । पिछले कई वर्षों से खाद्य का उत्पादन बढ़ता जा रहा है । मेरे मित्र श्री रंगा के भाषण से तो ऐसा प्रतीत होता था जसे खाद्य समस्या केवल संविधान में सत्रहवें संशोधन के कारण तथा भूमि सुधार कानून के कारण उत्पन्न हुई है । मैं यह भी कह दूं कि बहुत सी भूमि सुधार कानूनों के बाद भी 42 प्रतिशत भूमिधर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास एक एकड़ भूमि से भी कम है । और केवल .2 प्रतिशत व्यक्तियों के पास सारी भूमि का 6 प्रतिशत भाग है । साथ ही यह भी बता दूं कि अधिक उत्पादन केवल अच्छे बीज, रसायनिक खाद आदि पर ही आधारित नहीं है अपितु इस बात पर भी कि किसी के पास कितनी भूमि है ।

आप किस प्रकार खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जबकि स्वयं उत्पादन करने वालों को ही खाने को नहीं मिलता । और वे इतना पैदा ही नहीं कर रहे कि मंडी में भेज सकें । ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि उत्पादक न केवल अपने खाने के लिए उत्पादन करे प्रत्युत कुछ बचा कर दूसरों को भी दे । ऐसा नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता ।

आज इस देश में विभिन्न लोगों और दलों के निहित स्वार्थ चल रहे हैं । यह भी हो रहा है कि आज किसान के बेटे कृषि का कार्य छोड़ गांवों से शहरों की ओर आ रहे

[श्री बाकर अली मिर्जा]

हैं इससे स्थिति और बिगड़ जायेगी । मेरा निवेदन यह है कि यदि आज मजबूत समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो राजनीतिक शोषण बंद होना चाहिए । आज हम अपने देश को चीनी आक्रमणकारियों से भी खाली नहीं कर सके ।

अध्यक्ष महोदय : 4 बजे प्रधान मंत्री ने वक्तव्य देना था, अतः माननीय सदस्य बाद में अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

राज्य सरकारों के कुछ मुख्य मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE*: ALLEGATIONS AGAINST SOME CHIEF MINISTERS AND OTHER MINISTERS OF STATE GOVERNMENTS

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जैसा कि सदन को मालूम ही है 13 अगस्त, 1964 को राष्ट्रपति जी को 28 जुलाई, 1964 की तारीख का एक प्रतिवेदन दिया गया था जिसमें श्री बीजू पटनायक, श्री बीरेन मित्रा और उड़ीसा सरकार के कुछ अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे । राष्ट्रपति जी को पूरा प्रतिवेदन 21 सितम्बर, 1964 और 12 अक्तूबर, 1964 को प्रस्तुत किये गये । मैंने एक समिति से, जिसमें मंत्रिमंडल के कुछ साथी शामिल थे उक्त मामले की जांच करने की प्रार्थना की । गृह मंत्री जी ने इस प्रतिवेदन को, पूरक आरोपों के विवरण के साथ, श्री बीजू पटनायक और श्री बीरेन मित्रा को टिप्पणी के लिये भेजा । श्री बीरेन मित्रा को यह भी बताया गया कि जहां उनके प्रदेशीय मंत्रिमंडल के किसी साथी के विरुद्ध कोई आरोप हो तो अपने विचार प्रकट करने से पहले उनकी टिप्पणी भी प्राप्त कर सकते हैं ।

समिति ने श्री बीजू पटनायक, श्री बीरेन मित्रा और अन्य संबंधित मंत्रियों से प्राप्त टिप्पणियों की भलीभांति जांच की । समिति इस नतीजे पर पहुंची कि उपलब्ध सामग्री की जांच से यह प्रकट नहीं हुआ कि श्री पटनायक या श्री मित्रा ने उन सव्यवहारों से जिनसे वे संबंधित थे कोई व्यक्तिगत आर्थिक लाभ उठाया । किन्तु समिति को ज्ञात हुआ कि कोई संव्यवहार निश्चित रूप से अनुचित थे जिसकी श्री पटनायक और श्री मित्रा को जिम्मेदारी वहन करनी थी । समिति ने यह महसूस किया कि लोक-चरित्र के सामान्य प्रमाप की पूर्ति नहीं हुई थी । समिति जिन नतीजों पर पहुंची थी और जिन्हें केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने स्वीकार कर लिया था, वे श्री पटनायक और श्री मित्रा को वता दिये गये थे । श्री मित्रा ने उड़ीसा के मुख्य मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया है । श्री पटनायक ने राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है और अब वे प्रदेशीय सरकार के अन्तर्गत किसी पद पर नहीं हैं ।

श्री नीलमणि रोत्रे के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में समिति इस नतीजे पर पहुंची कि उनके बारे में किसी प्रतिकूल निर्णय पर

श्री नीलमणि रोत्रे के सम्बन्ध में कुछ आरोप उस समय के थे जब वे मंत्री नहीं थे। समिति ने महसूस किया कि उन आरोपों पर विचार करना उचित नहीं होगा। एक अन्य आरोप के विषय में जो उस समय का था जब वे मंत्री थे, समिति इस नतीजे पर पहुंची कि उनके बारे में किसी प्रतिकूल निर्णय पर पहुंचने के लिये काफी तथ्य उपलब्ध नहीं थे। इसी प्रकार श्री सदाशिव त्रिपाठी और श्री वृन्दावन नायक के मामलों में समिति इस नतीजे पर पहुंची कि प्रतिकूल निर्णय पर पहुंचने के लिए कोई आधार नहीं थे।

23 जुलाई, 1964 की तारीख का एक पत्र, जिसमें मैसूर के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे, श्री आर० के० प्रसाद अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, कोलार तथा मैसूर के 9 विधायकों से प्राप्त हुआ था। 5 अगस्त, 1964 की तारीख का एक और पत्र भी मिला जो 20 व्यक्तियों—विधान सभा के 17 सदस्यों, विधान परिषद् के 2 सदस्यों और एक संसद् सदस्य—द्वारा हस्ताक्षरित था। मैसूर के मुख्य मंत्री जी की प्रार्थना पर गृह मंत्री जी ने उक्त कागजात की नकलें 13 अगस्त, 1964 को उन्हें टिप्पणियों के लिए भेजीं। मुख्य मंत्री जी ने अपनी टिप्पणियां, अपने मंत्रिमंडल के अन्य उन मंत्रियों की टिप्पणियों सहित जिन पर आरोप लगाये गये थे, 16 नवम्बर, 1964 को भेजीं।

17 दिसम्बर, 1964 को मैसूर की विधान सभा के 25 सदस्यों और विधान परिषद् के 3 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति जी को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन में जो आरोप लगाये गये थे वे सब गृह मंत्री जी को भेजे गये पूर्व प्रतिवेदन में मौजूद थे।

मंत्रिमंडल की उसी समिति से इस मामले पर भी विचार करने को कहा गया। मैसूर के मुख्य मंत्री तथा कुछ अन्य मंत्रियों के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये थे उन पर तथा उपलब्ध सामग्री और टिप्पणियों पर विचार करने के बाद समिति इस नतीजे पर पहुंची कि केन्द्रीय सरकार के लिए और कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं था।

14 अक्तूबर, 1964 को राष्ट्रपति जी को एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें बिहार के मुख्य मंत्री और उनके कुछ सहयोगियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे। इस प्रतिवेदन पर बिहार प्रदेश के 6 विधान सभा सदस्यों, 3 विधान परिषद् सदस्यों और 1 संसद् सदस्य के हस्ताक्षर थे। यह प्रतिवेदन बिहार के मुख्य मंत्री जी को टिप्पणी के लिए भेज दिया गया। आरोपों और उनके सम्बन्ध में इकट्ठी की गयी सामग्री पर विचार करने के बाद मंत्रिमण्डल की समिति इस निर्णय पर पहुंची कि केन्द्रीय सरकार के लिए कोई और कार्यवाही करने का आधार नहीं था।

मैं जानता हूं कि कुछ माननीय सदस्य इस मामले पर और विचार करना चाहेंगे। परन्तु मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि मंत्रिमंडल की उपसमिति ने इस पर अपना काफी समय लगाया है तथा इसकी बहुत ध्यानपूर्वक जांच की है। वह जिन नतीजों पर पहुंची है उसके आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि केवल उड़ीसा के बारे में ही कुछ कार्यवाही की जानी आवश्यक थी। श्री बीरेन मित्रा और श्री पटनायक ने अपने त्यागपत्र दे ही दिये हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि इस मामले को यही समाप्त होने दिया जाय।

हमको, जिन्हें सरकारी पद और जिम्मेदारी संभालने का सौभाग्य प्राप्त है, हमेशा चरित्र के सही प्रमापों के पालन की आवश्यकता को भली प्रकार समझना चाहिए । केवल तभी हम जनता का विश्वास और सहयोग प्राप्त करने के अधिकारी होंगे । इसके साथ ही हमें अविश्वास और सन्देह का वातावरण नहीं पैदा होने देना चाहिए, वरना प्रभावशाली प्रशासन कठिन बन जाता है । यदि हम पिछली बातों को भूल कर भविष्य की ओर देखें तो मुझे विश्वास है कि हम एक नया परिच्छेद शुरू करेंगे ।

श्री प्र० के० देव : क्योंकि बड़े रहस्योदघाटन किये गये हैं, अतः मैं उद्धरण देता हूं, "60 लाख रुपये की चीजों की खरीद पर.... "

अध्यक्ष महोदय : आप कहा से उद्धरण दे रहे हैं ?

श्री प्र० के० देव : केन्द्रीय जांच विभाग (सेंट्रल इनवेस्टीगेशन ब्यूरो) के प्रतिवेदन से... अन्तर्बाधायें .... ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रक्रिया को नियमित करने दीजिए। मेरी अनुपस्थिति में जो कुछ हुआ है उसके बारे में मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता । मैं उन्हें जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन से उद्धरण की अनुमति नहीं दे रहा ।

श्री प्र० क० देव : आप किस नियम के अन्तर्गत मुझे अपने अधिकार के प्रयोग से वंचित कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे इसकी अनुमति प्रदान कर दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : किस परिस्थिति में वह निर्णय दिया गया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । उसके बारे में मुझ से पूछा भी नहीं जा सकता कि मैं उसके विपरीत कैसे निर्णय ले सकता हूं ?

श्री ही० ना० मुकर्जी : विपरीत निर्णय देने का कोई प्रश्न ही नहीं है । आज ही कुछ देर पूर्व कुछ बातें सभा के समक्ष रखी गयी थीं और जो सामग्री श्री कामत ने उपलब्ध की थी उसे मान्यता दे दी थी। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई भी माननीय सदस्य उसमें से उद्धरण दे सकता है और अब जब कि प्रधान मंत्री ने और आगे उस बात पर प्रकाश डाला है अतः उस सम्बन्ध में उद्धरण दिया जा सकता है ? यदि सभापति अथवा अध्यक्ष महोदय यह अनुमति देते तो उसे सभा पटल पर भी रखा जा सकता था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो इस बात का पता भी नहीं है कि वास्तव में सुबह हुआ क्या है । वैसे जैसा कि कहा गया है कि दस्तावेज गोपनीय है। जिस भी व्यक्ति ने उस दस्तावेज को विधिपूर्ण कब्जे से प्राप्त किया है उसने चोरी की है....

श्री दाजी : उसने चोरी की है, परन्तु मेरा निवेदन यह है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है । ऐसा कहना मेरे विचार में संसद् के सदस्य की अप्रतिष्ठा करने वाली बात है । आखिर, एक संसद सदस्य को लोगों की शिकायतों को यहां पर प्रस्तुत करना होता है ।

अध्यक्ष महोदय : मामले को ठंडे दिल से चर्चा कर के निपटाया जा सकता है । हमें अधीर नहीं होना चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा निवेदन यह है कि एक दस्तावेज एक माननीय सदस्य के पास है उपाध्यक्ष महोदय ने उसे सभा पटल पर रखने की अनुमति भी दे दी थी। ऐसे मामले इससे पूर्व भी हुए हैं उदाहरण के तौर पर रूबी जनरल बीमा कम्पनी का प्रतिवेदन था, जिसे श्री दाजी ने सभा पटल पर रख दिया था। एक बार श्री मसानी ने एक जब्त हुई पुस्तक से कुछ उद्धरण दिये थे। यह पूछा भी गया था कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया । परन्तु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया ।

मेरा निवेदन यह है कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है । श्री बीरेन मित्रा तथा श्री पटनायक जैसे बड़े व्यक्ति इसमें हैं। अतः मैं चाहता हूं कि निष्पक्षता और न्याय की दृष्टि से हमारे अधिकारों की रक्षा की जाय। यदि ऐसा न किया गया तो भ्रष्टाचार करने वालों को अपना काम करने का अवसर मिलता रहेगा। राजनीतिक तौर पर भी इसका मतलब यह होगा कि हम बहिर्गमन कर जायें और अपने लोगों से कह दें कि हम अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो उचित बात नहीं यह तो मुझे धमकी देने वाली बात है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे इस पर खेद है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It would have been better if you had supported the previous ruling given by the Deputy-Speaker. Moreover I want to know that under which rule you were asking the honourable member that he could not quote from any document. Above all we must also understand that this is a corruption case. And Shri Kamath has done a great service in bringing the case on the fore. He must be allowed to do so.

श्री शिंकरे : प्रतिवेदन गोपनीय है अथवा नहीं, परन्तु सदन के समक्ष तो आनी ही चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा हो कि इस बारे में मेरा भी मत सुन लिया जाये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मेरे विचार में जब तक हम जड़ तक नहीं जा सकते, हम मामले पर क्या विचार करेंगे । अतः प्रतिवेदन हमारे सामने आना ही चाहिए। संसद् को जनहित में, उस पर चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिए। मेरे विचार संसदीय परम्परा को दृष्टि में रखते हुए, माननीय शास्त्री जी को स्वयं ही ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए थी।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मेरा निवेदन यह है कि यह प्रतिवेदन गोपनीय नहीं है । केन्द्रीय कक्ष में बैठे कई लोगों ने इसे पढ़ लिया है । किसी को राष्ट्रहित की दृष्टि से 'गोपनीय' कहना चाहिए, अन्यथा नहीं। इस तरह की गोपनीयता का विधि की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है । इस दृष्टि से इस पर विचार नहीं किया गया है । अब तो यह प्रतिवेदन एक माननीय सदस्य के कब्जे में है। और वह उसे पटल पर रखने को तैयार है, चाहे उसे किसी भी ढंग से उपलब्ध हुआ हो । वह इस प्रश्न को प्रस्तुत करने में ठीक ही है ।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : मेरे विचार में प्रत्येक सदन के सदस्य को इस सदन में प्रत्येक बात कहने का अधिकार है । केवल प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत ही उन्हें रोका जा सकता है । इंग्लैंड में भी यही स्थिति है । हमारी स्वतंत्रत अभिव्यक्ति पर क्या रोकें हैं, इस पर मैं खोज कर रहा हूं । नियम 352 के अन्तर्गत केवल 8 मदें हैं जिनका वह उल्लेख नहीं कर सकता :—

(1) किसी ऐसे तथ्य विषय का जो निर्णय के लिये विचाराधीन हो ;

(2) किसी सदस्य पर व्यक्तिगत दोषारोपण न हो ;

(3) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल के व्यवहार अथवा कार्यवाही के विषय में आपत्ति जनक पदावलि का उपयोग न हो ;

(4) सभा के किसी निर्धारण पर, उसे रद्द करने के प्रस्ताव को छोड़ कर, आक्षेप न हो ;

(5) कोई सदस्य उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप न करेगा जब तक कि मंत्री उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो ;

(6) वाद विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति के नाम का उपयोग नहीं किया जायेगा ;

(7) अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक या मान हानिकारक शब्द नहीं कहें जायेंगे ;

(8) कोई सदस्य अपने भाषण के अधिकार का उपयोग सभा के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन के लिए नहीं करेगा ।

अत: मेरा निवेदन है कि इस मामले में कोई भी जनहित की बात नहीं है और प्रक्रिया नियम इस मामले में स्पष्ट है ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान जी, मुझे कोई अन्य नया तर्क प्रस्तुत नहीं करना है । मैं दस्तावेज को सभा पटल पर रखने को तैयार हूं । आप इसकी तुलना मूल से करके देख सकते हैं कि यह कहां तक अधिकृत है ।

Shri Bagri : Sir, I submit anything that goes against the interests of the country, should be brought here. That should not be concealed. If any honourable member brings forward a document which strikes the wide spread corruption, vitally, does a great service, this is his duty.

Secondly I will request the Speaker that he should not use the word theft. This word 'theft' is improper which he should very kindly withdraw.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : अभी तो हमें इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्या श्री प्र० के० देव सी० आई० बी० के प्रतिवेदन में दी गई सूचना का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं । संसद्-सदस्यों का सभा में संप्रश्न पूछने का अधिकार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना न्यायालयों में जिरह करने का अधिकार । सरकार को पूरा अधिकार है कि वह इस सूचना को स्वीकार करे या

अस्वीकार करे या लोक हित में कुछ भी न कहे। परन्तु इस सूचना का उपयोग करने का सदस्यों का अधिकार किसी प्रकार कम नहीं किया जा सकता। परन्तु जिन दस्तावेजों को सरकार ने गोपनीय अथवा गुप्त वर्गीकृत किया है उनका उपयोग हमें उचित रूप से करना चाहिये क्योंकि यदि हम इसका उपयोग गैर जिम्मेदार तरीके से करेंगे तो सरकारी व्यवस्था में गड़बड़ी हो जायेगी। इसलिये प्रक्रिया नियमों में यह दिया गया है कि जब भी हम किसी दस्तावेज का उल्लेख करेंगे तो उसे सभा पटल पर रखना होगा। इस मामले में भी श्री देव ने मंत्री महोदय के सामने एक तथ्य रखा और जब उनसे इसकी सचाई के बारे में पूछा गया तो स्वभावतः उनको अपनी सूचना का स्रोत प्रकट करना पड़ा। अतः मेरा यह निवेदन है कि वह इस सूचना का उपयोग कर सकते हैं और उसके आधार पर सरकार से सूचना मांग सकते हैं।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Dr. Singhvi had referred to the law of evidence . But it is provided in the Criminal Procedure Code that the document must come through proper custody. The Chair must see whether the document has come through the proper custody, and if it has come, then it can be accepted, otherwise not. Secondly, it will be a bad precedent if we accept secret and confidential documents. There is a sanctity attached to secret and confidential documents and if we start bringing them here even defence documents may be brought here. A reference has been made to Shri Feroze Gandhi. As far as I remember Shri Feroze Gandhi had given the source of his information—that he had received it through Punjab National Bank. This way he proved that he procured it through proper custody; therefore, I want to say that since our rules are silent on this point, we must follow the procedure prescribed in the Civil Procedure Code.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : मैं औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Sir, I want to raise a point of order under what rule you are making this demand.

Mr. Speaker : Mr. Masani has told about that.

Shri A. P. Sharma : Shri Daji, raised the question of the privileges of members of Parliament. Does it become his privilege to speak anything after becoming a member. A member of Parliament has also got a duty. It will create a dangerous situation if member of parliament think they can bring any secret document in the House.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): I think undue importance has been given to this report every now and then the Government is conduting enquiries. On the basis of police report the Government in the present ccase formed its opinion not only on the basis of CBI report but many other reports and then the Prime Minister announced this opinion. Now, if this report is placed on the Table of the House, it will be considered that the Government formed its opinion on the basis of this report only. Therefore, the Government, in order to place a correct picture before the country, will be forced to show all those reports on the basis of which it formed its opinion. It will also encourage members to procure such secret documents by fair or foul means.

[Shri Bhagwat Jha Agad]

Report about Ruby Insurance Company and Pandey report on small car have also been referred to. But these reports although they were not published by the Government, are not secret documents.

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : मेरे विचार में प्रश्न यह है कि यदि कोई चीज कानून की दृष्टि में अपराध है तो उसको इस सभा में करने दिया जाय कि नहीं । जो विशेषाधिकार हमें प्राप्त हैं उनके कारण हम इस सभा में जो कुछ भी करे उसके लिये देश के किसी भी न्यायालय में हम पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता । पुलिस की जांच सम्बन्धी कागज़ किसी को नहीं दिखाये जा सकते । अब यदि मेरे पास ऐसे कागज़ात हैं जो किसी पुलिस अधिकारी के पास थे, तो या तो मैंने इनको उस व्यक्ति से लिये हैं अथवा चुराये हैं । और यदि मैंने चुराये हैं तो यह एक अपराध है । प्रश्न यह कि इस अपराध को इस सदन में करने दिया जाय कि नहीं । मेरे विचार म ऐसे अपराध का इस सभा में होना उचित नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : सभी लोग इस प्रतिवेदन की प्रतीक्षा में थे और यह जानना चाहते थे कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है । जबकि हमसे यह प्रतिवेदन छिपाया जा रहा है, समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में सभी कुछ छप चुका है । श्री अतुल्य घोष ने पहले ही बधाई का पत्र भेज दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीरेन मित्रा पूर्ण रूप से विमुक्त कर दिये गये हैं ; और यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है । यह बहुत ही अच्छा हुआ कि प्रधान मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री कामत ने सभा के सामने असली प्रतिवेदन पेश किया । और संसद सदस्य होने के नाते यह हमारा कर्त्तव्य है कि जो भी सूचना हम प्राप्त कर सकें और वह लोक हित में हो उसको प्रकाश में लायें । और मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप यह न कहें कि हम झूठ बोल रहे हैं अथवा चोरी कर रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि कोई अन्य सदस्य बोले में अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं । श्री बागड़ी ने एक आपत्ति उठाई है ।

He has said that the use of the word 'thief' by me will lower the dignity of the House. I am sorry that I have not been heard properly. When I used the word 'thief' many members said that they are not prepared to listen to me I am not challenging the rights of privileges to bring any document here. What I want to stress is that the C. B. I. report which is in the custody of hon. member might have been passed on to him by some person working in the C.B.I. Department. I am not suggesting that the member having this document is guilty of any offence. What I want to suggest is that the person who passed on the document has done an illegal act. And if such acts are encouraged, what will be the end of it.

Shri Bagri : It will be a fine end.

Mr. Speaker : There may be two opinions about it. But the person who has passed on the document has not done an honest act.

श्री दाजी : विधि के अनुसार भी यदि कोई राजकीय भेद अधिनियम (आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट) का उल्लंघन करे तो वह चोरी नहीं समझी जाती । अधिक से अधिक उसको उसके लिये दंड दिया जा सकता है । परन्तु यह चोरी नहीं है । हम इसे चोरी स्वीकार नहीं कर सकते ।

Mr. Speaker : If the document has not been procured honestly than it will be called a theft. I cannot understand how such an act can be called honest.

Shri Madhu Limaye : You are speaking for the last fifteen minutes but you have not withdrawn the word 'theft'. So far as the member is concerned he has not committed any theft.

Shri Daji : He didn't say that.

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान): न्यायाधिकरण द्वारा किसी दस्तावेज को स्वीकार करने और किसी साक्षी से इस दस्तावेज के आधार पर प्रश्न पूछने में बहुत अन्तर है। यदि दस्तावेज को स्वीकार करने का प्रश्न है तो इसके स्रोत को सिद्ध करना पड़ेगा और यदि साक्षी से प्रश्न पूछने हैं तो स्रोत को सिद्ध करना आवश्यक नहीं। यदि किसी सदस्य के पास कोई सूचना है और वह किसी मंत्री अथवा प्रधान मंत्री से इसकी सचाई के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको यह बताना चाहिये कि यह सूचना पूर्णरूप से ठीक है या अंशतः ठीक है या लोक हित में कुछ नहीं बताया जा सकता। और यदि किसी सदस्य के पास कोई सूचना हो और वह उसके आधार पर प्रश्न न पूछ सके तो यह उसके विशेषाधिकारों का अतिलंघन होगा। साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत, बिना दस्तावेज का स्रोत बताये, प्रश्न पूछने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय : साक्ष्य अधिनियम के सभी उपबन्ध यहां लागू नहीं होते।

श्री नि० चं० चटर्जी : मेरा निवेदन यह है कि यह प्राकृतिक न्याय के अनुरूप है।

श्री अ० प्र० जैन (तुमकुर) : कुछ सदस्यों ने, दस्तावेज को इस प्रकार प्राप्त करना, भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अपराध कहा है। परन्तु यह भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अन्तर्गत अपराध नहीं है।परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने जो शब्द 'चोरी' का प्रयोग किया है वह न तो उचित है और न ही ठीक है। और भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत यह चोरी नहीं है। यह अपराध भारतीय राजकीय अधिनियम के अन्तर्गत आता है। न केवल वह व्यक्ति जो दस्तावेज़ को देता है, परन्तु वह व्यक्ति जो लेता है, चाहे वह संसद-सदस्य हो या अध्यक्ष हो या मंत्री हो, अपराधी है। राजकीय भेद रहस्य अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जान बूझकर कोई रहस्य, सूचना, दस्तावेज़ या सरकारी संकेत शब्द लेता है और यह जानते हुये कि यह इस अधि-नियम के विरुद्ध है, तो वह इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी माना जायेगा। इस धारा के अन्तर्गत अपराधी को दो वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों दिये जा सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या किसी सदस्य को ऐसा दस्तावेज या सूचना प्रयोग करने की इजाज़त दी जा सकती है जिसे उसने अवैध रूप से प्राप्त किया है और यह नहीं कि उसने कोई अपराध किया है। मुझे खेद है कि शब्द 'चोरी' प्रयोग किया गया है।

Shri Onkar Lal Berwa : An enquiry was conducted about Rs. 5 lacs spent on the car of Shri Humayun Kabir. These papers were placed on the Table of the House. As such even this document should be allowed to be placed on the Table of the House.

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर): मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि कोई दस्तावेज़ स्वीकार न किया गया हो तो क्या उसका न्यायालय में प्रयोग किया जा सकता है? इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। उनको यह निश्चय करने का कोई अधिकार नहीं कि यह स्वीकार की जाय कि नहीं। और जब तक यह स्वीकार नहीं की जाती वह इसका प्रयोग नहीं कर सकते।

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : जब ऐसा प्रश्न ब्रिटेन की संसद में उठाया गया तो श्री ग्लैडस्टोन ने कहा कि संसद् सरकार पर शासन कर सकती है, परन्तु देश पर सरकार ही शासन करेगी। सरकार को प्रशासन के बारे में सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी लोकतंत्रात्मक संसद ने प्रशासन के ब्यौरे को जानने का प्रयत्न नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात ही मैं अपना निर्णय दूंगा। मैं सभी पहलुओं पर विचार करूंगा। यद्यपि राजकीय भेद अधिनियम के अन्तर्गत यह अपराध माना गया है, कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें "चोरी" शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। मेरा दुर्भाग्य यह है कि मुझे पूरी तरह से सुना नहीं गया ।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 23 फरवरी, 1965 / फाल्गुन 4, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 23rd February, 1965/Phalguna 4, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III—2487 (ai) LS—17-6-65—600